खण्ड-417, अंक-7
सोमवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1917
(21 अगस्त, 1995 ई0)

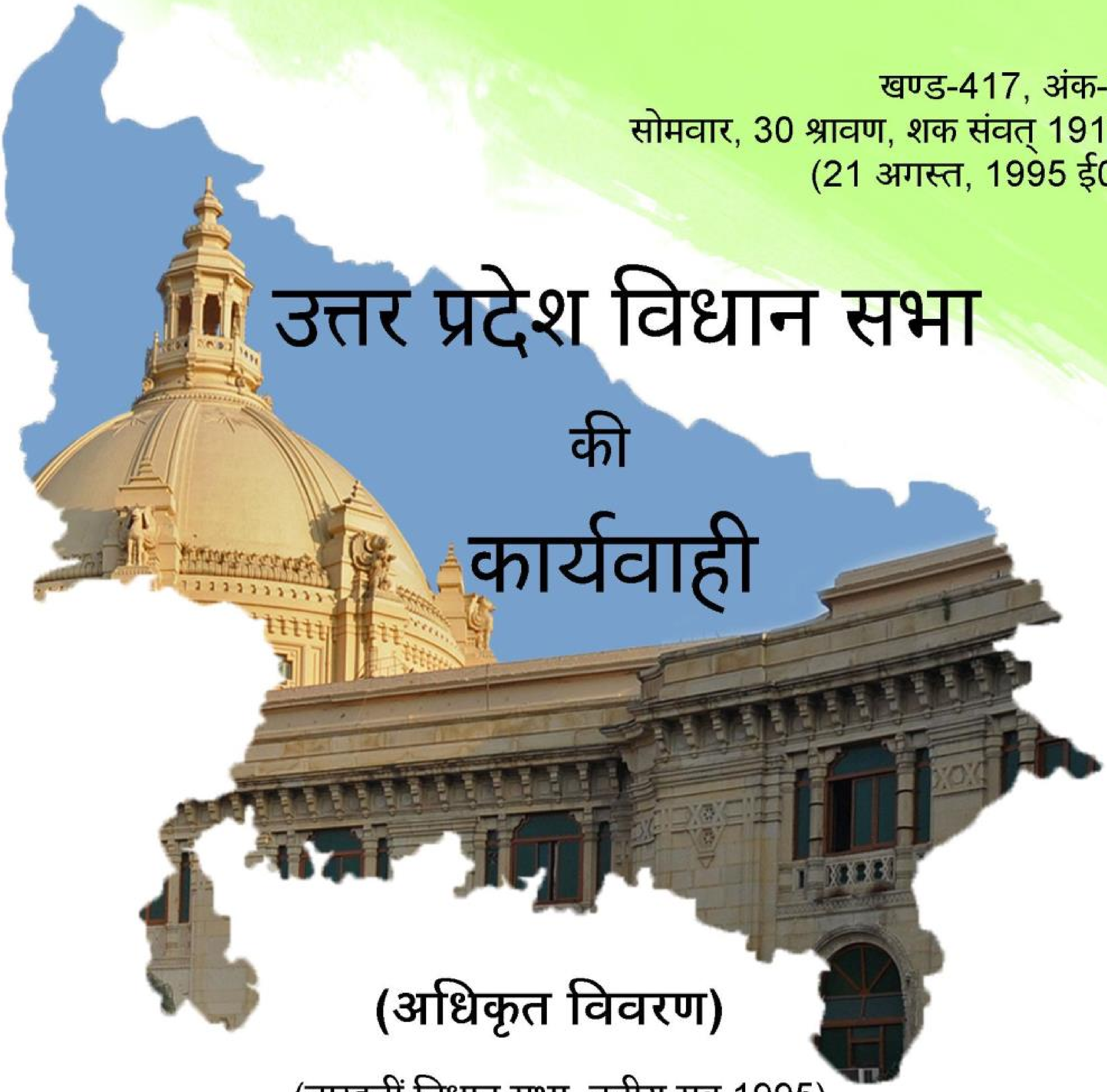

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ग
केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किये जाने की साजिश के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग....(जारी)	1-3
प्रश्नोत्तर (जारी)	3
केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किये जाने की साजिश के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना सुने जाने की मांग ..	4-9
प्रश्नोत्तर	10-71
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृजभूषण शरण एवं श्री बृजभूषण मिश्र 'ग्रामवासी' के निधन पर शोकोद्गार ..	72-76
फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति शोकोद्गार	76-77
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	77-78
जनपद वाराणसी के काशी विद्यापीठ के 'रमना' गांव में अस्पताल की सेवायें जनता को उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कर लगाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
लाटरी निदेशालय लखनऊ में हुये अग्निकाण्ड से लाटरी विक्रेताओं, एजेन्टों तथा जनता के करोड़ों रुपये के भुगतान रुकने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
जनपद गढ़वाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मासी (चौथान) के जीर्ण-शीर्ण भवन को निर्मित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उसका बाजार में कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरा में एक्स-रे मशीन व महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	81
जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद पडरौना के सेवरही नगर पंचायत मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के ग्राम बरूआ नेवादा की सुरक्षा हेतु बन्धा बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
बन्द पड़े गोरखपुर खाद कारखाना को पुनः चालू कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	84-85
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1992-93 का प्रतिवेदन संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियां) (पटल पर रखा गया)	85
उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन ..	85
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत पोटर गंज से भभुआ तरहर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री सूर्य प्रकाश तिवारी की याचिका.... उपस्थित की गई	85
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कौड़िया बाजार से लक्ष्मनपुर बसन्तपुर मार्ग पर लेपन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भवानी भीख शुक्ल की याचिका ... (उपस्थित की गई)	85
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा बाजार से देवा पसिया मार्ग पर खडंजा/ लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रुद्र प्रताप सिंह की याचिका (उपस्थित की गई)	86
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा बाजार से संवर्गपुर वाया लालपुर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राजाराम मिश्र की याचिका... (उपस्थित की गई)	86
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रामापुर के पूरेबदल गंगा जमुनी मार्ग पर खण्डंजा स्तर तक कार्य कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल की याचिका (उपस्थित की गई)	86
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत करनैलगंज से नहवा परसौरा, मनकापुर देवापसिया, नारायनपुर कला मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पक्का आर0 सी0 सी0 पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल की याचिका (उपस्थित की गई)	86
जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित रानीगंज बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र प्रताप पाण्डेय आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	86
जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वीरापुर में सई नदी के किनारे वाराठी देवी धाम के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका .. (उपस्थित की गई)	87

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उडैयाडीह के सराय छिवेलहा मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार शुक्ल आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	87
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी की ग्राम सभा पड़वा महोखरी में पट्टी नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में छोटेलाल तिवारी आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	87
जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र बीरापुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में श्री प्रेम किशोर यादव की याचिका... (उपस्थित की गई)	87
जनपद बांदा में राजापुर एवं मानिकपुर को तहसील बनवाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार आजाद आदि की याचिका (उपस्थित की गई) ..	87
जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत चन्दरौली, कौमीपुर, मजनूपुर मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री धर्मराज सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	88
जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत सुवेहा से सिल्हौर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महादेव गुप्त आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	88
जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में श्री राजकुमार अग्रवाल आदि की याचिका (उपस्थित की गई) ..	88-89
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम का निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	90
मथुरा यज्ञ के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	91-96
सिंचाई दरों एवं नहरों की त्रुटियों में परिवर्तन करने संबंधी नियमावली के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	96-97
मथुरा यज्ञ से संबंधित मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की मांग ..	97-98
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित किया गया)	99
उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 ..	99-100
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	100-101
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 (पारित)	101-115
उ0प्र0 मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ..	115-119

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर मतदान	119-120
अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ..	120
अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ..	120-121
अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ..	121
अनुदान संख्या 7-उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	121
अनुदान संख्या 8-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	122
अनुदान संख्या 95-उत्तराखण्ड विकास विभाग (स्वीकृत) ..	122-123
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	123-124
अलीगढ़ नगर में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बिना पूर्व सूचना के दुकानों एवं मकानों के अग्रभागों को तुड़वाये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार नवमान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	124-126
फतेहपुर जिले में बनरोजों द्वारा की जा रही फसलों की क्षति के संबंध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	126
बुलन्दशहर जिले के छतारी थानान्तर्गत नरायनपुर ग्राम में साम्प्रदायिक नारे लगाये जाने विषयक श्री हरेन्द्र सिंह मलिक आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	126-128
फतेहपुर जिले के धाता कस्बे में एक सिनेमाघर से हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट बोर्ड की कापियों तथा प्रश्न पत्रों के बरामद होने विषयक श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	128-129
जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्रान्तर्गत नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने विषयक श्री शिवदानी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	129-130
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो महीने से वेतन का भुगतान न किये जाने विषयक श्री राम सरन वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	131-132
उत्तरांचल में बढ़ते हुये बाघ के आतंक के संबंध में श्री मातवर सिंह कण्डारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	132-133
नत्थियां	134-152

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 21 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अकबर अली, श्री	जालौन	गनपत सिंह, श्री	महराजगंज
अखलाख, श्री	मेरठ	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अखिलेश, श्री	महराजगंज	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	चैनसुख भारती, श्री	जालौन
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अ0 रईश, श्री	सुल्तानपुर	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अवधपाल सिंह यादव, श्री	एटा	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
उदयभान सिंह, श्री	आगरा	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
उमा शंकर यादव, श्री	जौनपुर	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
उर्मिला देवी यादव	मैनपुरी	धू राम चौधरी, श्री	हमीरपुर
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	परशुराम, श्री	फैजाबाद
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रणत पाल सिंह, श्री	मथुरा
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबूराम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा0	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा0	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव,श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देवलता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दवर, श्री	जौनपुर
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रिजवान जहीर खां उर्फ	
रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू,श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ	
वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफ़त यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव सागर लाल, डा0	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह ज्ञानी	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी0 आर0 वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किये जाने की साजिश के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने आम जनता के बीच घोषित किया है कि सरकार को गिराने का प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा किया गया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें (व्यवधान) इसके पहले उपवेशन के दिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य के लिये निर्देशित किया था तो जब वह अपना वक्तव्य देंगी, तो उस समय आप इस संबंध में पूछ लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा-

(व्यवधान) मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार का मुखिया मुख्य मंत्री होता है और उसको गिराने का केन्द्र सरकार द्वारा षड़यंत्र किया जाय तो ठीक नहीं है इसलिये इस पर नियम 311 के अन्तर्गत चर्चा कराई जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 (व्यवधान) मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन आप मेरी व्यवस्था को सुनना नहीं चाहते हैं और मैं शर्मिन्दा होकर बैठ जाता हूं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप लोग बैठ जायें ।

नियम 311 के अन्तर्गत जो आज आपने सूचना दी है इसमें मैं कहना चाहता हूं कि आज के पहले उपवेशन के दिन जब सदन अव्यवस्थित हुआ था तो मैंने निर्देशित किया था कि अगले दिन के उपवेशन के दिन मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगी । इसलिये आज जब मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी, तो आप इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नियम 311 से महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आज जब मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी तो आप भी इस संबंध में पूछ लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह -

मान्यवर, यह कार्य मंत्रणा समिति का विषय था लेकिन आज यह दूसरा विषय है जिसमें मुख्य मंत्री को गिराने की साजिश की गई है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

आप लोग बैठ जायं । मैं आप लोगों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आज जब मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी तो उस समय आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वह मुख्य मंत्री जी से प्राप्त कर लेंगे इसलिये आप लोग बैठ जायं । चूंकि यह प्रश्न भी उसी से संबंधित है ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी -

अधिकारियों ने इनकी सरकार गिराने की कोशिश की है, यह सब इन्हीं की चाल है, भारतीय जनता पार्टी जनता में डर फैलाकर, आतंक पैदाकर इस सरकार को अपने काबू में रखना चाहती है । भारतीय जनता पार्टी बसपा सरकार को डरा और धमका कर अपने इशारे पर चलाना चाहती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

राजेश पायलट इनके (कांग्रेस) कहने के अनुसार सुनियोजित रूप से वहां आये थे । हमारे कहने से नहीं आये थे, उनको किसी ने वहां नहीं बुलाया था । जनता में उनका उद्देश्य स्पष्ट हो गया है कि वह किस लिये वहां आये थे और उन्होंने वहां क्या-क्या उत्पात किये हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा -

अब यह प्रकरण सरकार के संज्ञान में आ चुका है, इसलिये उसकी सफाई भी सदन में हो जानी चाहिये, मुख्य मंत्री जी इस विषय में आकर सदन को पूरी जानकारी दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

आज मुख्य मंत्री जी इस पर अपनी बात कहेंगी, आप उस समय इस पर स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा । मैं इस पर किसी सदस्य को इस तरह इजाजत नहीं देता हूं, और बिना मेरी इजाजत के कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी -

अगर राजेश पायलट जी मथुरा न आये होते तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने षड़यंत्र में सफल हो गई होती.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वे बैठ जायें ।

श्री ऊदल-

वहां राजेश पायलट के आने से स्पष्ट है.....घोर व्यवधान

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय ऊदल जी, माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस पर अपना बयान देंगी, तभी आप यह पूछ लीजियेगा । "व्यवधान" मैंने किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी है, किसी की बात लिखी नहीं जायेगी । आप लोग बैठ जायें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

यदि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को गिराना चाहती है इसकी सदन को जानकारी पूरी न मिले तो यह सदन के साथ बेईंसाफी होगी । यह सदन के संज्ञान में है और मामला गम्भीर भी है और पूरे प्रदेश की जनता से यह विषय सम्बन्धित है, इस पर बात पूरी साफ होनी चाहिये और आपको अनुमति देनी चाहिये । आप अनुमति दे और हम लोगों को संरक्षण प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष-

देखिये आज काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लगे हुये हैं, मेरा अनुरोध है कि आप पहले प्रश्न प्रहर होने दें ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के जनपदों के न्यायालयों में स्टैम्प पेपरों की कथित रूप से कमी

**1.-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के जनपदों के न्यायालयों में स्टैम्प पेपर की काफी कमी है ? यदि हां, तो स्टैम्प पेपर को उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

प्रदेश के न्यायालयों में न्यायिक स्टैम्प प्रयोग किये जाते हैं, जिनकी वर्तमान में कोई कमी होने की शासन को जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(मूल उत्तर पढ़ा गया और अनुपूरक के लिये श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारा गया ।)

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किये जाने की साजिश के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल-

{× × ×} (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । आप अनुपूरक प्रश्न पूछें इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री किरनपाल सिंह-

यहां विरोधी सदस्यों की संख्या कम है, इसलिये आप बार-बार कहते हैं कि लिखा नहीं जायेगा, आप सही व्यवस्था दें ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर तथा माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें हमारी रुचि है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रदेश सरकार के ऊपर संकट है । माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है कि केन्द्र सरकार के मंत्री और अधिकारी मिलकर उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 311 में नहीं लिया जायेगा । मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं । प्रदेश सरकार के ऊपर संकट है । यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है । इसे 311 में नहीं लेंगे । आप किसमें लेंगे, कोई व्यवस्था तो दें ?

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके कहने से पहले ही अपनी व्यवस्था दे चुका हूं और उसी के अनुसार कार्यवाही होगी । प्रश्न प्रहर का समय है, आप लोगों के ही प्रश्न लगे हुये हैं । मैं प्रमोद तिवारी जी को अनुपूरक प्रश्न के लिये बुला रहा हूं ।

(व्यवधान)

नोट:- {× × ×} यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप सदस्यों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसदीय परम्परा में व्यवस्था है कि सदस्यों के प्रस्ताव को सुनने के बाद ही उस पर अपनी व्यवस्था देंगे। प्रदेश सरकार को गिराने की बात है। महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष-

बिना इजाजत के जो भी सदस्य बोलेंगे लिखा नहीं जायेगा। मैं अपनी व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं कि नियम 31। की जो नोटिस दी है उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है। पिछले दिन ही निर्देशित कर दिया था। उस समय स्पष्टीकरण के रूप में जो जानना चाहते हों, पूछ लीजियेगा।

श्री राम आसरे वर्मा-

पूरे प्रदेश की अस्मिता का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने 31। में कोई अनुमति नहीं दी है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्रश्न प्रहर सुन लें। प्रश्न प्रहर में कोई 31। की सूचना अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तुत की जा सकती है। मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री राम आसरे वर्मा-

जब आप हमारी नोटिस को नहीं सुनेंगे तब सदन में खुलासा नहीं हो पायेगा और पूरे प्रदेश की जनता जान नहीं पायेगी, कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किस तरह का षड़यंत्र किया जा रहा है?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 31। देखें। इसमें लिखा है नियमों का निलम्बन-कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित.....

श्री उदल-

आज का विषय दूसरा है। राजेश पायलेट ने इस सरकार को बर्खास्त करने...

श्री जगदम्बिका पाल-

झांसी हवाई अड्डे पर माननीया मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

तीन विद्वान सदस्य नियम 31। का हवाला देते हुये अपनी बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो निवेदन कर रहा हूं उसे वे कृपयापूर्वक सुनेंगे नियम 31। में लिखा है कि ऐसे विषय में जिस प्रक्रिया का

अनुसरण किया जायगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी । इसका आपको पूरा पूरा अधिकार है । आगे 314 में है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी । 315 में लिखा है कि सापेक्ष अग्रेता । इस आदरणीय सदन में जो विषय लिये जायेंगे उनका विषय क्या होगा ?

"शपथ अथवा प्रतिज्ञान" जो नये सदस्य आ जाते हैं उनको शपथ दिलायेंगे । इसमें अल्पसूचित प्रश्न भी सम्मिलित हैं । प्रश्नों से महत्वपूर्ण इस आदरणीय सदन में और कुछ नहीं होता है । प्रश्नों के समय नियमों-का बहाना लेकर बार-बार ऐसी बातें करना, जिससे सदन का समय बरबाद हो यह ठीक नहीं है । प्रश्न प्रहर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्यवाही नहीं होती है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

नियमों में है कि "अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय" किया जायेगा, तो हम आपसे ही अनुरोध कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आपने अनुरोध किया उस पर मैंने व्यवस्था दी । इस व्यवस्था के तहत मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न प्रहर चलना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

आपने हमारा अनुरोध ठुकरा दिया ।

श्री अध्यक्ष-

यदि आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा ही समझ लीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

उस सीट से यदि ठुकराना समझते हैं तो ठुकराना समझ लें वरना आपकी व्यवस्था है । क्या वर्मा जी पहले वहां बैठकर ठुकराते रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

शब्दों के जाल में फंसने से कोई लाभ नहीं है । नियम 311 की प्रथम पंक्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-"कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे" नियमानुसार कुछ माननीय सदस्यों ने एक सूचना लिखित रूप में दी अर्थात आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया । अब आपकी सम्मति की प्रतीक्षा है आपने सम्मति नहीं दी इसमें ठुकराने का सवाल कहां उठता है । "ठुकराना" घटिया शब्द है । मैं समझता हूं कि आपकी सम्मति नहीं है । आग्रह को दुराग्रह कहें यह भी उचित नहीं है । हमें संयत शब्दों का प्रयोग करना चाहिये जब आपकी सम्मति नहीं है तो उसे उठाने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

जो आरोप प्रमोद तिवारी जी ने, जगदम्बिका पाल जी ने लगाये उसकी पुष्टि उन्होंने खुद राजेश पायलट जी का नाम लेकर की उन्होंने षडयंत्र किया इस सरकार को गिराने के लिये ।

श्री अध्यक्ष-

किसी माननीय सदस्य को उठाने की अनुमति नहीं दी है । आपको ही नहीं किसी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है । आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि प्रश्न प्रहर होने दें । प्रश्न उत्तरित होंगे तो इसमें प्रदेश की जनता का, हित, आप सब लोगों का हित संरक्षित है । इसलिये प्रश्न प्रहर होने दें, आपने जो नियम-311 में दिया उसमें अनुमति नहीं दी है । उसमें मुख्य मंत्री को निर्देशित किया है वह इस विषय पर विचार रखेंगी, वक्तव्य देंगी, तब आप स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

पहले आप हम लोगों को सुन लें उसके बाद निर्देशित कीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष-

हमने व्यवस्था दे दी है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

निवेदन करने का तो अधिकार है ।

श्री कल्याण सिंह-

पहले कई दिनों लगातार यहां पर मथुरा प्रकरण उठता रहा है । आज माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के किसी वक्तव्य को लेकर आपके पास नियम 311 में सूचना भेजी है....

आपने ही निर्देश दिया था कि अगले कार्य दिवस पर मुख्य मंत्री जी मथुरा प्रकरण पर अपना वक्तव्य देंगी । मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि जब वह वक्तव्य दें तो उनके पास जो माननीय सदस्यों के नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है उसकी सूचना पहुंच जाये । ताकि जब वह वक्तव्य दें तो उन्होंने काशी प्रकरण पर क्या कहा है उसको भी जोड़ लिया जाये । क्योंकि मुख्य मंत्री जी की ओर से कोई वक्तव्य आया है उसको सदन जानना चाहता है व पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने पहले ही कहा है कि जब माननीय सदस्यों को नियम 311 के अन्तर्गत विषय उठाने की अनुमति ही नहीं दी गई है तो उसको कैसे जोड़ लिया जाय । अभी प्रश्नोत्तर काल चल रहा है । जब अभी विषय को अस्वीकार ही नहीं किया गया है तो सरकार कैसे उसको वक्तव्य में जोड़ ले ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों के विचार आ चुके हैं इस पर मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी उस समय आप लोगों के जो सुझाव हों उन पर भी विचार कर लूंगा ।

श्री कल्याण सिंह-

आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है । लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य में माननीय सदस्यों की सूचनाओं को समाहित कर लिया जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

लेकिन नियम 311 तो अभी आपने स्वीकार ही नहीं किया है तो वक्तव्य में यह समाहित कैसे हो जायेगा ? अभी माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसका आपने अभी संज्ञान ही कहां लिया है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी जो विषय उठाये गये हैं वह बगैर अनुमति के उठाये गये हैं । मुख्य मंत्री जी जो बयान देने वाली हैं वह दो दिन पहले की नोटिस के बारे में होगा । जब मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी उस समय संबंधित सदस्यों को मैं इजाजत दे दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

जो बिन्दु उठाये गये हैं वह बिन्दु अगर मुख्य मंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो बिन्दु उठाये गये हैं वह तो बगैर अनुमति के उठाये गये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा-

वह अध्यक्ष जी के संज्ञान में तो आ ही गये हैं । अब यह सदन की सम्पत्ति हो गई है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आज जो बिन्दु उठाये गये हैं वह सदन की सम्पत्ति हो गई है । लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार हर बात का जवाब देती रहे ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 की नोटिस के संबंध में मैंने शुरू में ही कहा कि न मैं कभी लिया हूं और न आज ले रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह गलत परम्परा हो जायेगी कि माननीय सदस्य बिना आपकी अनुमति के बोलने लगें और उसमें वक्तव्य मांगने लगें चूंकि माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिये किसी भी स्थिति में कोई वक्तव्य हो ही नहीं सकता ।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, आपने नोटिस पढ़कर ही तो उसे निरस्त किया है तो कैसे संज्ञान नहीं माना जायेगा ? संज्ञान तो आपने लिया है और केवल सुनने से मना किया है । इसी संबंध में कल्याण सिंह जी ने भी निवेदन किया । यह केवल मथुरा का विषय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की सरकार से संबंधित विषय है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस विषय पर शुरू में ही कहा कि मैं इस पर कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं और जो माननीय सदस्य बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा, न प्रकाशित किया जायेगा। मैं बार-बार सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि आधा घंटा केवल इसी बात में खर्च हो चुका है, जिसका कोई सार्थक हल न निकला है न निकलना है। इतनी देर में कम से कम दो प्रश्न उत्तरित हो गये होते और आप लोगों को अनुपूरक सवाल पूछने का मौका मिला होता।

श्री राम आसरे वर्मा-

जब सरकार ही नहीं रहेगी तो कैसे प्रश्न ? यह तो मैं आपको बताये देता हूं कि यह एक-दो महीना की मेहमान है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सरकार हमेशा रहती है। कभी मुख्य मंत्री कोई होता है, कभी मंत्री कोई और होता है लेकिन सरकार हमेशा रहती है, सरकार कभी खत्म नहीं होती, सरकार कन्टीन्यूटी में रहती है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो कुछ कहा गया वह सदन की सम्पत्ति है। आपने इसका संज्ञान भी लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगी तो इसको भी उसी में शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

जो विषय माननीय पाल जी, आप लोगों ने 311 के तहत नोटिस दी है, उस नोटिस पर मैंने कोई अनुमति नहीं दी है, न विषय को उठाने की न कोई प्रस्ताव करने की। जब पहले विधान सभा थी, उस समय भी यह मामला उठा था, तब मैंने निर्देशित किया था कि माननीया मुख्य मंत्री जी अगले कार्य दिवस में इस पर अपना वक्तव्य देंगी और आज इसी विषय पर माननीया मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी, उस समय जो कोई स्पष्टीकरण पूछने की आवश्यकता यदि हुई तो आप लोग पूछ लीजियेगा। अब प्रश्न प्रहर होने दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने 3 बार व्यस्था दी कि इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी, उस समय आप स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा, मान्यवर, मैं यही कह रहा हूं कि जब माननीया मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगी, उस समय इन बिन्दुओं को भी शामिल कर लिया जाय। हम लोग आपसे कोई हठ नहीं कर रहे हैं। आप इस विषय को विशेष उल्लेख समझ लीजिये। आज एक लोकप्रिय सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, गिराने की, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। आप जो कुछ बोलना चाहें, बोलते रहें। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रश्न प्रहर होने दें, और उत्तर आने दें।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी मैंने प्रश्न संख्या-1 लिया था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके बाद मैंने आपको अनुपूरक के लिये बुलाया था, लेकिन आपने अनुपूरक प्रश्न नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न प्रदेश में स्टाम्प की कमी से संबंधित था, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, आपने तिवारी जी को बुलाया लेकिन मूल प्रश्नकर्ता अनुपस्थित हैं । तिवारी जी की रुचि है तो इसको यदि समय मिले तो बाद में ले लीजियेगा ।

श्री ऊदल-

माननीय सदस्य किसी प्रश्न में दिलचस्पी रख सकते हैं लेकिन मूल प्रश्नकर्ता यदि अनुपस्थित हो तो वह प्रश्न बाद में लिया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी उपस्थित नहीं हैं उनका प्रश्न प्रदेश के सारे व्यापारियों से संबंधित है । उनको मान्यवर, ले लिया जाय । अल्पसूचित प्रश्नों के लिये जो समय निर्धारित है, अभी समय रह गया है, इसको आप पहले ले लीजिये ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, इस पर हमारी आपत्ति है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अब समय समाप्त हो गया है ।

प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज न किये जाने के आदेश

**2-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि पिछली प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 निलम्बित कर दी थी? क्या यह स. , है कि इस सरकार ने उपरोक्त आदेश को वापस ले लिया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

आवश्यक वस्तु अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है इसे पूर्णतः या आंशिक रूप से निलम्बित करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित नहीं है । पुरानी सरकार द्वारा

इस अधिनियम की धारा 3/7 को निलम्बित नहीं किया गया था अपितु इस धारा के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत न करने तथा इसके अन्तर्गत न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें वापस लेने हेतु आवेदन पत्र देने के प्रशासनिक आदेश दिये थे।

वर्तमान सरकार द्वारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में पिछली सरकार द्वारा लिये गये निर्णय में अब तक कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया गया है।

(नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे पुकारा था। क्योंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है इसलिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 को लेवें। अगर वह कहते हैं कि मैंने उत्तर नहीं दिया है तो मैं मान लूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मा0 नरेश अग्रवाल जी के प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(1) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश के न्यायाकि सेवा संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को वापस किये जाने की मांग

*1- श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो न्यायिक सेवा संवर्ग में वर्तमान में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर उच्चतर वेतनमान/पद पर नियुक्त हैं ? इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 75/सी0एम0/47-का-4-95-1/95, दिनांक 2 मई, 1995 के अनुसार मूल विभाग से वापस बुलाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ? उक्त शासनादेश के अनुपालन में समस्त लाभान्वित अधिकारियों को वापस बुलाये जाने अथवा उनको समान वेतनमान में ही नियुक्ति किया जाना कब तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय से सूचना संकलित की जा रही है। सामान्यतः प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को समयसीमा समाप्त होते ही मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

इस संबंध में कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाली सूचना पर आधारित होगी।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका पूरा उत्तर नहीं आया है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना संकलित की जा रही है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो सवाल माननीय सदस्य ने किया था कि वर्तमान में ऐसे कितने अधिकारी हैं, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्चतर वेतनमान या पद पर नियुक्त हैं । इनको वापस बुलाये जाने के बारे में कब तक सरकार सुनिश्चित कर लेगी, तो सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था और वहां जो सूचना आई है, उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर में तो आपने कहा है कि सूचना संकलित की जा रही है, आने के बाद ही आप उत्तर दें, पूरी सूचना आने पर ही लिया जा सकता है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, जितनी सूचना आई है उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है यह तो आश्वासन बन गया और आश्वासन समिति के समक्ष चला जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

संकलित होकर सूचना सदन में तो आये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जैसा आप कहें ।

शिक्षा सत्र के आरम्भ में पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों के मूल्य नियंत्रित किये जाने की मांग

*2-श्री श्याम देव राय चौधरी (अनुपस्थिति)-

क्या सरकार को जानकारी है कि माह जुलाई, 1995 से शुरू हो रहे शिक्षा सत्र के पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों की कीमतों में प्रकाशकों द्वारा करीब दो गुनी वृद्धि किये जाने की सम्भावना है ? क्या कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के व सुलभ दर पर पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों की उपलब्धता बनाये रखने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मूल्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है । अतः मूल्यों में दोगुनी वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता । कागज के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुपात में भविष्य में पुस्तकों के मूल्यों में कुछ वृद्धि स्वाभाविक है । सम्प्रति कापियों का मूल्य नियंत्रित नहीं है और बाजार द्वारा तय होता है । सरकार द्वारा मुद्रकों/प्रकाशकों को कागज पर सब्सिडी देने की कोई योजना नहीं है ।

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने हेतु योजना

*3- श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु प्रदेश की प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे जूनियर हाई स्कूलों तथा माध्यमिक विद्यालयों जो केवल बालिकाओं के लिये हैं उनकी लिस्ट अलग से बनाकर अनुदानित करने की किसी योजना पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं की अलग से सूची बनाकर अनुदानित करने पर विचार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये कि बालकों की शिक्षा प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा से अधिक है, बालिकाओं की शिक्षा उनसे बहुत ही पीछे है और उसको बढ़ाने के लिये जो अनुदानित करने की सूची एक में ही सम्मिलित की गई है जिससे उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है और बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। इसको देखते हुये क्या शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि चूंकि उनकी संस्थायें कम हैं इसलिये उनकी सूची अलग बनाकर अनुदान की सूची में लाया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

इनको अनुदान सूची में सम्मिलित करने के लिये पहले से ही निर्धारित है कि 80 : 20 में लिया जायेगा । अगर 100 विद्यालय हैं तो 20 बालिका विद्यालयों को जरूर लिया जायेगा यह अनुपात तय है पिछली बार 1991 में इसी अनुपात से लिया गया था तो मान्यवर, इनका एक अनुपात तय है ।

श्री उदल-

मान्यवर, मेरा निवेदन इससे आगे भी है । आप देख रहे हैं कि बालिकाओं में शिक्षा का प्रतिशत मुश्किल से 30 प्रतिशत है और अगर देहात और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाये तो उनका प्रतिशत 35 होगा । इसको ऊपर उठाने के लिये सरकार कटिबद्ध है तो अगर आप दोनों की संस्थाओं को एक में रखेंगे तो शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ सकता है, तो मेरा निवेदन है कि बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं को अलग कर दें और उनकी अलग सूची बनायें और सीनियारटी के आधार पर सूची बनायें और उसी अनुसार अनुदान अलग से देने की कृपा करेंगे । परसेन्टेज तय होने से वह नहीं आ पावेंगे । उनकी 1/4 भी संस्थायें नहीं हैं शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बालिका विद्यालयों के लिये कोई अलग व्यवस्था करेंगे, तो अगर हम निर्धारित क्रम को तोड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है। हम उनको सीनियारटी के आधार पर लेते हैं। 100 विद्यालयों में 30 विद्यालय बालिकाओं के लेते हैं। मान लीजिये अगर कोई संस्था 85 में रजिस्टर्ड हुई और कोई बालिकाओं की संस्था 91 में रजिस्टर्ड हुई है तो हम 91 में रजिस्टर्ड हुई संस्था को अनुदान दे देते हैं, तो और लोगों में असन्तोष पैदा होगा हम चाहते हैं कि बालिका विद्यालय खुले और हम उसके लिये वित्त विहीन मान्यता भी दे रहे हैं तो मान्यवर, एक अनुपात निर्धारित है इसी आधार पर उनको लिया जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, देश की साक्षरता 52 प्रतिशत है, बालकों की 42 प्रतिशत और बालिकाओं की 26 प्रतिशत है। अनुदान देने से ही छात्राओं की शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है। क्या शिक्षा मंत्री जी कोई विशेष योजना बनाकर छात्राओं के विद्यालय खोलेंगे ताकि उनकी साक्षरता बढ़ सके।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जैसे कि कुछ योजनायें भारत सरकार की हैं जैसे अनौपचारिक शिक्षा ले लें हम विशेष तौर पर बालिकाओं के लिये अलग केन्द्र स्थापित करते हैं और अब हम हर विकास खण्ड में एक बालिका विद्यालय खुलवा रहे हैं हमने व्यवस्था दिया है कि प्राइमरी पाठशाला में बालिकाओं को अलग से पढ़ना पड़ेगा लड़कों के साथ नहीं पढ़ाया जायगा। हम वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलायें अशिक्षित हैं उनको शिक्षित बनाने के लिये भारत सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो हम प्रयासरत हैं कि बालिकाओं को ज्यादा शिक्षित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कन्या विद्यालय को अनुदानित करने के लिये 20 प्रतिशत का आरक्षण किया है और आबादी है 50 फीसदी है तो यह तो नाइन्साफी प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही है तो क्या मेरे सुझाव पर विचार करेंगे, कि जो कन्या विद्यालय हैं उनकी अलग सूची बनाकर कम से कम 50 फीसदी के अनुपात में कन्या विद्यालय को अनुदानित करने का कष्ट करें?

(2) क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूर्व सरकार में क्या इस तरह का कोई निर्णय हुआ था कि जो भी कन्या विद्यालय हैं उनको शतप्रतिशत अनुदानित सूची में लाया जायेगा? यदि यह निर्णय हुआ था तो उस निर्णय को कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जैसा पहले बताया गया, ऊदल जी ने भी बताया बालिका विद्यालयों की संख्या कम है उस रेशियो में उसे ज्यादा ले रहे हैं। उदाहरण के लिये हमारी संख्या ज्यादा है और आपकी संख्या बहुत कम है उसके अनुपात में आप ज्यादा बोलने का मौका पा जाते हैं। संख्या के हिसाब से आप कम हैं उसके अनुपात में आपको ज्यादा बोलने का अवसर मिल जाता है उसी हिसाब से बालिका विद्यालय कम हैं और उसको रेशियो में ज्यादा ले रहे हैं।

(सोमवार दिनांक 21 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में पूर्ण साक्षरता की कार्य योजना

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने का कोई लक्ष्य महिलाओं के संदर्भ में निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर-

राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 9-35 वयवर्ग की सभी निरक्षर महिलाओं तथा पुरुषों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। अभियान में महिलाओं को प्राथमिकता वाले वर्ग में रखा गया है।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का मामला शासन के विचाराधीन

*2-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को भी अनुदान सूची में लाने के लिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का मेरा सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने विद्यालय ऐसे हैं जो अनुदान सूची पर नहीं हैं और उन विद्यालयों में से इस बजट में कितने विद्यालयों के लिये जाने का प्राविधान किया गया है ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, प्रदेश में शासकीय विद्यालय में जूनियर हाईस्कूल विद्यालय की संख्या 2400 और हाई स्कूल की संख्या 256 है, यह पहले ही मैंने कहा था कि प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है उसने एक संस्तुति दिया है कि 25 जो हमारे हाईस्कूल हैं और 50 जूनियर हाईस्कूल हैं उनको दिया है जिसका वित्तीय भार डेढ़ करोड़ एक का पड़ेगा और डेढ़ करोड़ एक का पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

मान्यता तो देते हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

दो ही करोड़ दे दीजिये या एक ही करोड़ दे दीजिये कुछ तो शुरुआत कीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि कोई समय सीमा आप निर्धारित करेंगे, तो इस बारे में बता दें ।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बारे में हमें भी चिन्ता है और हमारी सरकार इस ओर प्रयास भी कर रही है । समिति की जो संस्तुति आयी है इस पर सरकार बड़ी तेजी से वित्तीय स्थिति को देखते हुये जो संसाधन हैं उसे देने का प्रयास कर रही है । समय सीमा का निर्धारण करना तो मुश्किल होगा । हम लोग इसे गम्भीरता से ले रहे हैं और हमारी चिन्ता भी है कि हम अशासकीय विद्यालयों के लिये कुछ न कुछ करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो भाग्यविधाता हैं और जो भविष्य का निर्धारण करते हैं उसके लिये यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही है हम इसके विरोध में जो हमारा प्रगतिशील मोर्चा है, सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(प्रगतिशील मोर्चे के सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गये)

प्रदेश में सबको समान शिक्षा के तहत मंहगे नर्सरी एवं कान्वेंट श्रेणी के विद्यालयों को बन्द किये जाने की मांग

*3- डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 'सबको समान शिक्षा' की नीति के अनुरूप मंहगे नर्सरी एवं कान्वेंट श्रेणी के विद्यालयों को बन्द करने की वर्तमान शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी-अपनी शिक्षण संस्थायें खोलने चलाने हेतु संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में दो तरह के विद्यालयों की चर्चा की है एक तो मंहगे नर्सरी और दूसरा कान्वेंट श्रेणी के । इन स्कूलों का सम्बन्ध अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों से नहीं हो सकता है । क्योंकि कोई भी निर्धन व्यक्ति इतने मंहगे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है । मैं चाहूंगा कि जो महगे नर्सरी विद्यालय आज खुल रहे हैं क्या इसको बन्द कराने की शासन की कोई नीति है । दूसरा यह है कि आपने सबको समान शिक्षा की बात कही तो इसके लिये सरकार क्या-क्यों व्यवहारिक कदम उठाने जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 'सबको समान शिक्षा' का जहां तक सवाल है जो हमारे कंट्रोल में है जिनको हम मान्यता देते हैं जैसे राजकीय और परिषदीय इसमें समान पाठ्यक्रम हैं और एक ही तरह का पढ़ाया जाता है । लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड हैं जैसे सी0बी0एस0सी0 और सी0एस0सी0 है यह स्वतंत्र हैं इसमें सैद्धान्तिक विचार तो हो सकते हैं लेकिन जो व्यावहारिक है, अगर हम यह तय कर लें कि हम अपने बच्चों को मंहगे नर्सरी या कान्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ायेंगे तो समस्या का हल हो सकता है । जो हमारे कन्ट्रोल में है, जिसको हम मान्यता देते हैं वहां पर तो समान पाठ्यक्रम है । लेकिन जहां तक मान्टेसरी स्कूलों को बन्द करने की बात है यह तो हम और डंग जी मिलकर तय कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को यहां पर नहीं पढ़ायेंगे ।

श्री दल बहादुर कोरी-

मान्यवर, एक तरफ तो यह समाजवाद का नारा देते हैं और दूसरी तरफ यह दोहरी नीति चला रहे हैं । एक दासी का बच्चा कैसे इतने मंहगे स्कूल में पढ़ सकता है ।

श्री अध्यक्ष-

आप भाषण न दें । अनुपूरक प्रश्न ही पूछें ।

श्री दल बहादुर कोरी-

मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि आज प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और अगर कहीं हैं तो वह पहुंचता नहीं है बताइये आप सामाजिक परिवर्तन किस तरह से करेंगे ।

श्री सुखदेव राजभर-

अगर हम पूरा कर लेंगे, 18 करोड़ जूनियर हाईस्कूल का है, 19-20 करोड़ हाईस्कूल का पड़ेगा । इस तरह से यह समिति की सिफारिश आयी है । 30 दिसम्बर, 1994 को समिति ने जो अपनी संस्तुति दी है, वित्तीय स्थिति को देखते हुये, उस पर विचार किया जा रहा है। जो संस्तुति दी है अभी विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

जो यह मान्यवर, अनुदानित सूची में जिन विद्यालयों को लेने की बात की गई है, जूनियर बालिकाओं के कितने हैं, माध्यमिक हाई स्कूल के कितने विद्यालय हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी बैठें ।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 1990-91 में 300 जूनियर के और 200 माध्यमिक के रह गये थे ।

श्री अध्यक्ष-

अभी बैठें ।

श्री सुखदेव राजभर-

इसके बाद जो मान्यता के होंगे, उसके बाद ही लेंगे, इसमें व्यतिक्रम नहीं किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो संख्या है अनुदान सूची की उस संख्या को बढ़ाने की क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ? दूसरे जो मानक दिये गये हैं ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय हैं उसके परीक्षाफल को भी देखते हुये उसको इसमें वरीयता दी जायेगी ? सरकार इसमें पुनर्विचार करने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अंचल के विद्यालयों को, जिन्होंने शर्तों के अभाव के कारण भी अपने छात्रों का परीक्षाफल सर्वश्रेष्ठ रखा है उनको वरीयता के आधार पर इसमें लेने पर विचार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यता जिसको हम देते हैं वह प्राइमरी स्टेज पर ही देखते हैं कि उनका परीक्षाफल क्या है ? उनके जो मानक हैं तो जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा परीक्षाफल कितना आ रहा है ? विद्यालय की क्या स्थिति है, इन 15-16 बिन्दुओं पर विचार करके मान्यता देते हैं । लेकिन प्रयास यही है कि जिनको पहले मिला है उनको लें ग्रामीण अंचलों के लिये ज्यादा प्रयास कर रहे हैं । चूंकि नगरीय क्षेत्रों में प्रणाली अच्छी है । जो वहां अशासकीय विद्यालय हैं और उनके जो लोग सेवा निवृत्ति के कगार पर हैं वे कष्ट में हैं लेकिन इसमें व्यतिक्रम न पड़े इसलिये 82 का ले लिया 83 का ले लिया 84 का ले लिया जायेगा । अगर व्यतिक्रम होगा तो असंतोष होगा कि मानक को तोड़ दिया । इसलिये जो हमारे यहां पंजीकृत संस्थायें हैं उनको पहले लिया जायेगा । ग्रामीण अंचलों के बारे में हम वैसे ही ज्यादा चिन्तित हैं उनकी वरीयता पर विचार किया जायेगा ।

श्री उदल-

हमारे प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा की जो व्यवस्था है उनका प्रतिशत कम है । समिति ने इस बात की संस्तुति की है कि उनकी अलग से सूची बनाकर उनको अनुदानित किया जाय । तो उस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर-

समिति के सुझावों का हम स्वागत करते हैं, वे विचाराधीन हैं अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुये बालिका शिक्षा का वास्तव में रेशियो कम है उस रेशियो को बढ़ाया जाय । यह हम सब चाहते हैं । उसमें अगर संस्तुति है तो उस संस्तुति को मानेंगे ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप देखें 50-50 रुपया लोग 10-10 साल से इन विद्यालयों में पा रहे है, उनको अनुदानित नहीं किया जा रहा है । धन को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है । यह कब तक विचाराधीन रहेगा । इसमें कोई समय सीमा निर्धारित करने हेतु मान्यवर, आप निर्देश देने का कष्ट करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, एक सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि 20 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा । 1984-85 के लिये तो मेरा कहना यह है कि यह कार्य पिछड़ा हुआ है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, दोहरी तिहरी शिक्षा नीति इस प्रदेश और देश में लागू है, यह स्वीकार करने में किसी सदस्य को हिचकिचाहट नहीं है । इसका यह उत्तर देना कि लोग नर्सरी और कान्वेंट के स्कूलों में बच्चों को न भेजें, जब तक अल्टरनेटिव बना रहेगा तो धनवान लोगों के बच्चे पढ़ते रहेंगे, जब तक एक पाठ्यक्रम और एक ही प्रकार की शिक्षा का वातावरण नहीं देंगे तब तक समान शिक्षा नीति की बात नहीं कर सकेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यहारिकरूप से सरकार इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर-

पहले ही बताया कि जिनको हम मान्यता दे रहे हैं, जैसे परिषदीय या राजकीय विद्यालयों में समान शिक्षा है । सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 केन्द्र के बोर्ड के अन्तर्गत हैं और इनकी व्यवस्था भारत सरकार करती है, वहीं इनको मान्यता देती है । हमने फिर भी प्रतिबन्ध किया है, हम उनको अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते हैं,

शुल्कों के लेन-देन में, कासन मनी एवं भवन शुल्क में भी प्रतिबन्ध किया है, उनके मानक निर्धारित हैं । प्रदेश सरकार के जो विद्यालय हैं, उनमें समान शिक्षा, पाठ्यक्रम एवं शुल्क की व्यवस्था है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बार-बार एक बात की आड़ ले रहे हैं सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों की । जबकि प्रश्नकर्ता ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है अगर माननीय मंत्री जी इन विद्यालयों को कम करने की बात नहीं करते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को हम सभी लोगों को बताने की कृपा करेंगे कि आज इन विद्यालयों में जो 400-500 रुपये के0जी0 से पहली दूसरी कक्षा के लिये ले रहे हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में एक रुपया आठ आने या निःशुल्क है तो क्या माननीय मंत्री जी उन विद्यालयों की मीटिंग करके फीस के दायरे को कम करने का प्रयास करेंगे ताकि गरीबों के बच्चे भी उन विद्यालयों में शिक्षा ले सकें ।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, नर्सरी विद्यालय जो मुझसे मान्यता प्राप्त हैं, वह 40 है, इसमें कहीं इस तरह का अन्तर नहीं है कि वह ज्यादा शुल्क लें, या पाठ्यक्रम भिन्न है । लेकिन जिनको हमने मान्यता नहीं दिया है, वह स्वयं चला रहे हैं, ऐसे विद्यालयों के ऊपर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है, उनकी अलग व्यवस्था है । ऐसे नर्सरी विद्यालयों में जो भीड़ लग रही है, अगर पहले हम लोग मन बना लें और हम अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में न पढ़ायें तो दूसरे जो गरीब लोग हैं, वह हमारा अनुकरण करेंगे ।

श्री दल बहादुर कोरी-

मान्यवर, नर्सरी और कान्वेंट स्कूल जनता को लूट रहे हैं कोई नियम कानून नहीं है.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें, मैंने अगले प्रश्न के लिये संसदीय कार्यमंत्री जी को बुला लिया है ।

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या एवं उसे कम करने के प्रयास

*4-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय में वर्तमान ग्रीष्मावकाश के पूर्व कुल कितने वाद लम्बित हैं ? इनमें से कितने ऐसे हैं, जिनके दायर होने की अवधि 10 वर्ष से भी अधिक हो गयी है परन्तु अभी उन पर निर्णय नहीं हुआ ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 26 मई, 1995 से प्रारम्भ हुआ। इस तिथि को 7,14,234 वाद लम्बित थे जिनमें से 1,44,530 वाद 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं जिन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक कहावत है कि अगर न्याय मिलने में विलम्ब होता है तो वह न्याय, न्याय नहीं रह जाता। मैंने यह सवाल जानबूझकर इसलिये पूछा था कि पूरा सदन इस ओर आकृष्ट हो, कि आज 7,14,234 वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं और जो 10 वर्षों से अधिक लम्बित वाद हैं, उनकी संख्या 1,44,530 है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी कार्य योजना है जिससे लोगों को अपने वाद का निर्णय जल्दी मिल सके। जजेज और पीठों को बढ़ाना तो राज्य सरकार के हाथ में है, वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इसलिये सरकार से जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी कार्ययोजना है जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। 7 लाख से अधिक मुकदमें लम्बित हैं और 10 साल से अधिक समय वाले करीब डेढ़ लाख मुकदमें हैं ताकि उनका निस्तारण जल्दी हो सके।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालयों में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के बारे में केन्द्र सरकार के स्तर से कई गोष्ठियां हुईं और उसमें इसके उपायों को खोजने के प्रयास भी किये गये। वैसे भी मान्यवर, इस बारे में अन्तिम निर्णय तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्र सरकार को आपस में मिल बैठकर करना होगा। राज्य सरकार तो इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार से परामर्श देने की स्थिति में नहीं है। यह सीधे-सीधे माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और केन्द्र सरकार के बीच में का मामला है। यह सही है कि काफी समय से मामले लम्बित हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि वादों के निस्तारण के लिये कम्प्यूटर द्वारा निरंतर इसकी समीक्षा भी हो रही है कि कितने वाद लम्बित हैं और कितनों का निस्तारण हो चुका है और कितने मुकदमें बढ़ गये हैं। हो सकता है कि श्री गुप्ता जी एक प्रश्न और आगे पूछें, उसके बारे में मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि 1986 में माननीय न्यायमूर्तियों की संख्या 62 थी परन्तु अब यह संख्या 70 हो गयी है। हमें उम्मीद है कि इससे भी वादों के निस्तारण में गति मिलेगी।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कम्प्यूटर मुकदमों का निस्तारण करेंगे। यह बड़े दुख की बात है कि 10 साल से डेढ़ लाख मामले लम्बित हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन लम्बित वादों के इस कारण को मानते हुये कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और इलाहाबाद में ही एक हाईकोर्ट है, इसलिये इसे विकेन्द्रित करते हुये इस हाईकोर्ट की बैंच, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही इस बैंच को स्थापित किये जाने का मामला लम्बित है और बार-बार यह कहा जाता है कि स्थान डिस्प्यूटेड है, को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिये सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत है, यदि हां, तो सहमत होने के बाद क्या सरकार इसकी स्थापना के लिये केन्द्र सरकार के साथ जो भी प्रयास हो सकते हैं वह करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यद्यपि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी यदि माननीय मंत्री जी के पास इसका उत्तर हो तो वह दे सकते हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह सही है कि पहले भी कई बार यह विषय इस आदरणीय सदन में आ चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ की स्थापना की जाय। कई बार पहले भी आदरणीय मंत्रि-परिषद् ने इस आशय के प्रस्ताव भी किये हैं लेकिन यह भी विषय पूरा-पूरा भारत सरकार और न्यायपालिका के अधीन है माननीय किरन पाल सिंह जी ने पूछा कि क्या सरकार मेरठ में खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में सहमत है (व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह-

स्थान का कोई डिस्प्यूट नहीं है यह केवल बहाना है।

श्री उदल-

उच्च न्यायालय की बैंचें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के बारे में माननीय सदन में कई बार प्रस्ताव किये हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन भी आये तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार पुनः याद दिलायेगी और इस संबंध में कोई पत्र लिखेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इस संबंध में एक जसवन्त सिंह आयोग ने भी गहन समीक्षा करके, अध्ययन करके प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव की ठीक से समीक्षा की गई उसमें

भारत सरकार ने कुछ बिन्दुओं पर जानकारी चाही है । उस जानकारी में अग्रेतर कार्यवाही करने के लिये इस मामले में आम सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तथा अधिवक्ताओं ने विभिन्न वर्गों से चर्चा करने की अपेक्षा की गई तो भारत सरकार के इस सुझाव के बाद राय प्राप्त की जा रही है लेकिन इस बारे में कोई ठोस जानकारी देना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह -

श्रीमन्, दो छोटे-छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं । 1-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने के संबंध में सिद्धान्ततः सभी की सहमति बन चुकी है इस संबंध में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को पहुंच चुकी है पता नहीं केन्द्र सरकार क्यों हीला हवाली कर रही है तो क्या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार पर इस बात का दबाव डालकर आग्रह करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, में यथाशीघ्र बेंच की स्थापना हो जाये ? 2-क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी कि इतने अधिक मुकदमें 10 वर्षों से लम्बित हैं इसे देखते हुये न्यायाधीशों की संख्या कम है इसे बढ़ाने और तत्काल नियुक्त करने के लिये केन्द्र सरकार से बात करेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित -

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इस मामले में जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया गया था उसकी टिप्पणी और मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ आन्दोलन हुये कि वहां खण्डपीठ की स्थापना की जा रही है तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधान मंत्री ने 23 मई, 94 को एक पत्र लिखा था उन्होंने जानना चाहा था कि उचित होगा कि इस मामले में आम सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर लें इसके अलावा उच्च न्यायालयों की खण्डपीठों की स्थापना के संबंध में जसवंत सिंह आयोग के सामान्य टिप्पणियों/मापदण्डों को मद्देनजर रखते हुये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु एक से अधिक खण्डपीठ की स्थापना की सम्भावना का भी पता लगाकर विचार कर लें । इस बारे में राज्य सरकार ने वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिये एक पत्र सरकार ने भेज दिया है उनका अभिमत प्राप्त होते ही भारत सरकार से अनुरोध कर लिया जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह -

इतने लम्बित मामलों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का सरकार ने आग्रह किया या नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इस बारे में हमने पहले निवेदन किया माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध करने का जहां तक संबंध है माननीय हाईकोर्ट स्वयं सक्षम है वही वैधानिक संस्था है सीधे उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिये कहें यह कदाचित उचित नहीं होगा । न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मामला माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के बीच का है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर प्रदेश को यह अधिकार है कि अपनी आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार से अनुरोध करे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि बढ़े हुये मुकदमों के आधार पर आग्रह करना है । लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी एक स्थान पर, सम्भवतः सारी कठिनाई बैंच न बनने की कठिनाई है और केवल स्थानों के संबंध में विवाद चल रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को ध्यान में रखते हुये क्या उत्तर प्रदेश की सरकार किसी एक स्थान को चयनित करके भारत सरकार को सूचित करेगी, कि अमुक स्थान पर बैंच की स्थापना की जाय और वह स्थान कौन सा होगा ?

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, श्री तिवारी जी के प्रश्न के साथ मेरा भी प्रश्न जोड़ लें और मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार को विगत महीने में पत्र लिखा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशविरा कर लें । क्या प्रदेश सरकार यह मानते हुये कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गई है और निर्णय आ चुका है तो चीफ जस्टिस से सलाह मशविरा करना आवश्यक-अनावश्यक बात है इसे ध्यान में रखते हुये क्या सीधे केन्द्र सरकार को प्रदेश सरकार पत्र लिखेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी एक स्थान पर, चूंकि स्थान का कोई विवाद नहीं है यह तो एक बहाना है, बैंच की स्थापना की जाय ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 4 सितम्बर, 1981 को एक संकल्प द्वारा भारत सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया था और उसने इस बारे में विस्तार से विचार करते हुये, पहली बात तो मेरठ की चल रही थी लेकिन आयोग ने खण्डपीठ की स्थापना आगरा में करने की सिफारिश किया था और आयोग

ने यह सुझाव दिया कि मुरादाबाद मण्डल तथा बरेली मण्डल को लखनऊ खण्डपीठ के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय तथा प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर जनपदों को लखनऊ खण्डपीठ से असम्बद्ध कर इलाहाबाद, उच्च न्यायालय से सम्बद्ध कर दिया जाय । इस प्रकार का विभाजन वादों की संख्या एवं दूरी को ध्यान में रखकर किया गया । जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 30 अप्रैल, 1985 को प्रस्तुत की और 1985 से यह रिपोर्ट भारत सरकार के पास रही । यदि भारत सरकार चाहती चूंकि इसके द्वारा यह आयोग बनाया गया था लेकिन भारत सरकार की तरफ से 30 अप्रैल, 1985 से लेकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस बीच आगरा का नाम आ गया था और अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ता भी अपने-अपने क्षेत्रों में खण्डपीठ की स्थापना करने के लिये आन्दोलन करने लगे और जिससे न्यायालय में अव्यवस्था पैदा हुई । इसलिये इस मामले में भारत सरकार ने फिर से एक पत्र लिखा जिसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । यह सन् 85 का मामला था आयोग ने अपनी रिपोर्ट 23 मई, 1994 को प्रधान मंत्री को दी जिसमें वहां से उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी गई । उसमें उन्होंने कहा था कि एक खण्डपीठ स्थापित करने के सवाल पर कठिनाइयां हैं, इसलिये आप एक से अधिक खण्डपीठ स्थापित करने पर विचार कर लें । जिसमें अपनी सरकार का और मुख्य न्यायाधीश का निर्णय लेकर हमें भेजें । उस पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है । किन्तु एक स्थान के लिये अलग से लिखा जाय, वह ठीक नहीं है । तो जहां से होना चाहिये वहां से ढिलाई है और वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण इस विषय में पूरी तरह से साफ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक यह वादों के बढ़ने और जल्द निस्तारण न होने के बहुत से कारण हैं । वहां एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अधिकांश केंसों में भारत सरकार भी एक पक्ष होती है और उसमें सरकारी अधिवक्ता को सरकार से इन्स्ट्रक्शन मिलने चाहिये और यह हो जाय तो उनके निर्णय सही समय पर हो जायें जिससे कान्टेम्ट के केसेज नहीं होने पायेंगे । तो समय पर प्रति शपथ-पत्र दिया जाय और समय पर इन्स्ट्रक्शंस दे दिये जायें और सरकार उन निर्णयों के सन्दर्भ में अपना निर्णय शीघ्र कर ले जिससे कान्टेम्ट के मामले वहां न जाने पायें । तो यह सीधा सीधा प्रदेश सरकार का प्रकरण है, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि इन बातों के कारण जो वाद बढ़ सकते हैं उनको रोकने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

सरकार के पास जो मुकदमों की तादात बढ़ गई है क्योंकि हमारी सरकार के अधिवक्तागण अपना हलफनामा लगाने में देर करते हैं, इस प्रकार की ऐसी कोई सूचना

हमारे पास नहीं है । यदि उनके पास ऐसी कोई सूचना हो कि किसी खास वाद में अधिवक्ता ने इस तरह की कोई ढ़िलाई की है और उसकी वजह से कोई वाद देर तक लम्बित रहा होगा तो मैं उनसे विचार विमर्श कर लूंगा और कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री ऊदल-

क्या मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे कि अलग खण्डपीठ उच्च न्यायालय की स्थापित करने के विरोध में उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्तागण और बहुत से अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में हड़ताल की थी और उसका विरोध किया था । यदि हां, तो क्या सरकार स्वयं ऐसा निर्णय लेकर भारत सरकार को बतायेगी कि प्रदेश सरकार स्वयं एक खण्डपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, खण्डपीठ की स्थापना का जो अधिकार है, इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण साफ है और वकीलों की हड़ताल की वजह से कोई नीतिगत परिवर्तन आया हो जिसमे चलते भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन आया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है । इतना अवश्य है कि अधिवक्तागण बहुत विद्वान हैं इसलिये उनकी भी राय का महत्व होता है । उसको भी विचार में लिया गया होगा, लेकिन उसकी वजह से कोई ढिलाई नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ ।

श्री रवीन्द्र प्रताप शुक्ल-

अभी एक मिनट बाकी है, इतने समय में एक प्रश्न और ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट तो उत्तर पढ़ने में लग जायेगा. . . .(व्यवधान) ठीक है तारांकित.

प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य हेतु ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट

*5-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को कृषि कार्यों हेतु कर्ज लेने के लिये रेहना नामा लिखा जाता है जिस पर 72/-प्रति हजार की दर से स्टाम्प अदा करना पड़ता है । यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिये उक्त स्टाम्प को कम करके हरियाणा व राजस्थान की तरह से कुल 100/-करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

कृषि ऋण की अदायगी के लिये यदि किसान अपनी अचल सम्पत्ति जमानत के रूप में ऋणदाता के पक्ष में बंधक रखता है तो उसे रेहननामा निष्पादित करना होता है ।

उक्त विलेख पर स्टाम्प शुल्क का दर रुपये 72.00 प्रति हजार नहीं है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 40 में रेहननामा पर स्टाम्प की देयता प्राविधानित है। यह सूच्य है कि कृषक सामान्यतः कृषि ऋण हेतु रेहननामा (बिना कब्जा) निष्पादित करते हैं जिस पर लगभग 62.50 प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय है।

उल्लेखनीय है कि किसानों द्वारा बैंक से बीस हजार रुपये से अनधिक कृषि ऋण लेने विषयक रेहननामा पर प्रभाय स्टाम्प शुल्क से छूट उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को अपनी भूमि का विकास करने के लिये ऋण उपलब्ध हो सके उसके लिये रेहननामा का 100 रुपया लमसम स्टाम्प देने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 62.30 रुपये प्रति हजार की दर से बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर हरियाणा और राजस्थान की तरह लमसम करेंगे तो कितना रुपया अधिभार सरकार पर होगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने इसे हरियाणा की तरह करने की बात कही है। श्रीमन्, इस मद से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है और उसमें करोंड़ो विकास कार्य के होते हैं।

श्री किरन पाल सिंह-

आप किसान के कल्याण की बात सोचेंगे कि आमदनी की।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, किरन पाल सिंह जी ने बीच में बात कही। श्रीमन्, 20 हजार रुपये तक के ऋण पर सरकार ने पहले से छूट दे रखी है। 20 हजार तक पर स्टैम्प नहीं लगता है, उसके ऊपर लगता है। हरियाणा की तरह करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ। +

नोटः- + तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना हेतु विचार-विमर्श जारी

*6-श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री रमेश कान्त लवानियां-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवंत सिंह आयोग की संस्तुति के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या इस विषय पर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के बीच विचार हुआ है ? यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय हो सका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु जसवंत सिंह आयोग की संस्तुति पर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने विचार विमर्श किया और वर्तमान मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से उनका अभिमत प्रतीक्षित है।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान का भुगतान

*7-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विद्यालयों से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम के तहत वेतन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों के समान इन्हें मान्यता देकर वेतन वितरण न करने का क्या कारण है ? संस्कृत विद्यालयों को दिया जाने वाला अनुरक्षण अनुदान विगत कितने वर्षों से नहीं दिया जाता है ? इस वित्तीय वर्ष से भुगतान की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

संस्कृत के प्राथमिक विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें पृथक नियमों के तहत पृथक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

वर्ष 1994-95 तक का अनुरक्षण (पोषण) अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुरक्षण (पोषण) अनुदान हेतु धन उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के कार्य अधीक्षक, विद्या भूषण एवं अवर अभियन्ता एल0एन0 लाल लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध कथित शिकायत की जांच

*8-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के तत्कालीन कार्य अधीक्षक, विद्या भूषण एवं अवर अभियन्ता एल0एन0 लाल, लोक निर्माण विभाग महराजगंज के विरुद्ध तत्कालीन प्रशासन उ0प्र0 को श्री भीम प्रताप सदस्य, कांग्रेस (आई) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 14-5-93 को 28 लाख रुपया फर्जी भुगतान करने के संबंध में पत्र दिया था जिसकी प्रतिलिपि पंजीकृत पत्र संख्या 1120, 1121, 1122 द्वारा सचिव एवं प्रमुख अभियन्ता लखनऊ को भी भेजी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायती पत्र एवं जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

यथा-शिकायती पत्र के आरोप तथा अनुपूरक जांच रिपोर्ट का विवरण निम्नवत् है :-

(1) श्री विद्याभूषण, कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0 महराजगंज द्वारा दिनांक 4-5-93 को फर्जी रूप से 28 लाख रु0 सरकारी धनराशि का भुगतान बिना कार्य किये हुये कर दिया गया ।

जांच रिपोर्ट में यह आरोप स्थापित नहीं पाया गया ।

(2) फरेन्दा महराजगंज निचलौल रोड पर फर्जी वर्क आर्डर दिखा कर चेक काटा गया है । जांच रिपोर्ट में यह आरोप निराधार पाया गया ।

(3) नदुआ से सोनरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर पिच रोड एवं पुलिया के निर्माण कार्य में विशिष्टियों के अनुसार कार्य न कराकर फर्जी भुगतान किया गया ।

जांच रिपोर्ट में यह आरोप निराधार पाया गया ।

(4) रामनगर गोपी बांध होते हुये पी0डब्लू0डी0 मार्ग खुटहा पनियरा पी0डब्लू0 डी0 मार्ग जो सड़क जोड़ती है उस पर पिच रोड निर्माण कार्य में अनियमिततायें की गई ।

जांच रिपोर्ट में यह आरोप स्थापित नहीं पाया गया ।

(5) कार्य अधीक्षक द्वारा दिनांक 25-5-93 को जो निविदा मांगी गई थी उस निविदा के अन्तर्गत कौन सा निर्माण कार्य कराया गया और कितनी धनराशि खर्च की गई ।

जांच रिपोर्ट में यह आरोप स्थापित नहीं पाया गया है ।

(6) कार्य अधीक्षक श्री विद्याभूषण द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों के द्वारा ही निर्माण कार्य कराया जाता है ।

जांच रिपोर्ट में यह आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालय नासिक से फैजाबाद आने वाले स्टैम्पों की चोरी से संबंधित स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही

*9-श्री परशुराम यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय मुद्रणालय नासिक इलाहाबाद से जिला फैजाबाद आने वाले स्टाम्पों में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी का मामला वर्ष 1992-93 में जिला प्रशासन फैजाबाद के संज्ञान में आया था और जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रपट दर्ज कराने सहित प्रशासनिक जांच की जा रही थी ? यदि हां, तो इस स्टाम्प चोरी प्रकरण में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में हुई प्रशासनिक जांच में कोषागार, फैजाबाद के कर्मचारी श्री राम प्रताप तिवारी, मुख्य रोकड़िया, श्री राम सेवक सिंह, उप रोकड़िया, श्री राम गोपाल सिंह, सहायक रोकड़िया, श्री राम कुमार यादव, सहायक रोकड़िया, श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, सहायक लेखाकार व तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री संकठा प्रसाद को दोषी पाया गया था ।

सर्वश्री राम प्रताप तिवारी, मुख्य रोकड़िया को सेवा से हटाया गया और राम सेवक सिंह, उप रोकड़िया, राम गोपाल सिंह, सहायक रोकड़िया, राम कुमार यादव, सहायक रोकड़िया एवं दिनेश चन्द्र मिश्र, सहायक लेखाकार को सेवा से पृथक कर दिया गया । तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्री संकठा प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उनको दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया है और दण्डादेश पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की सहमति मांगी गयी जो अभी प्राप्त नहीं हुई है । उक्त सहमति के प्राप्त होते ही आवश्यक दण्डादेश जारी कर दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश में लाटरी से एक वर्ष में हुई आमदनी एवं अध्यादेश के तहत प्रतिबन्ध

*10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में उत्तर प्रदेश में लाटरी से कुल कितनी आमदनी हुई ? क्या मुख्य मंत्री अपनी की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश में लाटरी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरियों से वर्ष 1994-95 में रु0 72.81 करोड़ की शुद्ध आमदनी हुई है ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 जो दिनांक 28-4-95 को जारी हुआ है, दिनांक 15-6-95 से प्रभावी हो गया है। इसके द्वारा प्रदेश में सभी निजी लाटरियां निषिद्ध कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त गृह विभाग ने भी जिलाधिकारियों को धारा 144 द0वि0सं0 का प्रयोग कर सिंगिल डिजिट लाटरियों को प्रतिबन्धित करने का परामर्श दिया है।

प्रदेश में कृषकों को कृषि ऋण हेतु स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था

*11-श्री तीरथ राज-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश का कृषक ट्रैक्टर क्रय करने हेतु कृषि ऋण लेने के लिये अपनी भूमि बंधक रखने के साथ ही 62.50 प्रति हजार की दर से स्टाम्प फीस भी देता है? यदि हां, तो कार्मार्शियल ऋण जैसे ट्रक वगैरह क्रय करने हेतु दिये जाने वाले ऋण के लिये भी स्टाम्प फीस ली जाती है? यदि नहीं, तो कृषकों से कृषि ऋण (ट्रैक्टर क्रय करने हेतु) के लिये यह प्राविधान कब तक समाप्त किया जायेगा।

सुश्री मायावती-

जी हां। यदि कृषक ट्रैक्टर क्रय करने हेतु कृषि ऋण लेने के लिये अपनी भूमि किसी बैंक के पक्ष में साधारण बंधक बिना कब्जा रखता है और ऋण की धनराशि 20 हजार रुपये से अधिक है तो उस विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1-बी के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय है। स्टाम्प शुल्क का यह दर मोटे तौर पर रु0 62.50 प्रति हजार है।

जी हां। यदि ऋण ग्रहीता अपनी भूमि/भवन ऋणदाता के पक्ष में साधारण बंधक रखता है तो स्टाम्प शुल्क नियमानुसार देय होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन भुगतान के आदेश पर कार्यवाही

*12-श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)-

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0प्र0 शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन माह नवम्बर, 1994 से सरकारी खजाने से भुगतान करने का आदेश किया था? क्या यह सही है कि महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को माह अक्टूबर, 1994 के माह मार्च, 1995 तक पेंशन का भुगतान न किये जाने के कारण भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो कब तक उक्त पेंशन का भुगतान शिक्षकों को कर दिया जायेगा?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

मार्च, 1995 तक प्राप्त पेंशन के प्रकरणों में से 2432 पेंशनरों के कोषागार से पेंशन भुगतान के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा शेष 95 प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बलिया में मांझीपुल के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

*13-श्री दीनानाथ चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत मांझीपुल का निर्माण उनके विभाग द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो उस पर कितना खर्च अब तक हो चुका है? कितना खर्च होने का प्रस्ताव है? क्या यह सही है कि कुछ कार्य शेष है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सेक्टर से धन देकर उक्त शेष कार्य को पूरा कराने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां। कार्य प्रगति पर है।

माह 6/95 तक सेतु निर्माण पर उ0प्र0 सेतु निगम द्वारा रु0 807 लाख व्यय किया गया है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर सेतु एवं गाइड बन्ध के निर्माण पर कुल रु0 1954 लाख व्यय होने का अनुमान है।

जी हां, लगभग 60 % कार्य अवशेष है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की योजना

*14-श्री अखिलेख कुमार सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने की कोई कार्य योजना सरकार बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक लागू कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सुखदेव राजभर-

अनिवार्य शिक्षा कार्य योजना सम्प्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है। निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य शिक्षा लागू करना व्यवहारिक नहीं है।

परिवारिक न्यायालय में सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दायर वादों को कम करने हेतु पुलिस रिपोर्ट एवं डाक्टरी रिपोर्ट की अनिवार्यता की मांग

*15-श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय तथा श्री राम खेलावन-

क्या सरकार पारिवारिक न्यायालय में सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत दायर वादों के भार कम करने के लिये पुलिस रिपोर्ट एवं डाक्टरी रिपोर्ट होना अनिवार्य किये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी मुकदमों में जहां उपरोक्त औपचारिकतायें नहीं पूरी की गईं को लोक अदालत में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पारिवारिक न्यायालय में सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दायर वादों में पुलिस रिपोर्ट एवं डाक्टरी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है । अतः उन्हें अनिवार्य करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ऐसे वाद लोक अदालत द्वारा वर्तमान में भी निस्तारित किये जाते हैं ।

अतारांकित प्रश्न

लोक निर्माण विभाग बलिया में वर्कचार्ज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

1-श्री बच्चा पाठक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेश से अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान (वर्कचार्ज) में लगातार तीन वर्ष तक सेवा पूर्ण करने वाले कार्यरत अमीनों, वर्क एजेन्ट, मेट, बेलदार, चौकीदार, मल्लाह आदि पदों पर नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखे जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय को नियमित करने का अधिकार सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद बलिया में उपरोक्त अन्य पदों के अलावा वर्क एजेन्ट पदों पर कार्यरत वर्ष 1978 से अब तक कितने पदों को नियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के क्रमोत्तर कक्षाओं एवं राजकीय आदर्श विद्यालयों की संख्या एवं स्थिति की जानकारी

2-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने क्रमोत्तर विद्यालय एवं कितने राजकीय आदर्श विद्यालय हैं ? क्या सरकार इन क्रमोत्तर विद्यालयों एवं

राजकीय आदर्श विद्यालयों को परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में बदलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रदेश में क्रमोत्तर कक्षाओं की संख्या 2289 है, तथा राजकीय आदर्श विद्यालयों की संख्या 104 है ।

क्रमोत्तर कक्षायें शनैः शनैः परिषदीय जूनियर स्कूलों में परिवर्तित किये जा रहे हैं । राजकीय आदर्श विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रोक्टिसिंग स्कूल के रूप में चलाये जा रहे हैं ।

प्रदेश के बेसिक पाठशालाओं के अध्यापकों के नियुक्ति के प्राविधान

3-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक बेसिक पाठशाला में सरकार दो अध्यापकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? क्या यह सम्भव है कि पांच कक्षाओं को एक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक की नियुक्ति की जाये ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर-

पूर्व में ही परिषद् द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक नियुक्त करने के निर्देश हैं ।

जी नहीं ।

प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा हेतु एक अध्यापक के स्थान पर 40:1 छात्र/अध्यापक के अनुपात के अनुसार स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत अध्यापक नियुक्त किये जाने का प्राविधान है । तदनुसार अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रोक के बावजूद कथित नियुक्तियां

4-श्री नन्द किशोर-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1992 से नियुक्तियों पर रोक लगी है ? यदि हां, तो क्या रोक लगने के बावजूद जनपद महराजगंज में माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में और कितनी ? क्या नियुक्तियों की सहमति (वित्तीय अनुमोदन) देने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरवंश सहाय भूतपूर्व विधायक एवं प्रवक्ता इण्टर कालेज भाटपार रानी देवरिया के अवैध निष्कासन की शिकायत

5-श्री शिवराम सिंह कुशवाहा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरवंश सहाय भूतपूर्व (एम0एल0ए0) प्रवक्ता मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के अवैध निष्कासन के संबंध में श्री मुक्तिनाथ यादव, विधायक का पत्र संलग्नक सहित दिनांक 21-3-95 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त आख्या पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

6-श्री शिवराम कुशवाहा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिवंश सहाय (भूतपूर्व एम0 एल0 ए0) प्रवक्ता मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के पत्रांक 1942/93-94, दिनांक 9-7-93 के निर्देशों का अनुपालन वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा राज्य मंत्री ने दिनांक 8-5-95 को जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया को निर्देशित किया है ? यदि हां, तो शिक्षा राज्य मंत्री के आदेश दिनांक 8-5-95 का पालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7-श्री शिवराम कुशवाहा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा राज्य मंत्री उ0प्र0 ने अपने पत्रांक 619 वीआई0पी0/राम0मं0 शिक्षा/95 दिनांक 8-5-95 के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को आदेश दिया था कि श्री हरवंश सहाय प्रवक्ता मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी जिला देवरिया को कालेज में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय ? यदि हां, तो कब इसका पालन किया गया ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8-श्री शिवराम कुशवाहा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिवंश सहाय (भूतपूर्व एम0एल0 ए0) प्रवक्ता, मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया को अवैधानिक ढंग से माह अगस्त, 1991 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था ? क्या इनके बर्खास्तगी को जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने अपने पत्रांक 1942/93-94 दिनांक 9-7-93 को अवैध करार दिया तथा आदेश दिया कि सेवा में रखा जाय तथा बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के आदेश दिनांक 9-7-93 का पालन कब कर दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया द्वारा कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश प्रबन्धक को दिये गये परन्तु प्रबन्धक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया ।

सम्पूर्ण प्रकरण शासन में विचाराधीन है ।

जनपद रायबरेली में बछरावां-लालगंज रोड पर बरदर सम्पर्क मार्ग को डामर रोड बनाने की मांग

9-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली मे बछरावां-लालगंज रोड पर बरदर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर केवल पत्थर आदि डाले गये थे अब तक पूरी तरह बह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को तत्काल ठीक कराकर डामर रोड बनारे का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 1982-83 में कराया गया ।

जी हां, 0.825 कि0मी0 में पत्थर की सोलिंग तथा 2.175 कि0मी0 में कंकड की सोलिंग की गई थी ।

जी नहीं ।

मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है ।

मार्ग का ठीक कराया जाना तथा डामर रोड बनाया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0-2 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत टी0एण्ड पी0 का विवरण

10-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0-2 लो0नि0

वि0 लखनऊ में माह अगस्त, 1994 सेपहले खण्डीय स्टोर में कितना टी0एण्ड0पी0 थी एवं कितनी टी0एण्ड पी0 माह अगस्त, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक किन-किन फर्मों से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी धनराशि की ली गई तथा खण्डीय स्टार से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी मात्रों में कब-कब जारी किया गया ?

सुश्री मायावती-

अनुलग्नक-1 व अनुलग्नक-2 के अनुसार ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 134-138 पर)

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0-2 लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा किये गये तारकोल की जांच की मांग

11-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0-2 लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा माह जुलाई, 1994 से मार्च, 1995 तक कितना तारकोल टैंकर मथुरा रिफाइनरी एवं लखनऊ स्थित अन्य विभागीय खण्डों से लिया गया ? क्या लाखों रुपये का तारकोल खण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बेंच दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती-

मथुरा रिफाइनरी से 197.34 मै0टन तथा लखनऊ स्थित अन्य खण्डों से 48.576 मै0टन तारकोल किया गया है ।

जी नहीं ।

जांच का आधार होने पर जांच कराई जा सकती है ।

जनपद बलिया के ऐतिहासिक तट खैराघाट और बेल्थरा घाट को पर्यटन विकास की कथित योजना

12-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अंतर्गत घाघरा नदी के ऐतिहासिक तट खैराघाट व बेल्थरा घाट के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ के टिकैतराय आवासीय कालोनी में लोक निर्माण विभाग के तैनात कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

13-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय आवासीय योजना (एल0डी0ए0) लखनऊ फेस-3 में लोक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी व अधिकारी तैनात हैं और कितने-कितने दिनों से हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवंटी कर्मचारियों द्वारा की जा रही शिकायत पंजिका को नजरअंदाज पर कोई कार्य नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सारे स्टाफ को बदल कर लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अखोप माइनर का लेपन कार्य

14-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माइनर से निकला नहर जो कुण्डेल तक जाकर मिलती है, पर कुछ लेपन का कार्य हो चुका है तथा अनुसूचित जाति बस्ती वाले क्षेत्र के आस पास से शेष लेपन का कार्य छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार शेष 2 कि0मी0 मार्ग के लेपन का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 2 कि0मी0 का ही कार्य लेपर स्तर तक स्वीकृत था, जो पूर्ण हो चुका है।

अवशेष 2 कि0मी0 में लेपन का कार्य स्वीकृत नहीं है जिसका लेपन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद पडरौना के हाटा-कप्तानगंज मार्ग में हरपुर के पास मौन नाले पर पक्का पुल बनाने की मांग

15-श्री अम्बिका सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना जनपद के हाटा-कप्तानगंज मार्ग में हरपुर के पास मौन नाले पर बना लकड़ी का पुल जर्जर एवं काफी क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग जो तहसील मुख्यालय को जोड़ता है, उस पर पक्का पुल बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यह कहना सही है कि लकड़ी का पुल काफी पुराना है परन्तु यह कहना सही नहीं है कि पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि पुल आवश्यक मरम्मत के साथ यातायात हेतु सुलभ है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई राम कोला, पडरौना के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के देयों का भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

16-श्री अम्बिका सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई रामकोला, जनपद पडरौना खेतान में शासकीय अदाता (रिसीवर शिप) कार्यकाल में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी अवकाश ग्रहण किये थे? शासकीय अदाता कार्यकाल में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों से कितने कर्मचारियों का ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कर दिया गया है तथा कुल कितने कर्मचारी ग्रेच्युटी आदि का बकाया भुगतान से अभी तक वंचित हैं? जिन कर्मचारियों का ग्रेच्युटी बाकी है उनका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

सुश्री मायावती-

शासकीय आदाता (रिसीवर शिप) के कार्यकाल दिनांक 4 मार्च, 1970 से दिनांक 24-6-1979 तक खेतान चीनी मिल के 187 कर्मचारियों/अधिकारियों ने अवकाश (सेवा निवृत्त) ग्रहण किया है।

कुल 187 कर्मचारियों/अधिकारियों में से 102 का भुगतान हुआ है तथा 85 कर्मचारियों का भुगतान अवशेष है। उत्तर प्रदेश चीनी मिल (अधिग्रहण) अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अधिग्रहण के पूर्व की देनदारियों का उत्तरदायित्व निगम का नहीं है। अधिग्रहरण के पूर्व के कर्मचारियों की समस्त देनदारियों का भुगतान मिल अधिग्रहण हेतु देय प्रतिकर की धनराशि से विहित प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार करने की व्यवस्था है।

विधान सभा क्षेत्र मुरादनगर गाजियाबाद में सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धन एवं उसका विवरण

17-श्री प्रेम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मुरादनगर जनपद गाजियाबाद में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में कितना धन किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित हुआ था? आवंटित धन से कितना कार्य हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मायावती-

वर्ष 1993-94 व 1994-95 में संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न मार्गों पर निर्माण हेतु क्रमशः रु0 24.72 लाख व रु0 9.83 लाख का आंवटन प्राप्त हुआ ।

आवंटित धनराशि से कुल कार्य निम्नवत् हुये :-

वर्ष	मिट्टी कि0मी0	पुलिया	प्रथम सतह कि0मी0	मध्य सतह कि0मी0	ऊपरी सतह कि0मी0	प्रथम सतह लेपन कि0मी0	द्वितीय सतह लेपन कि0मी0
93-94	2.00	5 नं0	0.200	6.25	7.75	5.75	12.35
94-95	-	-	4.400	1.00	2.00	2.00	2.700

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 139-142 पर)

विधान सभा क्षेत्र उत्तरी इलाहाबाद को पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत आवंटित धन एवं उसका विवरण

18- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र उत्तरी इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में सरकार द्वारा कितना धन किन-किन कार्यों हेतु अवमुक्त किया गया ? क्या सभी कार्य पूर्ण हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रस्तावित कार्यों हेतु सरकार ने धन किस तारीख को अवमुक्त किया ?

सुश्री मायावती-

विधान सभा क्षेत्र उत्तरी इलाहाबाद को पूर्वांचलन विकास निधि योजनांतर्गत वर्ष 1991-92 में रु0 9.90 लाख वर्ष 1992-93 में रु0 15.00 लाख, वर्ष 1993-94 में रु0 35.859 लाख तथा 1994-95 में रु0 13.66 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई ।

कार्यों एवं उसके सापेक्ष अवमुक्त धन तथा कार्य पूर्ण/अपूर्ण की कारण सहित स्थिति संलग्न है ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रस्तावित कार्यों हेतु धन 31 मार्च, 1995 को अवमुक्त किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 143-149 पर)

जनपद बांदा में बी0टी0सी0 की नियुक्तियों में कथित धांधली की शिकायत पर जांच परिणामों की जानकारी

19-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बांदा में बी0टी0सी0 की नियुक्तियां दिनांक 23-12-1994 को की गई हैं ? यदि हां, तो नियुक्तियों में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा के द्वारा अनियमिततायें बरतने की जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक 19-12-94 के साथ श्री राम मोहन, अध्यक्ष बी0टी0सी0 बेरोजगार शिक्षक संघ बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र पर जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जी हां ।

अभ्यर्थियों के निवास प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को जांच हेतु प्रेषित किये । जिन अभ्यर्थियों के निवास प्रमाण-पत्र जांचोपरान्त सही पाये गये उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर, ग्राम गुरहे में जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

20-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गुरेह ब्लाक बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा में बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये एक नया जूनियर हाई स्कूल खोलने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक 146/94 दिनांक 21-12-94 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या नवीन विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

ग्राम गुरेह ब्लाक बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा में एक जूनियर हाईस्कूल पहले से ही संचालित है । निर्धारित मानक के अनुसार 3.0 किलो मीटर की दूरी और 800 की आबादी पर एक जूनियर हाईस्कूल खोले जाने का प्राविधान है ।

विनोवा इण्टर कालेज कमासिन, जनपद बांदा में अध्यापकों की नियुक्तियों में कथित धांधली की शिकायत पर जांच की मांग

21-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विनोवा इण्टर कालेज, कमासिन जनपद बांदा में अध्यापकों की नियुक्तियों में व्यापक धांधली एवं अनियमिततायें बरती गई हैं ?

क्या प्रश्नकर्ता का पत्रांक 326/95 दिनांक 22-03-1995 के साथ श्री शिव भूषण निवासी ग्राम बाबू पुरवा पो0 कमासिन जनपद बांदा का पत्र अनियमितताओं की जांच कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित प्रकरण पर जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्तियों में कथित धांधली की शिकायत पर जांच

22-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 165/94 दिनांक 28-12-94 के साथ श्री जयकरन सिंह एड्वोकेट, उपाध्यक्ष जिला सहकारी संघ लि0 बांदा का संलग्न प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी जनपद बांदा को जांच कराने हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा बी0टी0सी0 बेरोजगार बांदा जनपद के छात्रों को छोड़कर अन्य बाह्य जनपदों के छात्रों को फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी नियुक्तियों की जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

निवास प्रमाण पत्रों की जांच कराने हेतु जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सभी उप जिलाधिकारियों को प्रमाण-पत्र प्रेषित किये गये । जांचोपरान्त प्रमाण-पत्र सही पाये जाने पर ही नियुक्तियां की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक विद्यालय नाई ब्लाक महुआ जनपद बांदा में तैनात अध्यापकों की कथित शिकायत पर जांच

23-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रा0वि0नाई ब्लाक महुआ जनपद बांदा में तैनात समस्त अध्यापक अपनी ड्यूटीयों से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 138/94 दिनांक 18-12-94 दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जांच कराई गई तथा जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम सभा पुनाहुर ब्लाक बिसण्डा जनपद बांदा में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

24-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पुनाहुर ब्लाक बिसण्डा जनपद बांदा में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक मेमो 28-2-1995 के साथ बालकृष्ण गौतम ग्राम पुनाहुर ब्लाक बिसण्डा जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (विश्व बैंक) बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र पर नवीन विद्यालय खोलने की कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

ग्राम सभा पुनाहुर में पहले से ही दो प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं । अतः निर्धारित मानक के आधार पर नवीन विद्यालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्राथमिक विद्यालय निम्नीपार नगर बांदा में अध्यापकों द्वारा अवैध धन वसूली की शिकायत की जांच

25-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रा0वि0 निम्मीपार, नगर बांदा जनपद बांदा में गरीब बच्चों से नाजायज तरीके से 50/-रुपये प्रति छात्र की दर से वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक मेमो दिनांक 30-4-1995 के साथ श्री बच्चूलाल यादव पूर्व सभासद निम्मीपार, नगर बांदा का संलग्न प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित प्रकरण पर जांच कराकर दोषी अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रकरण में जांच कराई जा रही है । जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्राथमिक विद्यालय चौरही क्षेत्र बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा के भवन का पुनर्निर्माण

26-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रा0 वि0 चौरही क्षेत्र बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा में बच्चों की संख्या के अनुसार स्कूल की जगह पर्याप्त न होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 149/94 दिनांक 21-12-1994 के साथ श्री श्याम लाल प्र0अ0प्रा0वि0 जौरही का संलग्न प्रार्थना-पत्र मुख्य विकास अधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय जौरही विकास क्षेत्र बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा का भवन पुनर्निर्माण में स्वीकृत किया गया है । इस भवन का निर्माण कार्य 75 % पूर्ण हो चुका है । इस भवन का निर्माण कार्य सितम्बर, 1995 के अन्त तक पूर्ण होगा ।

जनपद मैनपुरी में विभिन्न सड़कों पर कराये गये कार्यों का विवरण

27-श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लो0 नि0 वि0 द्वारा मैनपुरी में वर्ष 1994-95 में किन-किन सड़कों पर कार्य कराया गया तथा कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या जिला योजना का रुपया लो0नि0वि0 द्वारा सभी विधान सभा क्षेत्रों में समान रूप से दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 1994-95 में जनपद मैनपुरी में विभिन्न सड़कों पर कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं । जिला योजना के कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति के अनुसार जिला योजना के अन्तर्गत मार्गों के कार्य पिछले वर्षों की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखकर कराये जाते हैं । अतः समानरूप से व्यय किया जाना सम्भव नहीं होता है ।

जनपद मेरठ के बेसिक प्राइमरी स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापक

28-श्री राम कृष्ण वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में बेसिक प्राइमरी स्कूलों में कितने अध्यापक मानक से कम हैं ? उनको पूरा करने के लिये शासन की क्या योजना है ?

श्री सुखदेव राजभर-

जनपद मेरठ में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक मानक के अनुसार हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मेरठ को सांसद कोटे तथा विशेष मरम्मत के अन्तर्गत आवंटित कार्य का प्रारम्भ

29-श्री रामकृष्ण वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के अस्थाई खण्ड नम्बर-। जनपद मेरठ को सांसद कोटे तथा विशेष मरम्मत के आवंटित किये गये कार्य क्रमशः माह दिसम्बर, 1994 से मार्च, 1995 से अब तक नहीं प्रारम्भ किये गये जबकि अन्य खण्डों में इन्हें कहीं-कहीं पूर्ण कर दिया गया है ? इसके लिये कौन अभियन्ता दोषी है ? इन कार्यों को कब तक प्रारम्भ एवं पूर्ण कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । सभी स्वीकृत मार्गों पर कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं।

कोई अभियन्ता दोषी नहीं है।

कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं जिन्हें अक्टूबर, 1995 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बलिया और देवरिया जनपदों को जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर बन रहे सेतु को आगणन एवं भौतिक प्रगति

30-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया और देवरिया जनपदों को जोड़ने के लिये घाघरा नदी पर बन रहे घाघरा सेतु के निर्माण में कुल कितनी लागत आयेगी तथा कितना धन खर्च हो चुका है ? उक्त सेतु का कितना कार्य पूर्ण करा लिया गया है ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 1985 में स्वीकृत लागत रु0 1242.00 लाख के विरुद्ध वर्तमान मूल्य स्तर पर लगभग रु0 2025.00 लाख संभावित है। मुख्य सेतु पर 650.40 लाख रुपये और पहुंच मार्ग पर 170.80 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

मुख्य सेतु की भौतिक प्रगति लगभग 53% और पहुंच मार्ग पर प्रगति लगभग 90% है।

जनपद बलिया में राज्य सेक्टर से सड़कों की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य

31-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में राज्य सेक्टर से कितनी सड़कों का निर्माण स्वीकृत है? क्या सरकार उन्हें पूर्ण कराने की कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

सात सड़कों तथा तीन पुल (पहुंच मार्ग सहित) का निर्माण राज्य सेक्टर से स्वीकृत है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विचाराधीन निरीक्षण गृहों के निर्माण पर विचार-विमर्श

32-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में किन-किन स्थानों पर लोक निर्माण निरीक्षण गृहों के निर्माण का कार्य विचाराधीन है? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

सुश्री मायावती-

जनपद बलिया में निरीक्षण गृह के स्थल चयन पर जिलाधिकारी, बलिया से विचार विमर्श चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस0 के0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता एवं श्री दिनेश पाण्डेय अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग रायबरेली के विरुद्ध गमन के आरोप में कार्यवाही की मांग

33-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत वि0नि0ई0 (लो0नि0वि0) में स्थानिक अभियन्ता एस0के0 पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय जांच वर्ष 1994 में हुई थी और दो लाख रुपये का गमन पाया गया था? क्या यह भी सही है कि अवर अभियन्ता दिनेश कुमार पाण्डेय से रिकवरी भी हो रही है? उक्त जांच में और कौन-कौन दोषी पाये गये? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

प्रारम्भिक जांच में लगभग रु0 2.758 लाख की सामग्री की कमी पायी गई जिसके लिये प्रथम दृष्टया श्री एस0के0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता एवं श्री दिनेश पाण्डेय अवर अभियन्ता का दोष बनता है। इन कार्मिकों को नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें शासकीय क्षति की वसूली भी सम्मिलित है।

राज्य सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों को पेंशन भुगतान की मांग

34-श्री वी0 के0 गुप्ता-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राज्य सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों को लगभग एक वर्ष से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि भागीरथी संस्कृत विद्यालय, गढमुक्तेश्वर के एक स्वर्गीय अध्यापक की विधवा को ढाई वर्ष बाद भी पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो पेंशन के भुगतान में विलम्ब का कारण क्या है और पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान सहकारी मिल रसड़ा बलिया में आसवनी स्थापित करने की मांग

35-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा जनपद बलिया को उच्चीकृत करने और उससे सम्बन्ध आश्वनी इकाई लगाये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । इस तरह की कोई कार्य योजना नहीं है ।

किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा (बलिया) को वर्तमान में अपनी पेराई क्षमतानुसार गन्ना उपलब्ध नहीं होता है जहां तक आसवनी का प्रश्न है ज्ञातव्य है कि निकटवर्ती मऊ जनपद की घोसी सहकारी चीनी मिल के साथ आसवनी स्थापित है, इस कारण किसी नई आसवनी को शीरा मिलने में कठिनाई को देखते हुये रसड़ा चीनी मिल के साथ आसवनी की स्थापना किया जाना सम्प्रति आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया है ।

देवरिया जनपद सहित बलिया सोनौली मार्ग को जोड़ने वाले निर्माणाधीन सेतु के निर्माण को पूरा करने की मांग

36-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत एंव सेतु निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन बलिया जनपद व देवरिया जनपद सहित बलिया सौनौली मार्ग को जोड़ने वाले घाघरा नदी पर घाघरा सेतु के निर्माण हेतु किस वर्ष प्राक्कलन स्वीकृत हुआ था ? अब तक उस पर कितना धन खर्च हो चुका है ? वह कार्य कितने दिन में पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत सेतु वित्तीय वर्ष 1985-86 में स्वीकृत हुआ था।

मुख्य सेतु पर 650.40 लाख रु0 एवं पहुंच मार्ग पर 170.80 लाख रुपये खर्च हो चुका है।

सेतु का पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड में मुंसिफ न्यायालय स्थापना की मांग

37-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के अन्तर्गत तहसील बिल्थरा रोड जिला मुख्यालय से 60 कि0मी0 की दूरी पर है जहां मुंसिफ़ न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से आया है जो शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार जनता की कठिनाई को देखते हुये अविलम्ब उक्त स्थान पर मुंसिफ न्यायालय स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है। जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड में मुंसिफ न्यायालय स्थापना हेतु तत्कालीन राज्य मंत्री पशुधन एवं मत्स्य (श्री शारदा नन्द अंचल) के प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद का अभिमत/आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा

38-श्री प्रेम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में जनपद गाजियाबाद में जिला योजना लोक निर्माण विभाग के सभी आवंटित कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 1993-94 में जिला योजना के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत ही नहीं हुये हैं। वर्ष 1994-95 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्गों पर केवल आंशिक कार्य कराया गया क्योंकि नवम्बर, 1994 में प्राप्त 123.68 लाख के मार्ग कार्यों की स्वीकृति के विरुद्ध केवल रु0 26.25 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ अतएव उक्त कार्यों के पूर्ण होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री सूर्यकरन लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध जांच के निर्देश

39-श्री कामेश्वर उपाध्याय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री सूर्यकरन लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध शासन व प्रमुख अभियन्ता को प्राप्त अनेकों शिकायतें अनिस्तारित पड़ी हैं ? इनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? अब तक निस्तारण न होने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

जांच करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जांच आख्या प्राप्त न होना है ।

जनपद हमीरपुर में नवनियुक्त उर्दू शिक्षकों को वेतन दिये जाने की मांग

40-श्री तीरथ राज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद हमीरपुर में किन-किन उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां किन-किन विद्यालयों में की गई थीं तथा इनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि क्या है ? क्या सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान न कर माह फरवरी, 1995 में 56 शिक्षकों को वेतन भुगतान कर 09 शिक्षकों का वेतन रोका गया ? ऐसे कौन से कारण थे कि इन 09 में से 07 का वेतन माह मार्च, 1995 से भुगतान किया गया तथा 02 शिक्षकों का वेतन भुगतान अब तक लेखाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है ? क्या लेखाधिकारी द्वारा स्वेच्छापूर्ण एवं दोषपूर्ण कार्यवाही के लिये इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हमीरपुर में परिषदीय शिक्षकों/कर्मचारियों को विलम्ब से वेतन दिये जाने पर कार्यवाही

41-श्री तीरथ राज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों/कर्मचारियों को माह मार्च, 1995 एवं अप्रैल, 1995 के वेतन का भुगतान वित्त एवं लेखाधिकारी ने किस-किस तिथि को किया है ? विलम्ब से वेतन दिये जाने के कारण क्या हैं ? क्या विलम्ब से वेतन भुगतान किये जाने तथा शासकीय विभागीय आदेशों की 7 तारीख तक वेतन भुगतान न किये जाने सम्बन्धी आदेश की अवहेलना करने के खिलाफ लेखाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जनपद हमीरपुर में परिषदीय शिक्षकों/कर्मचारियों को लेखाधिकारी द्वारा माह मार्च, 1995 का वेतन 2 मई से 12 मई, 1995 तक तथा माह अप्रैल, 1995 का वेतन 25 मई, से 2 जून, 1995 तक विभिन्न तिथियों में किया गया है । उप विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वेतन बिल लेखाधिकारी कार्यालय में देर से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेतन वितरण में विलम्ब हुआ ।

विलम्ब से वेतन बिल लेखाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर को सचेत कर दिया गया है ।

जनपद हमीरपुर के पेंशनरों को विलम्ब से पेंशन भुगतान किये जाने पर सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

42-श्री तीरथ राज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् से संबंधित शिक्षक पेंशनरों की मासिक पेंशन का भुगतान माह फरवरी, 1995, मार्च 1995, अप्रैल, 95 एवं मई, 1995 का लेखाधिकारी द्वारा किस-किस तिथि को किया गया है ? क्या माह फरवरी, 1995 एवं मार्च, 1995 की पेंशन 04 माह विलम्ब से भुगतान के लिये दोषी लेखाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जनपद हमीरपुर के परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की माह फरवरी, 95, मार्च 95, अप्रैल, 1995 एवं मई, 1995 तक की पेंशन भुगतान निम्न तिथियों में किया गया :-

माह का नाम	पेंशन भुगतान की तिथि
फरवरी, 95	24-5-95
मार्च, 95	24-5-95
अप्रैल, 95	17-6-95
मई, 95	17-6-95

माह फरवरी, 1995 एवं मार्च, 95 की पेंशन का विलम्ब से भुगतान के लिये सहायक लेखाधिकारी को उत्तरदायी पाया गया । अतः उसे निलम्बित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

जनपद हमीरपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत लेखाधिकारी के विरुद्ध शिकायत पर जांच

43-श्री तीरथ राज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट ब्लाक प्रमुख सुमेरपुर, हमीरपुर ने दिनांक 23-5-1995 को बेसिक शिक्षा परिषद हमीरपुर में कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी, के विरुद्ध उनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं मनचाही कार्यवाही के प्रति शिकायत शासन/विभाग को की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूरी हो गई ? जांचोपरान्त उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

प्रकरण की जांच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झांसी मण्डल झांसी को सौंपी गई है, जो प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रबन्ध कमेटी द्वारा चलाये गये मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रान्तीय करण नीति की जानकारी की मांग

44-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक कमेटी द्वारा चलाये गये मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की सरकार ने कोई नीति तय की है ? यदि प्रान्तीयकरण पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है तो उत्तराखण्ड की गरीब जनता कैसे इन विद्यालयों को चलायेगी ? क्या सरकार उत्तरांचल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बारे में विचार करने जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील पुवायां में स्वीकृत स्कूलों की संख्या एवं उनका निर्माण कार्य

45-श्री चेतराम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पुवायां अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में कितने जू0हा0 स्कूल एवं कितने बेसिक प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हुये तथा उनमें कितने बनकर पूर्ण हो चुके हैं ? कितने अधूरे पड़े हुये हैं तथा इनके अधूरे होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अधूरे विद्यालयों के बारे में जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? कब तक यह विद्यालय बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर-

वर्ष 94-95 में तहसील पुवायां (जनपद शाहजहांपुर) में 03 उच्च प्राथमिक स्कूल एवं 18 प्रा0 स्कूल स्वीकृत हुये । सात प्रा0 विद्यालय पूर्ण हो चुके हैं । दस प्राइमरी विद्यालय 50 % से अधिक बन चुके हैं तथा एक प्राथमिक तथा तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय अनिर्मित हैं । अनिर्मित भवनों के निर्माण का कार्य भूमि अनुपलब्धता/विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका है । अतः कोई व्यक्ति दोषी नहीं है । भूमि उपलब्ध होने/विवाद हल होते ही निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य कर्नल रमानाथ द्विवेदी के विरुद्ध रक्षा मंत्रालय के पत्र पर कार्यवाही

46-श्री राम पाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति के अधीन संचालित सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य कर्नल रमानाथ द्विवेदी के विरुद्ध शिकायत संबंधी रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या ए/80045/जी0एस0/एम0टी0-14, दिनांक 7-11-94

शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अभी तक की गई ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां । उक्त पत्र पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के राजकीय कन्या हाईस्कूल को उच्चीकृत किये जाने की मांग

47-श्री देवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के महरौनी तहसील केन्द्र पर राजकीय कन्या हाईस्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित करने पर शासन विचार कर रहा है ? क्या इस विद्यालय को इस वर्ष उच्चीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिव्यय/बजट प्राविधान न होने के कारण ।

सेठ सियाराम इण्टर कालेज शाहजहांपुर में प्रधानाचार्य के चार्ज दिये जाने में बरती गई कथित अनियमितता की शिकायत

48-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील के सेठ सियाराम इण्टर कालेज में दिनांक 20-3-87 से कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री धत्तूसिंह कुशवाहा को दिनांक 9 मई, 1995 में क्यों हटाकर इनसे जूनियर श्री जयेन्द्रपाल सिंह को सीनियर बनाकर प्रधानाचार्य पद का चार्ज दे दिया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि यह अनियमितता किस स्तर पर की गई ? क्या इस अनियमितता करने वाले को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आई0ई0टी0 लखनऊ की संयुक्त परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय एवं बचत का विवरण

49-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 से संबंधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा आई0ई0टी0 लखनऊ में छात्रों द्वारा दिये गये शुल्क से तीन साल

में कितनी आय होती है और व्यय करने के बाद कितनी धनराशि की बचत होती है ? गत दस वर्षों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यालय में समेकित वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण कब होगा एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिषद् कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

संयुक्त प्रवेश परीक्षा के वर्तमान अध्यक्ष/निदेशक, आई0ई0टी0 लखनऊ हैं । इनके द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा का संचालन वर्ष 1992-93 से किया जा रहा है । वर्ष 1992-93 से वर्ष 1994-95 तक छात्रों से ली जाने वाली परीक्षा शुल्क से कुल रु0 3,18,89,843.65 की आय हुई है ।

वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा को रुपये 58,64,992.23 की बचत हुई है तथा वर्ष 1994-95 में रु0 6,35,000.00 की बचत संभावित है ।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा में समेकित वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में संयुक्त प्रवेश परीक्षा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे नियमित पदों के सृजन के अभाव में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया । इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है । न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है ।

वर्तमान में डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश, प्रवेश समिति, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार अधिसूचित संस्थाओं में से किसी एक संस्था को उक्त परीक्षा के संचालन के लिये प्रवर्तक संस्था नाम निर्दिष्ट करती है । इस कार्य हेतु किसी परिषद् के गठन संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जनपद रायबरेली के लोक निर्माण विभाग हैदरगढ़ महराजगंज मार्ग पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर, की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच

50-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग में हैदरगढ़ महराजगंज मार्ग पर लगभग दो लाख फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान करने तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत माह मार्च, 1995 में श्री सुदर्शन राम तत्कालीन मण्डलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, लखनऊ द्वारा दिनांक 10-3-95 को की गई थी जिसकी जांच जिलाधिकारी, रायबरेली ने कराकर जांच आख्या शासन को दिनांक 28-3-95 को प्रेषित कर दी थी ? इसमें दोषी पाये गये अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा संबंधित अवर अभियन्ता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिलाधिकारी रायबरेली ने अपने पत्र दिनांक 25-3-1995 द्वारा अपनी आख्या प्रेषित करते हुये प्रश्नगत प्रकरण की जांच तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने की संस्तुति की थी।

जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण की जांच तकनीकी सम्परीक्षा कोष्ठ के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिणाम प्राप्त होने पर ही अधिकारियों का दोष निर्धारण सम्भव है।

रविदास जूनियर हाईस्कूल महमूदपुर धरौली (सहारनपुर) में प्रबन्धक की नियुक्ति में न्यायालय की कथित अवमानना

51-डा0 मामचन्द्र लाम्बा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाने (चुनाव पर) एवं तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा रविदास जूनियर हाईस्कूल महमूदपुर धरौली (सहारनपुर) में प्रबन्धक का कार्यवाहक चार्ज श्री हरफूल सिंह को दिये जाने पर आदेश की अवहेलना कर अब दिनांक 25-3-95 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर ने किस शासनादेश के अन्तर्गत उक्त विद्यालय में चुनाव कराकर श्री भोपाल सिंह को प्रबन्धक नियुक्त किया है? क्या सरकार उक्त में जांच कराते हुये दोषी व्यक्ति को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रबन्ध, समिति के प्रस्ताव दिनांक 24-10-94 जिस पर श्री हरफूल सिंह के भी हस्ताक्षर हैं, के आधार पर श्री भोपाल सिंह को प्रबन्धक के रूप में मान्यता दी गई।

प्रबन्धक को छोड़कर शेष प्रबन्ध समिति पूर्ववत है अतः मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है। दिनांक 17-11-92 के निर्णय के बाद दिनांक 25-3-95 तक श्री हरफूल सिंह ने प्रबन्धक के रूप में कार्य किया है तथा उनकी सहमति/हस्ताक्षर युक्त समिति के प्रस्ताव के आधार पर केवल प्रबन्धक को बदले जाने पर मान्यता दी गई है। चुनाव नहीं करवाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद वाराणसी के ग्राम पंचायत कछियां, औराव तथा खरगपुर रोड में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

52-श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत कछियां, औराव, खरगपुर रोड, क्षेत्र पंचायत पिंडरा जिला वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला आज तक नहीं स्वीकृत किया गया है जबकि शासन ने प्रत्येक ग्राम सभाओं में एक-एक प्राइमरी पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है ? क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने वर्ष 1994-95 में जो लिस्ट सेवित-असेवित बनवायी है उसमें उपरोक्त गांवों को सेवित या असेवित में लिया है ? क्या सरकार वर्ष 1995-96 में पाठशाला खोलने का आदेश देगी ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के जनपदों में वर्ष 1994-95 से तीन वर्षों में प्रत्येक असेवित ग्रामसभा में प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है । किन्तु विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश "सभी के लिये शिक्षा" परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना के मानक लागू हैं । परियोजना के मानक के अनुसार प्रश्नगत ग्राम सेवित हैं ।

लोक निर्माण विभाग में पम्प आपरेटरों का वेतनमान

53-श्री चन्द्रशेखर सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में पम्प आपरेटरों को वेतनमान रु0 950 से 1500 का न देकर उससे बहुत कम वेतन दिया जा रहा है जिसके पुनरीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को केन्द्र के समान रु0 950 से 1500 का वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां । लोक निर्माण विभाग के पम्प आपरेटरों को रु0 775-1025 का वेतनमान दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

श्रमिक संघ से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पम्प आपरेटरों के वेतनमान के प्रश्न पर भी विचार किया गया है और पम्प आपरेटर के वेतनमान संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा मार्गों, पुलो के निर्माण हेतु कथित रूप से स्वीकृति

54-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियंता, 58 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा अपने पत्रांक शा0सं0 238 ज0पी0 (1) ई/23-11-143 ई/93, दिनांक 4-3-94 एवं मा0 मुख्यमंत्री के पत्रांक 1776/08-97/58/94, दिनांक 19-7-94 के संदर्भ में जनपद गोण्डा में मार्गों, पुलों के निर्माण हेतु आंगणक प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृत हेतु शासन द्वारा मांगा गया था ? यदि हां, तो अभी तक कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।
कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ग्रामसभा बीकापुर एवं पूरा रघुनाथ पुर में स्वीकृत स्कूलों के भवनों का निर्माण में भूमि विवाद

55-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बीकापुर ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में एक प्राइमरी स्कूल वर्ष 94-95 में स्वीकृत हुआ है और गांव सभा पूरा रघुनाथपुर बड़ागांव जिला वाराणसी में एक जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1994-95 में स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो अब तक दोनों की इमारतें क्यों नहीं बनायी गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और दोनों स्कूलों के भवनों को बनाने का आदेश देगी ।

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां । भवन निर्माण भूमि विवाद के कारण लम्बित रहा । प्राथमिक विद्यालय, बीकापुर का विवाद हल हो गया है तथा भूमि विद्यालय के नाम स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है । जूनियर हाईस्कूल रघुनाथपुर की भूमि पर ग्रामवासियों का कब्जा है जिसे खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है । धनराशि ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी गई है । भूमि पर वास्तविक कब्जा प्राप्त होते ही भवन निर्माण कार्य तुरन्त पूर्ण कराया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद नगर अकबरपुर से दुद्धी मार्ग के निर्माण हेतु खातों से किये गये रकबे का विवरण

56-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद नगर अकबरपुर से दुद्धी-लुम्बनी मार्ग (बाई पास) में किन-किन खातों से कितना-कितना रकबा उक्त मार्ग के निर्माण में लिया गया है ? क्या वे रकबे उन खातों से काट दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिला फैजाबाद नगर अकबरपुर से दुद्धी-लुम्बिनी मार्ग (बाईपास) में निम्न खातों से निम्न रकबा लिया गया :-

गाटा संख्या	क्षेत्रफल		
	बीघा	बिस्वा	बिश्वांसी
306/2	0	0	10
303	0	6	0
304	0	4	0
305	0	4	0
300	0	4	15
301	0	5	15
302	0	5	5
293 मि0	0	3	10
293/1	0	8	0
293/1 मि0	0	18	10
293/1 मि0	0	15	0
293/5/1	0	5	0
293/5/2	0	2	0
13 किता	4	11	05

2.86 एकड़

जी नहीं ।

भूमि अध्याप्ति की औपचारिकता पूर्ण न होने के कारण काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य का कार्यभार हेड मास्टर को सौपनें का औचित्य

57-श्री रामपाल सिंह सैनी-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल के अधीन संचालित सैनिक स्कूल लखनऊ के विषय में दिनांक 12 अप्रैल, 1994 को नियम-51 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य में प्रधानाचार्य उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के पद पर नई नियुक्ति हेतु रक्षा मंत्रालय से ले0 कर्नल स्तर के अधिकारियों में से तीन नाम/बायोडाटा मांगने के आश्वासन के फलस्वरूप प्राप्त हो गये हैं ? यदि नही, तो क्यों ? क्या पूर्व की भांति नई नियुक्ति होने तक प्रधानाचार्य पद का कार्यभार स्कूल रजिस्ट्रार को सौंपा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी नहीं । भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को अनेक अनुस्मारक भेजने के बाद भी अभी तक वांछित पेनल भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

जी नहीं । वर्तमान में उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ में हेडमास्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति सैनिक अधिकारी, रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति अधिकारी से वरिष्ठ होने के कारण प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उस पद का कार्यभार नियमानुसार केवल हेडमास्टर को ही सौंपा जा सकता है ।

सैनिक स्कूल लखनऊ के छात्र आदित्य सिंह का प्रवेश निरस्त एवं तत्संबंधी दायर याचिका

58-श्री रामपाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति के अधीन उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रधानाचार्य ने सत्र के मध्य में छात्र सैनिक आदित्य सिंह का प्रवेश निरस्त कर दिया था ? क्या उसके विरुद्ध दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 3-10-94 का अनुपालन प्रधानाचार्य ने किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रधानाचार्य के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में उक्त फैसले के अनुपालन न करने पर न्यायालय की अवमानना का वाद दायर हुआ है ?

श्री सुखदेव राजभर-

उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ में कक्षा-11 विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु विद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता, प्राप्तांक से आल इण्डिया सेकेंडरी स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा 1994 में छात्र सैनिक आदित्य सिंह द्वारा कम अंक प्राप्त करने के कारण उन्हें शिक्षा सत्र 1994-95 में कक्षा-11 में प्रवेश नहीं दिया जा सका । इसी आधार पर शिक्षा सत्र 1993-94 में भी छात्र सैनिक लवलेश कुमार गुप्ता को कक्षा-11 में प्रवेश नहीं दिया जा सका था ।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 19825/94 में दिनांक 28-11-94 को पारित स्थगनादेश के कारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3-10-94 का तत्काल अनुपालन प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया जा सका ।

जी नहीं ।

59-श्री रामपाल सिंह-

क्या शिक्षा बताने की कृपा करेंगे कि छात्र सैनिक आदित्य सिंह का दाखिला रद्द करने का प्रधानाचार्य का आदेश मा0 उच्च न्यायालय ने अवैध माना और रद्द कर दिया ? क्या उस फैसले के विरुद्ध अध्यक्ष उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति ने स्पष्ट तौर पर अपील न करने के निर्देश के उपरान्त भी मा0 उच्च न्यायालय में अपील की गई ? क्या प्रधानाचार्य की विशेष अपील मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई ? क्या उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति की इजाजत के बिना, प्रधानाचार्य द्वारा अपील करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्कूल के धन का अपव्यय करने और छात्र सैनिकों का उत्पीड़न करने का शासन ने नोटिस लिया है ? प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जी नहीं । मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उ0प्र0 न्याय विभाग के आदेश संख्या यू0ओ0 13921/सात-6-26 (13)/94-शिक्षा-12, दिनांक 15-10-94 के परिपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 3-10-94 के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई थी ।

मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित विशेष अपील का अन्तिम निस्तारण मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 6-2-95 को किया गया था । प्रधानाचार्य द्वारा विशेष अपील विद्यालय की ओर से नियुक्त अधिवक्ता के परामर्श से की गई थी, अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

60-श्री रामपाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सैनिक समिति के अधीन संचालित उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य की शिकायतों के संदर्भ में मा0 विधायक रणधीर सिंह के पत्र दिनांक 25-8-94 तथा पत्र दिनांक 28-9-94 शासन को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 विधायक का पत्र दिनांक 25-8-94 प्राप्त हुआ है जिस पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है । पत्र दिनांक 28-9-94 प्राप्त नहीं हुआ है ।

61-श्री रतनलाल पंवार-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति के अधीन संचालित, सैनिक स्कूल लखनऊ के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-10-94 और पत्र दिनांक 26-10-94 शासन को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उनमें विशेष सचिव, शिक्षा, पदेन सामान्य सचिव, उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति द्वारा प्रधानाचार्य की अनियमितताओं में सहयोग करने के आरोप के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 26-10-94 प्राप्त हुआ था और उस पर अंकित आदेशानुसार स्थिति से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया था । प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 24-10-94 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त सुविधा का उपभोग

62-श्री रतनलाल पंवार-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति के अधीन संचालित उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य अपने आवास पर उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति की बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित फर्नीचर की सीमा से अधिक फर्नीचर और अन्य सुविधायें जैसे कलर टेलीविजन की संख्या सोफासेट्स आदि किस अधिकार से शासन के व्यय पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रधानाचार्य आवास पर उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति की बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य सुविधा का उपभोग प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना

63-श्री रतनलाल पवांर-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल समिति के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री द्वारा छात्र सैनिक आदित्य सिंह को कक्षा-11 में प्रवेश देने के निर्देश दिनांक 1-7-1994 का प्रधानाचार्य उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ द्वारा पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किया जायेगा, तो कब तक ? क्या मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन न करने की दशा में अनुशासनहीनता की कार्यवाही उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कोई कार्यवाही शासन द्वारा प्रस्तावित है ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 मुख्यमंत्री का आदेश दिनांक 1-7-94 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उसके अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता है । ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0 2 लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा टी0एण्ड पी0 की खरीद की सूची

64-श्री सुन्दरलाल दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0 2 लो0नि0वि0 लखनऊ में माह जुलाई, 1994 से क्रय की जाने वाली टी0एण्ड पी0 का

रेट कन्ट्रेक्ट है ? यदि हां, तो माह जुलाई, 1994 से कितनी टी0 एण्ड पी0 किन-किन फर्मों से क्रय की गई ? क्या पूरी जानकारी से अवगत करायेंगे ?

सुश्री मायावती-

क्रय की जाने वाली समस्त टी0 एण्ड पी0 का रेट कान्ट्रेक्ट नहीं है । केवल रोड साईन बोर्ड एवं त्रिपाल का रेट कान्ट्रेक्ट है ।

माह जुलाई, 1994 से जुलाई, 1995 तक विभिन्न फर्मों से क्रय की गई टी0 एण्ड पी0 की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 150-152 पर)

बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन स्वीकृत होने वाले स्कूलों के भवनों का मानक एवं उनके पुनरीक्षण की मांग

65-श्री उपदेश सिंह चौहान-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन निर्मित होने वाले प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु रु0 90,000 एवं जूनियर हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु रु0 1,80,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो क्या इसी दर से वर्ष 1989-90 में निर्मित भवनों के निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या मूल्य सूचकांक में वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी मंहगाई के कारण इस धनराशि में वृद्धि की गई है ? क्या सरकार पुनः आंकलन कराकर धनराशि की वृद्धि पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उपरोक्त लागत के पुनरीक्षण का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रदेश के सी0टी0 ग्रेड ड्राइंग कैडर के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की स्थानान्तरण प्रक्रिया

66-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में सी0टी0 ग्रेड ड्राइंग कैडर के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के लिये एक जिले से दूसरे जिले में विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने की वर्तमान में क्या प्रक्रिया है ? क्या शासन ऐसी अध्यापिकाओं को जिनके विवाह अन्य जनपदों में हुये हैं तथा पति राज्य सेवा में नहीं हैं उन्हें पति के निवास जनपद में मानवता के आधार पर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर-

वर्तमान में ऐसे स्थानान्तरण की अनुमति देने का प्राविधान नहीं है।

मामला विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण की मांग

67-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर में सकदरपुर मकोइया मार्ग, छपिया गोदहा मार्ग, मौहुली खोरी पायर खास मार्ग, मसकनवां तेदुआं रानीपुर मार्ग, टीकर डुमई धरमदासपुर मार्ग, चिरैया चौखंट मार्ग, अमवा वीरपुर आदि मार्गों पर पत्थर उखाड़कर ऊपर आ गये हैं जिससे आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों के सुद्धीकरण एवं लेपन कराने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में उक्त सड़कों का लेपन करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया एवं मनकापुर के प्रश्न अन्तर्गत मार्गों पर लगातार यातायात चलने से कुछ स्थानों पर पत्थर उखड़कर ऊपर आ जाते हैं जिसके कारण आवागमन में कुछ परेशानियों का सामना स्वाभाविक है।

प्रश्नगत मार्ग जिला योजना श्रेणी के हैं जिनकी स्वीकृति के प्रस्ताव पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा विचार किया जाता है।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

डा0 लाल बहादुर एक्स फाउन्डर प्रधानाचार्य जे0एल0एन0 (पी0जी0) कालेज एटा, की पेंशन दिलाने की मांग

68-डा0 राम बाबू हरित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 लाल बहादुर रिटायर्ड एक्स फाउन्डर प्रधानाचार्य जे0एल0एन0 (पी0जी0) कालेज, एटा की पेंशन अभी तक निर्धारित नहीं की गई ? यदि हां तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा एवं प्रत्येक न्याय पंचायत में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की नीति

69-श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक-एक प्राइमरी स्कूल तथा प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में

एक-एक जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रत्येक जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कोई आदेश उन सभी ग्रामसभाओं एवं न्याय पंचायतों की सूची तैयार करने के लिये दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस तरह का निर्देश देने पर विचार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर-

वर्ष 1994-95 में तीन वर्षों में प्रत्येक असेवित ग्रामसभा में एक प्राथमिक तथा प्रत्येक असेवित न्याय पंचायत में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 1993-94 में सूची तैयार की गई है ।

जनपद हरदोई के कस्बा सांडी में दहरशील के पास पर्यटकों के लिये निर्मित मोटेल बंगला की स्थिति

70-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के कस्बा सांडी में दहर शील के पास पर्यटकों के लिये एक मोटेल बंगला बना हुआ है ? यदि हां, तो वह अभी तक पर्यटकों के लिये क्यों नहीं खोला गया है जबकि सांडी कस्बा ऐतिहासिक व कई अन्य कारणों से पर्यटकों के लिये एक आकर्षण का केन्द्र है ? क्या यह सही है कि उचित देखभाल व रखरखाव के अभाव में यह बंगला (मोटेल) क्षतिग्रस्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग इसे शीघ्रातिशीघ्र पर्यटकों के लिये खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भवन में चिन्हित कमियों को ठीक कराया जा रहा है निर्माणाधीन भवन का हस्तान्तरण पर्यटन विभाग को नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हरिवंश सहाय भू0पू0 एम0एल0ए0 एवं प्रवक्ता मदन मोहन इण्टर कालेज भाटपाररानी देवरिया का निस्कासन निरस्त करने की मांग

71-श्री शिवराम सिंह कुशवाहा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिवंश सहाय भूतपूर्व एम0एल0ए एवं प्रवक्ता मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज भाटपाररानी, देवरिया को स्थाई सेवा से बिना नोटिस दिये माह अगस्त, 1991 में बर्खास्त कर दिया गया ? क्या यह बर्खास्तगी उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड विधेयक, 1981 के अध्याय-4 के खण्ड 21 के विपरीत है ? यदि हां, तो प्रबंधतंत्र के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई तथा निष्कासन रद्द क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में कृष्णा नदी पर ग्राम बनती खेड़ा में स्वीकृत पुल बनाने की मांग

72-श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फर नगर में कृष्णा नदी पर वर्ष 1990 में ग्राम-बनतीखेड़ा के पास कोई पुल स्वीकृत हुआ था, जो स्वीकृति के बाद निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान समय में आवश्यकता को देखते हुये पुनः पुल निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

स्वीकृति प्रदान किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपर्युक्तानुसार ।

73-डा0 रमेश पोखरियाल निशंक"

{ 15 वें बुधवार में अता0प्र0सं0-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित }

प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की भांति महाविद्यालयों को भी आवासीय भत्ता दिये जाने की मांग

74-श्री लल्लू सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में माह जुलाई, 1992 से बढ़े हुये आवास भत्ते की सुविधा महाविद्यालयों को स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा महानगर के सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में छात्र/छात्राओं के आरक्षण कोटा पूरा कराने की मांग

75-डा0 राम बाबू हरित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में आगरा महानगर में कितने छात्र-छात्राओं के स्कूल सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं ? वर्ष 1994-95 में सरकार की घोषणानुसार इन स्कूलों में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया ? क्या आरक्षण कोटा पूरा न करने वाले प्रधानाचार्य को दण्डित किया जायगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र जा रही है ।

शिक्षा विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार स्थानान्तरण

76-डा0 राम बाबू हरित तथा श्री सूरज सिंह शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर शासनादेश संख्या 1003/अ/15-18-19-4/दिनांक 20-5-94 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आगरा कार्यालय के दो लिपिक क्रमशः श्री रवीन्द्र पाल सिंह, चौहान, वरिष्ठ एवं श्री ब्रजेन्द्र पाल गालव शिविर लिपिक को विगत 8 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत रहने का क्या कारण है ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

वार्षिक प्रबन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28-7-95 द्वारा प्रश्नगत कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जनपद आगरा के असहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में स्वीकृत क्षतिपूर्ति में की जा रही अनियमितता के विरुद्ध शिकायत

77-श्री सूरज सिंह शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल के असहायता प्राप्त बालिका जूनियर हाईस्कूलों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति अनुदान विगत 8 वर्षों से बालक जूनियर हाईस्कूलों को सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा तथा उनके सहयोगी लिपिकों द्वारा आवंटित किया जा रहा है और बालिका जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान से वंचित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो इस अनियमितता तथा अनुदान दुरुपयोग करने वालें अधिकारी तथा लिपिक कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर गोण्डा की कतिपय सड़कों पर सतह लेपन कराने की मांग

78-श्री रामविशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर (गोण्डा) की कुछ सड़कों के सतह लेपन हेतु दिनांक 23-2-95 पत्रांक ख 153198 और 153195 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को दिया था जिसके संदर्भ में प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को पत्रांक 785, 786/पी0एस0/पी0डब्लू0डी0/95, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक सतह लेपन हेतु क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता के पत्रों में इंगित मार्गों के लेपन हेतु इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटन कर लेपन का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा में बी0टी0सी0 (उर्दू) प्रशिक्षणार्थियों के चयन में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

79-श्री सूरज सिंह शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1280/15-1/131-94-1450 (22)/88, दिनांक 4 जुलाई, 1994 द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज) आगरा हेतु 50 उर्दू बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों के स्थान प्रवेशार्थ स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृत स्थानों पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा के कार्यालय में उपलब्ध चयनित सूची से बी0टी0सी0 उर्दू में प्रवेशार्थ आदेश दिये गये हैं ? क्या संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) उ0प्र0 के पत्रांक सा (3) 3110/94-95, दिनांक 27-11-94 द्वारा स्मरण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त 50 बी0टी0सी0 उर्दू प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये उत्तरादायी अधिकारी एवं लिपिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । निदेशालय के पत्रांक 131/3110/94-95 दिनांक 27-1-95 द्वारा स्मरण कराया गया है ।

केवल 15 उर्दू बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है ।

जांच कराकर दोषी अधिकारी/लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

80-श्री राम विशुन आजाद-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग में चल रहे माडल स्कूल का कार्यकाल एवं उच्चीकृत न किये जाने का औचित्य

81-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली की तहसील कर्ण प्रयाग के अन्तर्गत थिरपाक में माडल स्कूल कब से और कैसी स्थिति में चल रहा है ? कितने छात्र तथा कितने अध्यापक हैं ? कब तक सरकार इस विद्यालय के स्थान पर हाई स्कूल खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत थिरपाक में माडल स्कूल वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था । स्कूल में सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार

84 छात्र तथा प्रधानाध्यापक सहित 4 अध्यापक हैं।

मानक के अनुसार निर्धारित जनसंख्या कम होने तथा 10 कि0मी0 की परिधि में एक हाईस्कूल उपलब्ध होने और भूमि/भवन की व्यवस्था न होने के कारण शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा स्कूल के उच्चीकरण की संस्तुति नहीं की गई है।

राज्य वित्त आयोग (पंचायतीराज तथा स्थानीय निकाय) से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें न हटाने का औचित्य

82-श्री बचनू राम पटेल-

क्या मा0 मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश, 322 इन्दिरा भवन, लखनऊ में कितने अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी कार्यरत हैं ? क्या इनसे योग्य कार्मिक उपलब्ध नहीं है ? क्या सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के स्थानों पर अन्य की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश में 8 अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त कार्यरत हैं।

आयोग का कार्यकाल 31-12-95 तक के लिये होने तथा प्रयासों के बावजूद सेवा अन्तरण पर अनुभवी व दक्ष कर्मी उपलब्ध न हो पाने के कारण शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारी के तहत सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है ताकि आयोग निर्धारित अवधि में अपना कार्य पूर्ण कर सके।

राज्य वित्त आयोग उ0प्र0 में दैनिक वेतन पर की गई नियुक्तियों का औचित्य

83-श्री बचनू राम पटेल-

क्या मा0 मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश, 322, इन्दिरा भवन, लखनऊ में दैनिक वेतन पर नियुक्ति किये जाने के प्रतिबन्ध के बावजूद नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार इन नियुक्तियों को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश जो एक संवैधानिक संस्था है, का कार्यकाल चूंकि अल्पकालिक है तथा नियमित नियुक्तियां करने में काफी समय लगता जिससे आयोग के कार्य सम्पादन में अवरोध उत्पन्न होता। अतः स्वीकृत पदों के सापेक्ष आयोग ने दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रख लिया है ताकि आयोग अपना कार्य बिना अवरोध के सम्पादित कर सके ।

इसके लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी को ऊत्तरायी ठहराने या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने या इन नियुक्तियों को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

84-श्री अजय कुमार पोइया-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

उत्तर प्रदेश द्वारा एलोपैथिक औषधियों के निर्माण हेतु फार्मेसियों को औपचारिकतायें पूर्ण होने पर अनुज्ञापनों का नवीनीकरण

85-श्री सतीश भाटिया-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल एक्साइज के अन्तर्गत एलोपैथिक औषधि निर्माता जिन्होंने एल0 नं0 । का लाइसेंस लिया है ? क्या उनका नवीनीकरण वर्ष 1995-96 हेतु हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा ?

सुश्री मायावती-

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एलोपैथिक औषधियों के निर्माण हेतु फार्मेसियों को एल-। अनुज्ञापन सेन्ट्रल एक्साइज के अन्तर्गत नहीं, बल्कि केन्द्रीय मेडिसिनल एण्ड टवायलेट प्रीपरेशन ऐक्ट, 1955 तथा तत्संबंधी नियमावली, 1956 के अधीन स्वीकृत तथा नवीनीकृत किये जाते हैं । वर्तमान में एलोपैथिक औषधियों के निर्माणार्थ कुल 32 एल-। अनुज्ञापन कार्यरत हैं, जिनमें ।। अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की औपचारिकतायें पूर्ण होने पर उन्हें वर्ष 1995-96 के लिये नवीनकृत किया जा चुका है तथा शेष अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद ही सम्भव होगा ।

86-श्री परशुराम-

(व्यक्तिगत एवं सीमित महत्व होने के कारण निरस्त)

उ0मा0 विद्यालय सोनहिता, जौनपुर में की गई परिचालकों की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत

87-श्री विनय कुमार पाण्डेय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0मा0 विद्यालय सोनहिता, जिला जौनपुर में कितने व्यक्ति परिचालक के पद पर दिनांक 19 अक्टूबर, 1992 से कार्यरत

हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन दिनांक 24 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो उक्त पदों पर किन-किन की नियमित नियुक्ति की गई ? क्या उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों को भरने की मांग

88-डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक"-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितने इण्टर कालेज एवं हाईस्कूल हैं ? ऐसे कितने हाई स्कूल हैं जहां पांच से अधिक अध्यापक नहीं हैं और कितने ऐसे इण्टर कालेज हैं जहां दस से अधिक अध्यापक नहीं हैं ? इसका मानक क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अनेक हाईस्कूल ऐसे भी हैं जहां मात्र तीन अध्यापक हैं और कई इण्टर कालेज ऐसे भी हैं जहां प्रवक्ता नहीं हैं ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हाईस्कूल, इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा प्रवक्ता, एल0टी0 सहित सभी पदों पर अध्यापकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की, की गई नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत पर जांच की मांग

89-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में बिना पद सृजन तथा बिना अनुमोदित हुये अध्यापकों की नियुक्तियां कर ली गई थीं जिसकी जांच वर्ष 1992 में करायी गई थी ? उसके जांच अधिकारी कौन थे ? उन्होंने किन-किन बिन्दुओं पर जांच की है ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज के सेवानिवृत्त अध्यापकों को एरियर वेतन का भुगतान

90-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज में वर्ष 1972 से सेवानिवृत्त अध्यापकों को बढ़े हुये वेतन एरियर का भुगतान तथा काटी

गई धनराशि की एन0एस0सी0 प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1972 में ब्लाक माधोगंज में कितने अध्यापक सेवा निवृत्त हुये थे?

श्री सुखदेव राजभर-

बढ़े हुये वेतन एरियर का भुगतान संबंधित अध्यापकों को कर दिया गया था, एन0एस0सी0 हेतु कोई कटौती नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972 में ब्लाक माधोगंज से 3 अध्यापक सेवानिवृत्त हुये थे।

वीर स्मारक इण्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ की प्रबन्ध समिति की मान्यता देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

91-श्री समर पाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वीर स्मारक इण्टर कालेज, बड़ौत, जिला मेरठ की प्रबन्ध समिति के कथित निर्वाचन दिनांक 25-7-93 को जिला विद्यालय निरीक्षण मेरठ ने अपने आदेश दिनांक 19-5-94 द्वारा मान्यता प्रदान की थी ? क्या उसे मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11-8-94 द्वारा निरस्त कर दिया था ? क्या यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक (मेरठ) ने उक्त प्रबन्ध समिति को दिनांक 31-12-94 के आदेश द्वारा बहाल कर दिया है ? क्या यह भी सही है कि संबंधित चुनाव अधिकारी ने अपने शपथपत्रों सहित यह सूचित किया है कि उन्होंने उक्त प्रबन्ध समिति का निर्वाचन नहीं कराया है जबकि उस पर पहले से ही स्थगन आदेश चल रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी प्रबन्ध समिति कार्यकारिणी समिति को तुरन्त निरस्त करने एवं मान्यता देने वाले दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर पंचायत भदोही के मुख्य मार्ग के मरम्मत की विधि

92-श्री उदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पचायत भदोही जिला भदोही का मुख्य मार्ग पत्थर, ईंटों से बनाया गया है ? क्या उसको सीमेंट से नहीं बनाया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसको ठीक करायेगी?

सुश्री मायावती-

डामर से पेन्टेड बनाया गया था। मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग पर पत्थर की ईंटे लगाई गई।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को धन अवमुक्त कराने की मांग

-93-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र के किस जिले की एस0आर0एम0डी0 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की क्या मांगें वर्षवार थी और कितनी राशि सरकार ने अवमुक्त की ? क्या वह राशि पर्याप्त थी ? यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष विगत वर्ष की राशि सहित सरकार धन अवमुक्त करेगी ताकि सड़कों को यातायात के लिये खोला जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायवती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती मीरा साहू सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय गोरखपुर को स्थानान्तरित करने की मांग

94-श्री राम कुमार शुक्ल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मीरा साहू सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो श्रीमती साहू के घृणित आचरण एवं अन्यत्र स्थानान्तरण के संबंध में श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, विधायक ने दिनांक 28-6-95 को कोई शिकायती पत्र उन्हें दिया था, जो उनके पत्रांक 29 वी0आई0पी0 दिनांक 5-7-95 को सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, गोरखपुर को कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या श्रीमती साहू का उक्त विद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जू0 हाई स्कूल मुंशीगंज रायबरेली के कतिपय सहायक अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत पर जांच एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

95-श्री राजाराम त्यागी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत जू0हाई स्कूल मुंशीगंज में कार्यरत सहायक अध्यापिका हीरा लाल व शिव दुलारे के विरुद्ध कोई जांच जिलाधिकारी रायबरेली ने की थी ? क्या उस जांच को दिनांक 1-10-1994 सहायक बे0शि0 निदेशक को और फिर दिनांक 7 फरवरी, 1995 को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को भेजी गई है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्रावली सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के यहां से गायब कर दी गई ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो पत्रावली में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? क्या विलम्ब से निर्णय लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृज भूषण शरण, एवं श्री बृज भूषण मिश्र (ग्रामवासी) के निधन पर शोकोद्गार

(सुश्री मायावती के खड़े होने पर मेजे थपथपाई गई)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती) -

मान्यवर, आज मैं इस सदन के जो दो सदस्य रहे हैं, उनके बारे में उनके निधन के बारे में, मैं सदन को जानकारी देना चाहती हूं । यह कोई खुशी का प्रस्ताव नहीं है, दुःख का है । इस मौके पर मेंजें थपथपाना तो मैं कोई अच्छी परम्परा नहीं समझती । मान्यवर, अत्यन्त दुख के साथ मैं सदन को सूचित कर रही हूं कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री बृजभूषण शरण का देहान्त दिनांक 23 जनवरी, 1995 को हो गया था । इनका जन्म 2 जनवरी, 1920 को बिजनौर में हुआ था ये सन् 1957 एवं 1962 में इस सदन के सदस्य रहे । यह एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं अच्छे वकील भी थे । इनके निधन से प्रदेश ने एक अच्छा समाजसेवी खो दिया है । मेरे व मेरे दल और सदन की ओर से शोक संवेदनायें, शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री बृजभूषण मिश्र का देहान्त 6 अगस्त, 1995 को हो गया था । उनका जन्म 27 अगस्त, 1899 को गोपीगंज, मिर्जापुर जिले में हुआ था । यह सन् 1952 में सदन के सदस्य चुने गये । यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । कई संस्थाओं से जुड़े रहे इनके निधन से प्रदेश ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है । दिवंगत आत्मा के प्रति शान्ति की कामना करते हुये मेरा निवेदन है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कल्याण सिंह -

श्रीमन् स्वर्गीय श्री बृजभूषण शरण जी तथा श्री बृजभूषण मिश्र जी "ग्रामवासी" के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री बृजभूषण शरण इस माननीय सदन के दो बार सदस्य निर्वाचित हुये । वह कांग्रेस के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे उन्होंने विभिन्न पदों का उत्तरदायित्व बहुत सफलता पूर्वक निभाया । एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता की छवि उनकी थी । उनके निधन से उनके जनपद ने एक कर्मयोगी, राजनीतिक कार्यकर्ता, निस्वार्थ कार्यकर्ता खो दिया है । आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्रीमन् बृजभूषण मिश्र "ग्रामवासी" वह भी इस सदन के एक बार सदस्य निर्वाचित हुये। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह इस पीढ़ी के महान नायकों में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में बड़ा भारी योगदान दिया था। उन्होंने अनेक बार जेलों की यात्रायें भी की थीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरा थोड़ा सम्पर्क रहा मैं उनकी बातों से प्रभावित हुआ श्री ग्रामवासी जी नैतिक मूल्यों की राजनीति के पक्ष में रहे। उन्होंने ग्रामवासियों के भले के लिये लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने नाम के साथ ग्रामवासी शब्द जोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि ग्रामों की जनता के लिये उनका जीवन समर्पित है, वह जो पत्र निकालते थे उसमें भी वह ग्रामों की समस्याओं को उजागर करते थे। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को खोकर प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, श्री बृजभूषण शरण और श्री बृजभूषण मिश्र "ग्रामवासी" जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, नेता, भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री बृजभूषण शरण जी जिला कांग्रेस कमेटी, देहरादून के लम्बे अरसे तक अध्यक्ष रहे तथा हरिजन सेवक संघ में अविस्मरणीय सेवा की। वह फौजदारी के जाने माने वकील थे। उनके निधन से हमने एक अधिवक्ता और कुशल समाज सुधारक को खो दिया है। ग्रामवासी जी का जीवन ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये समर्पित रहा। विशेष रूप से वाराणसी जनपद भदोही के लिये जो अपूर्णनीय क्षति हुई है उसको नहीं भरा जा सकता है। उनके परिवार को मेरा तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

(श्री राजबहादुर का नाम पुकारे जाने एवं उनकी अनुपस्थिति के उपरान्त)

*श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, इस सदन के दो भूतपूर्व सदस्यों के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस ने व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता है। मान्यवर, श्री बृजभूषण शरण जी बिजनौर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद देहरादून चले गये वहां पर देहरादून से ही 1957 व 1962 में वह इस सदन के सदस्य चुने गये। वह देहरादून के लोकप्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे और हरिजन सेवक समाज के संचालक भी रहे वह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे उनके निधन से देहरादून जनपद ने और इस पूरे प्रदेश ने बहुत ही समर्पित व्यक्ति खो दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे व मेरा दल की ओर से शोकोद्गार दिवंगत आत्मा के परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। श्री बृजभूषण मिश्र जी बहुत लम्बी आयु पाकर हम लोगों के बीच से चले गये। इस देश को आजाद कराने में उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिये संघर्ष किया और आजादी के बाद पहले निर्वाचन में इस सदन के सदस्य रहे। ऐसे महापुरुष के उठ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाने से निश्चित ही हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्री बृजभूषण मिश्र जी ग्रामवासी ने जीवन के हर क्षेत्र में रुचि ली। वह पत्रकार भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिये काम किया। इस महान व्यक्ति के उठ जाने पर मैं और मेरा दल दुखी है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री बृजभूषण मिश्र जी के परिवार तक मेरा व मेरे दल की ओर से शोकोद्गार पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री ऊदल-

मान्यवर, भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री बृजभूषण शरण जिनका देहान्त 23 जनवरी, 1995 को लम्बी बीमारी के बाद देहरादून में हो गया। उनके निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूं। स्वर्गीय श्री बृजभूषण शरण जी से मेरी व्यक्तिगत सम्बन्ध था। उनके घर भी जाने का मुझे मौका मिला। और उनके साथ-साथ मैं इस सदन का 1957 व 1962 में सदस्य भी रहा हूं। वह बहुत ही मृदुभाषी व एक अच्छे समाज सेवक थे। वे कांग्रेस के कर्मठ नेताओं में से थे उनके निधन से देहरादून और उसके आस-पास के जिलों में बड़ी क्षति हुई है। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उनके बारे में जो शोकोद्गार नेता सदन, नेता भारतीय जनता पार्टी श्री कल्याण सिंह, श्री तिवारी जी नेता कांग्रेस ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। व आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक मेरी तथा हमारे दल की शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

भूतपूर्व सदस्य श्री बृजभूषण मिश्र, "ग्रामवासी" जो हमारे ही जिले के निवासी थे और पत्रकार भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी निधन 6 अगस्त, 1995 को लम्बी बीमारी के बाद लखनऊ के मेडिकल कालेज में हो गया। वह 96 वर्ष के थे। अच्छी उम्र मिली थी। उन्होंने सामाजिक सेवा में अपने को पूरी तरह अर्पित कर दिया। आज भी नया जिला सोनभद्र में एक ग्रामवासी आश्रम खुला हुआ है। जिसमें दलितों व पिछड़ों की सेवा का व्रत लिया गया है। मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में उनका कार्यक्रम चलता था।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

जिससे दुखियों को बहुत सहारा मिलता था, वह 1952 प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुये थे और राबर्ट्सगंज क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। उनके निधन से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेस का कर्मठ नेता, गरीबों का मसीहा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दलितों का उद्धारक हमारे बीच से उठ गया । उनके निधन पर मैं अपने को और अपने दल को माननीय नेता सदन, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय किरन पाल जी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, से सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे ये शोकोद्गार उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम स्वरूप सिंह -

माननीय अध्यक्ष जी, श्री बृजभूषण शरण तथा श्री बृजभूषण मिश्र, "ग्रामवासी" जी के निधन के संबंध में जो शोक सन्देश माननीय नेता सदन, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी श्री कल्याण सिंह जी, माननीय कांग्रेस के श्री नेता प्रमोद तिवारी जी और जनता दल के नेता माननीय किरन पाल जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कामरेड श्री ऊदल जी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने दल को और अपने आपको सम्बद्ध करता हूं । श्री बृजभूषण शरण जी का निधन 30 जनवरी, 1995 को एक लम्बी बीमारी के बाद देहरादून में हो गया, उनकी आयु 75 वर्ष की थी । उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर जो सेवायें की हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता । वह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, हरिजन सेवक संघ के जिला अध्यक्ष रहे । वह मेरे जिले में पैदा हुये थे, दारानगर गांव में । उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी शोक संवेदनायें मेरे और मेरे दल की ओर से उनके परिवार को भिजवाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री बृजभूषण मिश्र, "ग्रामवासी" जी भूतपूर्व सदस्य, पत्रकार एक स्ततंत्रता संग्राम सेनानी थे, दिनांक 6 अगस्त, 1995 को एक लम्बी बीमारी के बाद लखनऊ मेडिकल कालेज में उनका निधन हो गया । उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी । उन्होंने अपने जीवन में लोगों की जो सेवायें की, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को बहुत हानि हुई है । उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह -

मान्यवर, इस सदन के दो भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री बृजभूषण शरण तथा स्वर्गीय श्री बृजभूषण मिश्र "ग्रामवासी" जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, माननीय नेता जनता दल, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और माननीय नेता भारतीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उक्त दोनों परिवारों को इस गम्भीर विपत्ति को सहने की शक्ति दें तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से तथा मेरे निर्दलीय साथियों की तरफ से शोक संवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार को भेजने की कृपा करें ।

*श्री हरवंश कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री बृजभूषण शरण जी देहरादून के लोकप्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे । दो बार वह इस माननीय सदन के सदस्य रहे और देहरादून जिला कांग्रेस कमेटी के वह जिलाध्यक्ष रहे । वह देहरादून के फौजदारी के जाने माने वकील थे । उनका दल कांग्रेस था परन्तु एक प्रखर सूझबूझ के राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता समय समय पर उनसे राय मशिवरा लिया करते थे । एक लम्बी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ । उनके न रहने से देहरादून, जो स्थान रिक्त हुआ है उससे देहरादून की क्षति जहां पर हुई है वहीं पर पूरे प्रदेश की भांति भी क्षति हुई है । मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें । मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि मेरी भावनाओं को उनके शोकसंतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष-

आज दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेता जनता दल, नेता भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । जो शोकोद्गार सदन में माननीय नेताओं ने और माननीय सदस्य ने व्यक्त किये हैं उनको भूतपूर्व मा0 सदस्यों जिनका निधन हुआ है, उनसे दुखी परिवार तक पहुंचा दिया जायगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े हों ।

(माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की ।)

फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 21 अगस्त, 1995 को विधान सभा में, में निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं ।

"यह सदन दिनांक 20 अगस्त, 1995 को सुबह लगभग 3 बजे फिरोजाबाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकट करता है, तथा उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि उनकी आत्मा को शान्ति दें तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को यह क्षति सहन करने की शक्ति दे। यह सदन इस रेल दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है।"

मान्यवर, दिनांक 20 अगस्त, 1995 को अर्द्धरात्रि के बाद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थान पर जो अत्यन्त भीषण रेल दुर्घटना घटित हुई, उससे सारा प्रदेश शोकाकुल है, दुखी है। इस दुर्घटना में 229 जाने चली गईं और 324 व्यक्ति घायल हुये हैं एक बोगी कटनी बाकी है तथा घायलों की संख्या और अधिक होने की सम्भावना है। मैं स्वयं कल इस हृदय विदारक घटना को देखने गयी थी, यद्यपि शासन ने इस घटना के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है लेकिन जो लोग घायल हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं, उनके लिये सभी दुखी हैं जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल तथा सदन की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार जन तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं माननीया मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय नेता सदन ने कह दिया तो हो गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 20 अगस्त, 1995 को सुबह लगभग 3 बजे फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकट करता है, तथा उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को यह क्षति सहन करने की शक्ति दे। यह सदन इस रेल दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिये मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन में दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर

अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 10 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री अमर नाथ यादव की है वह उपस्थित नहीं है, दूसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ के "रमना" गांव में अस्पताल की सेवायें जनता को उपलब्ध कराने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री शिवेन्द्र सिंह की है, वह उपस्थित नहीं हैं, चौथी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कर लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की लाटरी निदेशालय, लखनऊ में हुये अग्निकाण्ड से लाटरी विक्रेताओं, एजेन्टों तथा जनता के करोड़ों रुपये के भुगतान रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठीं सूचना डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" की जनपद गढ़वाल के रा0उ0मा0वि0 मासी चौथान के जीर्णशीर्ण भवन को निर्मित कराने के संबंध में, सातवीं सूचना श्री धनराज यादव की सिद्धार्थ नगर जनपद के विकास खण्ड उसकाबाजार में कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में, आठवीं सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरा में एक्सरे मशीन व महिला चिकित्सक न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, नवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल संकट के संबंध में, दसवीं सूचना श्री नन्द किशोर मिश्र की जनपद पडरौना में सेवरही नगर पंचायत के मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में है। दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची की सूचना ली जा रही है-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सीतापुर में ग्राम बरुआ नेवादा की सुरक्षा हेतु बन्धा बनवाने के संबंध में और शिव प्रताप शुक्ल की गोरखपुर खाद कारखाना जो वर्षों से बन्द पड़ा है, को चलवाने के संबंध में है। यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं। शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद वाराणसी के काशी विद्यापीठ के "रमना" गांव में अस्पताल की सेवायें जनता को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

{ वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ के "रमना" गांव में आज से 3 साल पहले सन् 1992 में भा0ज0पा0 के शासनकाल में एक अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। साल भर पहले अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी है। यद्यपि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बाकी है लेकिन काम बन्द है। इस अस्पताल के बिल्डिंग के निर्माण में जनता के गाढ़ी कमाई का धन लगा है। यह जनता के आशा और अपेक्षा की प्रतीक्षा है। यह ग्रामीण जनता के जीवन की एक आवश्यकता है। लेकिन बिडम्बना यह है कि न तो बिल्डिंग पूरा करने का कोई प्रयत्न हो रहा है और न ही अस्पताल का कार्य शुरू हो रहा है। यह प्रशासन की लापरवाही है या उपेक्षात्मक

नोट:-{ } यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुख है, जनता का धन लग चुका है, पूंजी पर व्याज खराब हो रहा है· किन्तु अस्पताल की सेवाओं से क्षेत्रीय जनता वंचित है । मैं शासन से यह मांग करती हूं कि अस्पताल की सेवायें, जनता को अविलम्ब प्राप्त हों । इसकी व्यवस्था की जाय ।)

जनपद गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कर लगाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी-

) महोदय, लोक महत्व के निम्न विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्र में स्थित आनन्द औद्योगिक क्षेत्र राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र तीनों निजी कालोनाइजरों द्वारा विकसित किये गये थे तथा इनके ले आउट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा पूर्ववर्ती संस्था सुधार मण्डल गाजियाबाद द्वारा किया गया था ।

गाजियाबाद नगर की सीमा में होने के कारण नगरपालिका/नगर निगम द्वारा कर वसूला जाता है जिसके एवज में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा रहती है ।

खेद है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व विकास शुल्क के नाम पर लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है । इन क्षेत्रों का रखरखाव जैसा भी है नगर निगम द्वारा होता है तथा विकास निजी कालोनाईजर ने किया था फिर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन अनुचित व्यवस्था के कारण सैकड़ों भूखण्ड खाली रह गये हैं ।

इस संबंध में सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं ।)

लाटरी निदेशालय लखनऊ में हुये अग्निकाण्ड से लाटरी विक्रेताओं, एजेन्टों तथा जनता के करोड़ों रुपये का भुगतान रुकने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र-

) महोदय, सन् 1992-93 में लाटरी निदेशालय, लखनऊ में भीषण अग्निकाण्ड हुआ था । जिसमें आवश्यक कागजात आदि जल गये थे लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ हैं । लाटरी विक्रेताओं, एजेन्टों तथा लाटरी का इनाम पाये जाने वाले लोगों का करोड़ों रुपया रुका हुआ है । इसमें से कुछ का भुगतान नहीं हुआ है तथा कुछ के एफ0डी0आर0 बन चुके थे । जिनकी सूचना उनके घर तक पहुंच गई थी । जिसकी एक प्रति संबंधित लोगों को भेजी जा चुकी थी । उन लोगों का भुगतान भी रोक दिया गया है । इस प्रकार आम जनता बहुत ही परेशान है तथा लोगों का भुगतान न होने से लोगों के सामने गम्भीर आर्थिक संकट व्याप्त है । कई बार

नोटः-)) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस विषय में निदेशक तथा वित्त सचिव का ध्यान आकर्षित किया गया है । लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं मिला है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान दिलाने एवं जनता के रुके भुगतान को शीघ्र कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।)

जनपद गढ़वाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मासी (चौथान) के जीर्ण-शीर्ण भवन को निर्मित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

(महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रा0 उ0 मा0 वि0 मासी (चौथान) का भवन अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय संकट में बना हुआ है । लगातार भारी वर्षा के कारण स्कूल बन्द पड़ा है । कहीं अन्यत्र विद्यालय लगाने का कोई विकल्प नहीं है, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है ।

एक ओर भवर की जीर्ण-शीर्णता है जहां सैकड़ों छात्र छात्राओं का जीवन संकट में है वहीं दूसरी ओर व्यवस्थित अध्यापन कार्य न होने से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है । अभी तक भी शिक्षा विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ।

आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को आदेशित करते हुये एक सप्ताह के अन्दर जीर्ण-शीर्ण उपरोक्त भवन का निर्माण सुनिश्चित कराने की कृपा करें ताकि छात्रों का जीवन बचाकर उनके भविष्य को संकट से बचाया जा सके । कृपया इस लोक महत्व के विषय पर ध्यान केन्द्रित कर अनुग्रहीत करें।)

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उसका बाजार में कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनराज यादव-

(सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उसका बाजार में कोई कन्या हाई स्कूल नहीं है वह इस विकास खण्ड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है । तथा विकास खण्ड मुख्यालय उसका बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण उन नगर के रूप में है ।

यह स्थान 1906 के पूर्व टाउन एरिया था आज यह व्यापारिक केन्द्र है । यहां पर जूनियर हाई स्कूल परिसर में पुराना बोर्डिंग हाउस के 7-8 कमरे हैं । जो थोड़ी सी मरम्मत से विद्यालय के कार्य के लिये पर्याप्त होंगे । इसके मरम्मत के लिये धन की जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति डी0आर0डी0ए0 से नौगढ़ विकास खण्ड

नोट:-((यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में निर्माण कार्य के लिये होने वाले धन से तथा सांसद फण्ड से व्यय किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये 1991-92 के वर्ष में प्रस्ताव किया गया था परन्तु इस पर निर्णय नहीं हो पाया। यह एक ऐसा आवश्यक और व्यवहारिक, तात्कालिक कार्य है जिसके हो जाने से खण्ड मुख्यालय उसका बाजार के साथ-साथ सैकड़ों ग्रामों की लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने का वरदान पा सकती हैं।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उसका बाजार में कन्या हाईस्कूल खोलने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरा में एक्स-रे मशीन व महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र गौरा में वर्षों से एक्सरे मशीन लगी है व महिला चिकित्सक का पद भी है परन्तु किसी भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रीय जनता को एक्सरे के लिये तथा महिलाओं के इलाज के लिये लगभग 30 किमी0 दूर शहर प्रतापगढ़ जाना पड़ता है या इलाहाबाद, जौनपुर से उक्त कार्य कराने होते हैं। मान्यवर, क्षेत्रीय गांव की जनता आज भी गरीब व धनहीन है, पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों का क्षेत्र है। एक्स-रे चलाने के लिये टेक्नीशियन तथा महिला चिकित्सक की नियुक्ति की, उच्चीकृत प्रा0स्वा0 केन्द्र गौरा में जनहित को देखते हुये तत्काल आवश्यकता है जबकि एक्स-रे मशीन मौजूद है तथा महिला चिकित्सक का पद वर्षों से खाली पड़ा है।

अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से शासन को तत्काल प्रभावी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल संकट दिन प्रतिदिन गहराते जाने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता जा रहा है।

जनपद की उच्चाकेट, चरेख, फल्दाकोट, काण्डा, जैगांव, पम्पिंग एवं पोखरी धयल गांव, बारह गाव, तच्छाली, लैंसडौन, कोटद्वार भावर की अधिकांश पेयजल योजनायें विभागीय लापरवाही एवं धनाभाव के कारण बन्द होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है और किसी-किसी गांव को पांच कि0मी0

नोटः- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से अधिक दूरी से पानी लेने जाना पड़ रहा है। यही नहीं पानी के इस संकट से कई गांवों के ग्रामीण को अपने गांवों को छोड़कर अन्यत्र बसने को मजबूर होना पड़ रहा है और सम्पूर्ण क्षेत्र पानी के सम्भावित बड़े संकट से भयाकुल हो जाता है। इस गहराते पेयजल संकट से सम्पूर्ण क्षेत्र में भय व आतंकित वातावरण बना हुआ है। समय रहते यदि सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तराखण्ड की पेयजल व्यवस्था को ठीक कराने के लिये कोई कारगर कार्य योजना नहीं बनाती तो स्थिति बिस्फोटक हो जायेगी। यही नहीं जहां पीने का पानी किसी तरह उपलब्ध कराया जा रहा है बिना फिल्टर के दिया जा रहा है और लोग मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे आन्त्रशोध व पीलिया रोग बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कोटद्वार भावर क्षेत्र में तो अधिकांश लोगों को गन्दे पानी से पीलिया फैल गया है और स्थिति बेकाबू होती जा रही है।

कृपया सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि युद्धस्तर पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर जनपद पौड़ी गढ़वाल को पेयजल संकट से उबारने के लिये कारगर उपाय करें।)

जनपद पडरौना के सेवरही नगर पंचायत के मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर मिश्र-

) महोदय आग्रह है कि जनपद पडरौना के नगर पंचायत सेवरही का मुख्य मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आवागमन मुश्किल हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण और भी जनजीवन के सामने कठिनाई पैदा हो गई है। सेवरही नगर पंचायत जनपद की सबसे बड़ी आबादी वाली नगर पंचायत है। सरकारी कार्यालय, मण्डी एवं प्रमुख व्यवसायिक स्थल भी है, लेकिन एक भी सुलभ शौचालय नहीं है।

मैंने मार्च, 1995 में नगर विकास सचिव को एक पत्र 700 मीटर पक्की पिच सड़क तथा दोनों तरफ जल निकासी हेतु नालियों के निर्माण एवं सुलभ शौचालय का आग्रह किया था। उपरोक्त का एस्टीमेंट भी तैयार होकर जिले से आ गया 75 हजार रुपये भी सड़क के मद में चला गया लेकिन शेष धन नहीं दिया जा सका, जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। लगभग तीस हजार जनसंख्या वाले इस प्रमुख व्यवसायिक नगर में क्षेत्र की लाखों जनता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के खरीददारी हेतु आना पड़ता है लेकिन रास्ता न होने के कारण उन लाखों लोगों का भी जनजीवन अस्त व्यवस्त हो गया है।

नोट:-)) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जो लाखों लोगों के जनजीवन से जुड़ा है सरकार को उक्त कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश करें ।)

जनपद सीतापुर में ग्राम बरुआ नेवादा की सुरक्षा हेतु बन्धा बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

) महोदय परगना खैराबाद तहसील एवं जिला सीतापुर के ग्राम बरुआ नेवादा को, सराय नदी बराबर काट रही है । नदी की धारा बदल गई है । अभी तक तो उसने किनारे की कृषि भूमि का कटान किया और अब आबादी कटना प्रारम्भ है । कई मकान जल समाधि ले चुके हैं अनेक बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया परन्तु कोई फल नहीं निकला बन्धा बनाने हेतु सर्वेक्षण तो हुआ परन्तु काम प्रारम्भ नहीं हुआ । इन ग्रामों में गोड़िया तथा मल्लाह जाति के लोग रहते हैं उनकी जीविका गई और अब वे बेघरवार भी हो गये हैं । शासन द्वारा कोई ध्यान न दिये जाने से ग्राम वासियों में जन आक्रोश बढ़ रहा है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि उक्त ग्रामों को कटान से बचाने हेतु बन्धा बनाने का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय ।)

बन्द पड़े गोरखपुर खाद कारखाना को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव प्रताप शुक्ल-

) गोरखपुर का खाद कारखाना विगत 5 वर्षों से बन्द पड़ा है यह कारखाना पूर्णतः केन्द्र सरकार के अधीन है इस पर राज्य सरकार का एक भी पैसे का अंशदान नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही सबसे बड़ा कारखाना होने के कारण इसी आधार पर विकास का प्रतिमान तय किया जाता रहा है तथा इसी के कारण गोरखपुर में गीडा के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों को भी सब्सिडी नहीं दी जा रही थी क्योंकि गोरखपुर की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला नहीं माना जाता था । आज इस कारखाने के बन्द होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्णतः उपेक्षित हो गया है देश में अन्य खाद के कारखाने भी हैं तथा गोरखपुर के कारखाने अधिक बीमार हैं परन्तु केन्द्र सरकार उन कारखानों को चलाने के लिये धन उपलब्ध करा रही है जहां बरौनी 941.62 करोड़ तारपेर को 532.43 करोड़ रुपये सिन्दूरी को 224.18 करोड़ रुपये दिये गये परन्तु खेद है कि गोरखपुर कारखाना जो सबसे कम बीमार है उसे चलाने के लिये पैसे नहीं दिये गये, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षमता मरती जा रही है यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आपसे अपेक्षा है कि राज्य सरकार को निर्देश देंगे कि वह केन्द्र सरकार से अविलम्ब वार्ता करके गोरखपुर खाद कारखानें को चलवाने का प्रबन्ध करायेगी ।)

नोटः-)) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है तमुकुहीराज के बारे में ।

श्री जगदम्बिका पाल-

आप मुझे एक मिनट सुन लें ।

श्री ऊदल-

मैं चाहता हूं कि इसको सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

इसे कल आप दे दें ।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21-8-95 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

यह नियम 300 वाली सूचनाओं को, अगर उचित समझें तो कुछ याचिकायें हैं उन याचिकाओं को प्रस्तुत होने के बाद माननीया मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देना चाहती हैं उनके वक्तव्य देने के बाद नियम 300 की सूचनाओं को ले लें ।

(व्यवधान)

यह मेरा निवेदन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की दिनांक 6 फरवरी, 1995 को नियम 301 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना का उत्तर 7 जुलाई, 1995 को प्राप्त हो जाने के बावजूद उस सूचना में उठाये गये विषय का कार्यान्वयन न किया जाना विषयक है, मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो उत्तर 7 जुलाई, 1995 को माननीय सदस्य को मिला था उसके अनुरूप कार्यवाही की जाय ।

दूसरी सूचना डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" की उत्तराखण्ड विकास विभाग के बजट पर एक दिन चर्चा न कराये जाने के बारे में है । आज उत्तराखण्ड विकास विभाग का बजट है, उत्तराखण्ड विकास विभाग की चर्चा कितने समय होती है यह कार्य मंत्रणा समिति में तय होता है, इसलिये इस सूचना को अग्राह्य करता हूं, आगे जो सूचनायें हैं उनको नियम 300 के अन्तर्गत अस्वीकृत करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, मेरी सूचना है, आज पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। आज पूरे प्रदेश के किसानों पर ढाई गुना से लेकर 15 गुना तक नहरों की सिंचाई दरें लागू हो गयी हैं जिससे प्रदेश का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। विधान परिषद् सर्वसम्मति से इसको वापिस लेने का प्रस्ताव पास कर चुका है और अब इसको विधान सभा में वापिस लेना है और उसको एजेण्डा पर नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1992-93 का प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां) +

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन +

श्री सफदर रजा खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा का प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन जो दुग्धशाला विकास विभाग के वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा के अंतर्गत पोर्टरगंज से भदुआ तरहर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री सूर्य प्रकाश तिवारी की याचिका ++

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत पोर्टरगंज से भदुआ मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री सूर्य प्रकाश तिवारी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कौड़िया बाजार से लक्ष्मनपुर, बसन्तपुर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भवानी भीख शुक्ल की याचिका ++

श्री बावन सिंह-

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कौडिया बाजार से लक्ष्मनपुर बसन्तपुर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

+ छापे नहीं गये।

++ छापी नहीं गई।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा बाजार से देवा पसिया मार्ग पर खण्डंजा/लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने के संबंध में श्री रुद्र प्रताप सिंह की याचिका ++

श्री बावन सिंह -

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा बाजार से देवापासिया मार्ग पर खड़ंजा/लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने के संबंध में श्री रुद्र प्रताप सिंह निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा बाजार से सर्वांगपुर वाया लालपुर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राजा राम मिश्र की याचिका ++

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा बाजार से सर्वांगपुर वाया लालपुर मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राजाराम मिश्र, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रामापुर के पूरे बदल गंगा जमुनी मार्ग पर खडंजा स्तर तक कार्य कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल की याचिका ++

श्री बावन सिंह -

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रामपुर के पूरे बदल गंगा जमुनी मार्ग पर खडंजा स्तर तक कार्य कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गोण्डा के अंतर्गत करनैलगंज से नहवा परसौरा, मनकापुर देवा पसिया, नरायनपुर कला मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पक्का आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल की याचिका ++

श्री बावन सिंह -

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत करनैलगंज से नहवापरसौरा, मनकापुर, देवापसिया, नारायनपुर कला मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पक्का आर0सी0सी0 का पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख शुक्ल, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित रानीगंज बाजार से टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रताप पाण्डेय आदि की याचिका ++

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित रानीगंज बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रताप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

++ छापी नहीं गयी ।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत बीरापुर में सई नदी के किनारे वाराही देवी धाम के सौंदर्यीकरण कराये जाने के संबंध में याचिका ++

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत बीरापुर में सई नदी के किनारे पर स्थित माता बाराही देवी धाम का सम्पूर्ण सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री रमाकान्त द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थिति करता हूं ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उड़ैयाडीह से सराय छिवेलहा मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार शुक्ल आदि की याचिका ++

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उड़ैयाडीह से सराय छिवलहा मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड पट्टी की ग्राम सभा डडवा महोखरी में पट्टी नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में छोटे लाल तिवारी आदि की याचिका ++

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा डड़वा महोखरी में पट्टी नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री छोटे लाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र बीरापुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में श्री प्रेम किशोर यादव की याचिका ++

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर में राजकीय कन्या इण्टर मीडिएट कालेज खोले जाने के संबंध में श्री प्रेम किशोर यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बांदा में राजापुर एवं मानिकपुर को तहसील बनवाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार आजाद की याचिका ++

श्री भैरो प्रसाद मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बांदा में राजापुर एवं मानिकपुर को तहसील बनवाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार आजाद व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

++ छापी नहीं गई ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत चन्दरौली, कौमीपुर, मजनूपुर मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री धर्मराज सिंह आदि की याचिका ++

श्री सुन्दरलाल दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत चन्दरौसी, कौमीपुर, गजनूपुर मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री धर्मराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत कुवेहा देवीगंज मार्ग पर राजघाट गोमती नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जिया लाल आदि की याचिका ++

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बाराबंकी की तहसील के अंतर्गत कुवेहा देवीगंज मार्ग पर राजघाट गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जिया लाल व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत सुबेहा से सिल्हौर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महादेव गुप्त आदि की याचिका ++

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत सुबेहा से सिल्हौर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महादेव गुप्त व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बाराबंकी के अंतर्गत हैदरगढ़ में एक डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में श्री राजकुमार अग्रवाल आदि की याचिका ++

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बाराबंकी में एक डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में श्री राजकुमार अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल व श्री हरेन्द्र सिंह मलिक के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें ।

++ छापी नहीं गई ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस विषय पर आप लोगों की जिज्ञासा थी, माननीय सदस्यों ने इस सदन में काफी जोर देकर चाहा था कि सभी दल के माननीय नेतागण माननीया मुख्यमंत्री के साथ बात करना चाह रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आपको मद संख्या 12 लेनी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीया मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर वार्ता करना चाह रहे थे उसमें आप लोगों की जो सुविधायें हैं, उनसे संबंधित जो समस्यायें हैं, उनका हल निकालकर कुछ कराना आप लोग चाहते हैं, तो 6 बजे का ध्यान रखेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभी कौन सी अव्यवस्था हो गयी अभी तो सदन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

सदन तो बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, उसमें सहयोग मांग रहा हूं आप सबका।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभी कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

सहयोग तो आप सबका चाहिये, 6 बजे का समय ध्यान रखें।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अव्यवस्था संसदीय कार्य मंत्री जी फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल जी मा0 हरेन्द्र सिंह जी 6 बजे को ध्यान में रखिये, सहयोग दें। अब मैं मद संख्या 12 लेता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 अगस्त, 1995 की बैठक में सदन के दिनांक 21 तथा 22 अगस्त, 1995 के उपवेशन के तिथिवार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-सदन के दिनांक 21 तथा 22 अगस्त, 1995 के उपवेशनों के सदन द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :-

अगस्त, 1995

21 सोमवार 1-निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के पश्चात्).

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995--आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 --आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 --आधा घण्टा ।

3-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

22 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2-4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, इस पर विचार एवं उसका पारण ।

2-दिनांक 22 अगस्त, 1995 को नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में, जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मथुरा यज्ञ के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती) -

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी दलों के सम्मानित नेता एवं सदस्यगण। पिछले कुछ दिनों से कुछ सम्मानित सदस्यों ने मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त की थी। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। हमारी सरकार की दृढ़ता के परिणामस्वरूप सारी भ्रान्तियां जो जान बूझकर फैलायी गई थी, वे सभी गलत साबित हुई हैं। मैं इस सन्दर्भ में याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन की यह महान परम्परा रही है कि संवेदनशील मौकों पर जब कभी जनता के मन में कशमकश की स्थिति उत्पन्न हुई है तो इस सदन के सभी दलों के सम्मानित नेता और सदस्यगण अपनी दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर जनता को उसकी हिफाजत और सुरक्षा का विश्वास दिलाते रहे हैं। जनता की पीड़ा को उभार कर, आधारहीन संदेहों को जन्म देकर लोगों में असुरक्षा की भावना भड़का कर, राजनीतिक हितों की पूर्ति करना इस सदन का इतिहास नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस तथा कुछ अन्य दलों के नेताओ के बयान एवं आचरण से सदन की इस महान परम्परा को ठेस पहुंची है। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक है। मैंने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार धर्म, जाति और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर सर्वजन के हित को सर्वोपरि मानते हुये गुण अवगुण के आधार पर फैसले करेगी। मैंने पिछले ढ़ाई महीने में इस वायदे को पूरा किया है। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मेरी सरकार के सामने एक के बाद एक चुनौतियां आयी हैं, लेकिन हमने हर चुनौती का जबाब दृढ़ता और साहस से दिया है तथा किसी भी मौके पर दलीय, जातीय अथवा धार्मिक भावनाओं को अपने फैसले प्रभावित नहीं करने दिया।

मेरे शपथ लेने के एक सप्ताह के बाद ही मुहर्रम का त्योहार पड़ा। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली कि इस संवेदनशील मौके पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग असामाजिक तत्वों से मिलकर सरकार को बदनाम करने के लिये शान्ति व्यवस्था भंग करेंगे। इनके बार-बार यह गलत प्रचार किया गया था कि हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है इसलिये धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम समुदाय के लोगों की जान माल एवं मजहब खतरे में है। मैंने उस अवसर पर कठोर फैसला लेते हुये पूरे प्रदेश में जनसभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगायी, साम्प्रदायिक तथा असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया और हजारों अपराधिक तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिससे पूरे प्रदेश में गुण्डों का आतंक कम हुआ, जनता को आतंक से मुक्ति मिली और मोहर्ररम शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ। कुछ स्थानों पर शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास किये गये लेकिन हमने जिस सख्ती से उससे निपटा है यह बात प्रदेश की जनता जानती है।

इसी प्रकार वाराणसी में तीज के अवसर पर सावन के तीसरे सोमवार को विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल द्वारा श्रृंगारगौरी का जलाभिषेक करने की घोषणा की गई थी यह संगठन भाजपा के सहयोगी हैं और हमारी सरकार को भाजपा का बिना शर्त समर्थन प्राप्त है। लेकिन फिर भी हमने संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर और बिना परिणाम की परवाह किये हुये यह फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर विवादित परिसर में कोई भी नई परम्परा नहीं पड़ने दी जायेगी और इस फैसले को सख्ती से लागू किया। इस अवसर पर भी समाजवादी पार्टी के लोग अव्यवस्था फैलाना चाहते थे लेकिन यहां भी उनकी साजिश, सख्ती के साथ सफल नहीं होने दी। अपने फैसले को लागू करने के लिये हमने सभी सम्भव व्यवस्थायें कीं और जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करने से भी नहीं हिचका गया। हमारी निष्पक्षता का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि न केवल विश्व हिन्दू परिषद् के महासचिव श्री अशोक सिंहल ने प्रशासन की कार्यवाही को उचित ठहराया बल्कि बनारस के शहर काजी ने भी स्पष्ट वक्तव्य देकर कहा कि प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई थी तथा श्रृंगारगौरी पर जलाभिषेक नहीं होने दिया गया और कोई नई परम्परा नहीं पड़ने दी गई।

जिला प्रतापगढ़ में दिलेरगंज गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार पूरा मामला आपसी रंजिश के कारण हुआ था फिर भी लोगों के अन्दर विश्वास पैदा करने के लिये और सभी तथ्यों एवं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि पूरे प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से करा दी जाय।

मथुरा में भी हमने अपनी बचनबद्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार की सोच के अनुरूप ही दृढ़ और कठोर निर्णय लिया तथा उतनी ही सख्ती के साथ उसे लागू भी कराया। हमने बार-बार कहा कि हमारी सरकार किसी धार्मिक मामलें में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और हर धर्म की आजादी का सम्मान करेगी। लेकिन आजादी का अभिप्राय असीमित आजादी नहीं है। इस संदर्भ में हेरल्ड लास्की का एक दृष्टान्त भी बताना चाहती हूं कि लाइन में प्रतीक्षा करते हुये एक व्यक्ति के कन्धे पर छाता रखे हुये था जो बार-बार पीछे खड़े व्यक्ति के नाक से टकरा रहा था। पीछे खड़े व्यक्ति ने आपत्ति करने पर उस व्यक्ति से कहा कि मुझे अपने साथ छाता रखने की पूर्ण आजादी है जिस पर पीछे खड़े व्यक्ति ने दृढ़ता से उसे बताया कि आपको इतनी आजादी अवश्य है लेकिन छाता रखने की आजादी मेरी नाक तक पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम धार्मिक आजादी के पक्षधर हैं लेकिन एक सीमा के बाद सार्वजनिक हित में आजादी सीमित हो जाती है। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि धर्म और जाति की आड़ में किसी को भी शान्ति

व्यवस्था भंग करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसी नई परम्परायें जो विवाद को जन्म दें अथवा बढ़ायें जाने को इजाजत भी नहीं दी जायेगी। और माननीय न्यायालयों के आदेशों का सख्ती से पालन किया जायेगा।

कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये हमने निर्णय लिया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद के चारों तरफ तीन किलोमीटर के अन्दर कोई भी नई परम्परा कायम नहीं होने दी जायेगी। एक तरफ जहां हमने अपनें फैसले को कठोरता से लागू किया वहीं दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल से बातचीत करके इन संगठनों को अपनी सरकार के फैसले को मानने के लिये भी सहमत कराया। परिणाम यह हुआ कि यज्ञ शासन द्वारा प्रस्तावित तीन किलोमीटर की परिधि के बाहर ही हुआ, कोई नई परम्परा नहीं पड़ी और न केवल मथुरा बल्कि पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनी रही। सरकार ने मथुरा के लिये जो सुरक्षा व्यवस्था बनायी उसकी सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी की ओर से हमारी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को इस मुद्दे पर भड़काने की कोशिश की गई लेकिन जब उन्हें पूरे तथ्यों की जानकारी हुई तो उन्होंने स्वयं मथुरा जाने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मथुरा में भी समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने की साजिश की लेकिन शासन की सख्ती के कारण वे सफल नहीं हो सके।

मथुरा में हमारी इस सफलता में माननीय प्रधान मंत्री श्री पी0बी0 नरसिंह राव का बहुत बड़ा सहयोग रहा जिन्होंने हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद माननीय प्रधान मंत्री जी की बगैर जानकारी के कांग्रेस के कुछ नीचे के लोग साजिश करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहते थे। यह लोग चाहते थे कि प्रदेश की सर्वहितकारी सरकार के स्थान पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाय। दुःख इस बात का है कि जहां प्रधान मंत्री जी का प्रदेश सरकार के प्रति रुख पूरी तरह से सकारात्मक व सहयोग का है वहीं इस किस्म के लोग हमारी सरकार के खिलाफ नापाक मंसूबे रखते हैं और हमारे और प्रधान मंत्री जी के बीच समन्वय एवं सहयोग को, षड़यंत्र कर समाप्त करने के लिये प्रयासरत हैं। 14 अगस्त, 1995 को जब मैं स्वयं और मान्यवर, कांशीराम जी प्रधान मंत्री जी से मिलने गये तो उन्होंने हमारे द्वारा किये गये निर्णय और उठाये गये कदमों पर पूर्ण संतोष व्यक्त करते हुये राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया था। एक तरफ प्रधान मंत्री जी का सौहार्दपूर्ण व्यवहार है दूसरी ओर श्री राजेश पायलट तथा अन्य कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिससे राष्ट्रपति शासन लागू करने का अवसर मिल सकें।

मान्यवर, 11 अगस्त, 1995 को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि/शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने गये थे। राज्य सरकार की बिना सहमति के श्री राजेश पायलट के इस अप्रत्याशित दौरे से अनावश्यक तनाव बढ़ा तथा विभिन्न राजनीतिक दल एवं मथुरा के लोगों द्वारा इसे आपत्तिजनक एवं अनावश्यक बताया गया । इसी मौके पर श्री पायलट द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को यह अधिकार दे दे कि केन्द्र सरकार अपने केन्द्रीय बलों के माध्यम से सीधे कार्यवाही कर सकें तथा सी0आर0पी0सी0 की धारा 20 के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के कुछ अधिकारियों को कार्यवाही मजिस्ट्रेट का अधिकार दे दें। 14 अगस्त, 1995 को पुनः श्री पायलट द्वारा हमारे प्रमुख सचिव गृह और नये पुलिस महानिदेशक को दिल्ली बुलवाकर उन पर यह दबाव डाला गया कि वे मुझसे संविधान के अनुच्छेद 355 सी0आर0पी0सी0 की धारा 20 के अन्तर्गत केन्द्र को अधिकार दिलायें । उसी दिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक विशेष सचिव द्वारा हमारे मुख्य सचिव से भी इसी प्रकार का पुरजोर अनुरोध किया गया । यह महत्वपूर्ण है कि जब मैं और मान्यवर, कांशीराम जी उसी दिन माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने केन्द्र सरकार को किसी अधिकार दिये जाने की आवश्यकता के बारे में जिक्र नहीं किया था। इससे साफ जाहिर है कि श्री राजेश पायलट स्वयं अपने स्तर से बिना प्रधानमंत्री की जानकारी के इस प्रकार का षड़यंत्र कर रहे थे जिससे राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी तैयारी हो सके।

(शेम-शेम के नारे लगाये गये)

वे अपनी इस योजना में बहुत उतावले थे कि कृष्ण जन्माष्टमी के मुख्य पर्व के दिन 18 अगस्त, 1995 को भी वे मथुरा आना चाहते थे। जिसे मैंने माननीय प्रधान मंत्री एवं केन्द्रीय गृहमंत्री से कहकर रुकवाया। यह मात्र एक संयोग नहीं है कि 17 अगस्त, 1995 को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि/शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में 75 वीं बटालियन सी0आर0पी0एफ0 के लगभग 60-70 जवान बिना वर्दी के मस्जिद पर पहुंचे । जब उन्हें आर0ए0एफ0 के जवानों द्वारा रोका गया तो उन्होंने वहां पर तैनात मजिस्ट्रेट के साथ अभद्र व्यवहार किया और कहा कि देखते हैं कि आप मस्जिद को कैसे बचा लेंगे ? यह एक छोटा लेकिन अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है जिससे गहरे षड़यंत्र के संकेत मिलते हैं।

प्रदेश में भी कुछ और ऐसे नेता हैं जिनकी चाभी पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के हाथ में है। वह अपनी सुख सुविधा भोगने की आदत के कारण श्री मुलायम सिंह यादव के प्रति समर्पित रहे हैं और अभी भी हैं। (शेम-शेम के नारे लगाने पर)

श्री अध्यक्ष

माननीय सदस्य शान्त रहें ।

सुश्री मायावती-

उनका हमारी सरकार के प्रति गुस्सा और असंतोष स्वाभाविक है। इन्हें अपनी पार्टी की चिन्ता कम और समाजवादी पार्टी की चिन्ता ज्यादा है। मैं यह भी बताना

आवश्यक समझती हूं कि श्री राजेश पायलट के भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को सभी तथ्यों से 18 अगस्त, 1995 को भेजे गये पत्र से अवगत करा दिया है ताकि ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकें।

मुझे सन्तोष है कि कुछ लोगों की घटिया व स्तरहीन राजनीति के बावजूद हम अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चुनौतियां, बाधायें तथा कठिनाईयां छंटती जा रही हैं। अन्याय-मुक्त, अपराध-मुक्त तथा भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन सुलभ कराने में सफलतायें हासिल हो रही हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना था, यह काम काफी हद तक कर दिया गया है। आतंक, भय, हिंसा तथा जंगलराज के स्थान पर कानून का राज्य कायम कर दिया गया है। अब बारी है आर्थिक विकास की। प्रदेश के सर्वांगीण विकास की, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग धंधों का हो या ग्राम्य विकास का। अब प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जायेगा, जहां प्रशासन के पारदर्शिता झलके, लोगों को रोजगार मिले, उद्योग धंधे फलें-फुलें। इसके लिये संवेदनशील प्रशासन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। जल्दी ही होने वाली मण्डलीय बैठकों में विकास कार्यों की समीक्षा तथा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जायेगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक जनता से मिलें और उनकी समस्याओं को मौके पर ही निपटायें। इसी प्रकार ब्लाक दिवस की भी योजना शुरू की गई है, जिसमें ब्लाक स्तर के हर विभाग के अधिकारी एक खास दिन ब्लाक पर रहकर जनता के काम निपटायेंगे। सरकार की मंशा एक नई कार्य संस्कृति विकसित करना है। ऐसी कार्य संस्कृति, जिसमें सबका भला हो, सबको पनपने का अवसर मिले तथा प्रदेश खुशहाल बनें।

मथुरा की समस्या के सकुशल निराकरण के लिये एक बार फिर मैं प्रमुख रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने खुले दिल से हमारी सरकार को पूरा सहयोग प्रदान किया। मैं भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के प्रमुख नेतागण को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने सरकार की नीति लागू करने में एवं मथुरा में शान्ति बनाये रखने में अपना सहयोग दिया। मथुरा के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिन्होंने इस पूरी अवधि में बड़ी लगन और मेहनत से काम किया, भी बधाई के पात्र हैं। अन्त में, मैं इस प्रदेश की महान जनता, विशेष रूप से मथुरा की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिसने अपने संयम और समर्थन से मेरा मनोबल बढ़ाया और दृढ़ता से अपने फैसले पर कायम रहने की शक्तिप्रदान की। धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद तिवारी जी आप स्पष्टीकरण कर लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य तो विस्तार से आ गया है और इसमें कोई बिन्दु छूटा नहीं है, इसलिये अब स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने कहा था, कि वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण कर लेंगे तो मुझे पूछने दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको अधिकार है स्पष्टीकरण पूछने का । (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सारे बिन्दु तो वक्तव्य में आ गये हैं और मैं समझता हूं कि कोई बात छूटी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

हर बिन्दु को मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है इसलिये माननीय सदस्य अब आप सब बैठ जायें ।

(व्यवधान)

सिंचाई की दरों एवं नहरों की त्रुटियों में परिवर्तन करने सम्बन्धी नियमावली के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधान सभा और विधान परिषद् दो संस्थायें हैं और सामान्यतः विधान परिषद् में जब कोई प्रस्ताव पास हो जाता है तो विधान सभा में उस प्रस्ताव को पास करके कानून बन जाता है । मान्यवर, इस सत्र में विधान परिषद् में कृषि से संबंधित सिंचाई के संबंध में एक प्रस्ताव श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा रखा गया था और श्री आर0के0 चौधरी जी ने उसको स्वीकार किया एवं यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से वहां पास हो गया । मान्यवर, अक्टूबर, 1994 में तत्कालीन सपा-बसपा सरकार ने सिंचाई की दरों एवं नहरों की त्रुटियों में परिवर्तन करने संबंधी

नियमावली जारी करके प्रदेश के किसानों पर लगने वाले शुल्क में दो गुने से लेकर 16 गुने तक की वृद्धि कर दी थी लेकिन उक्त नियमावली नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट 1873 की धारा 75 के अन्तर्गत जारी की गई थी । (व्यवधान)

इस तरह से तो विधान सभा के अस्तित्व पर कोइस्चन मार्क लग रहा है । आज हम लोगों को किसान गाली दे रहा है । आज सदन उठ जायेगा आप इस पर अवश्य व्यवस्था दे दें .... (व्यवधान) इनके यहां तो खेती नहीं होती है, यह क्या जाने । किसान बर्बाद हो जायेगा आप इसको जरूर ले लीजियेगा ।

मथुरा यज्ञ से सम्बन्धित मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की मांग

(घोर व्यवधान)

"घोर व्यवधान"....(घोर व्यवधान के मध्य श्री राम स्वरूप सिंह वेल आफ दी हाउस में आ गये और खड़े होकर कहने लगे-"मुख्य मंत्री जी ने गलत बयानी की है उनको वापस बुलवायें। वह हमारा अपमान करके चली गई हैं ।")

श्री किरनपाल सिंह-

यह सदन का अपमान है । आपने स्पष्टीकरण पूछने के लिये आश्वासन दिया था .....(व्यवधान) इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा....

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम स्वरूप जी आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर चले जायें ।

(श्री राम स्वरूप अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित (संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री)-

श्रीमन् मैं पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान बहुत विस्तार से आया है, उसमें कोई बिन्दु शेष नहीं बचा है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन् स्वयं आप अपनी पीठ का सम्मान नहीं कर रहे हैं । मुख्य मंत्री जी चली गई हैं उनको आप बुलवायें ।

श्री किरनपाल सिंह-

आपने इस पर प्रश्न पूछने के लिये हमें आश्वासन दिया था । वह न भी दिया होता, तो भी मुख्य मंत्री जी का दायित्व बनता था कि यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण चाहता था तो वह उनको स्पष्टीकरण देतीं । आप उनको बुलवाइये । वह हम पर आरोप लगाकर चली गई । स्पष्टीकरण हमारा अधिकार है आप उनको बुलवाइये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

यदि आप चाहते हैं तो यह एकाध स्पष्टीकरण ले लें, वैसे अब जरूरत नहीं थी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगने के लिये मुझसे कहा था तो व्यवस्था का प्रश्न होने पर आपने मुझसे बैठने के लिये कहा। लेकिन आपने मेरे अधिकार को मना नहीं किया। तो अब नेता सदन चली गई हैं, मैं उपस्थित संसदीय कार्यमंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगता हूं वही उत्तर दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्री तिवारी जी ने, मुख्य मंत्री जी को बहुत विस्तार से ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन फिर पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे बाद में सुन लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, नियमों में व्यवस्था व्यवस्था है कि मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दें और फिर कोई प्रश्न पूछने के लिये खड़ा हो तो यह आपके विवेक पर है कि आप उसे सुन सकते हैं लेकिन जब कार्यवाही आगे बढ़ गयी तो किसी को उस पर स्पष्टीकरण मांगने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आपने मलिक जी को बुलवा लिया और उनको सुन लिया इस तरह वह विषय समाप्त हो गया और आप आगे बढ़ गये। उनको आपने न सुना होता तो अधिकार अपने में निहित था कि आप उनको स्पष्टीकरण की इजाजत दे सकते थे लेकिन अब नहीं। जब मलिक जी बोल चुके हैं तो आप एक आइटम आगे बढ़ गये, दूसरी कार्यवाही शुरू हो गयी तो मलिक जी का औचित्य का प्रश्न आया तो अब उसी औचित्य के प्रश्न पर कार्यवाही होगी। अब मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण पूछने का प्रत्येक सदस्य का अधिकार खत्म हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर मेरी व्यवस्था सुन लें। अभी आगे विधान सभा की कार्यवाही का दिन है, उसमें वह आयेगा, उसे रखा जायेगा इसलिये यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

उनके वक्तव्य में मेरे व मेरे दल का नाम आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग.....(घोर व्यवधान)

(समय 1 बजकर 30 मिनट पर)
(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 +

श्री हृदय नारायण दीक्षित (संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर)(संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण बैठ जायं ।

(श्री राम स्वरूप सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये).

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 +

श्री हृदय नारायण दीक्षित (संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ)

(कांग्रेस के श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री गजराज, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री बच्चा पाठक, श्री नरेश अग्रवाल, श्री कोकब हमीद, श्री महेन्द्र सिंह माहरा आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और मुख्य मंत्री को बुलाने की मांग करने लगे ।)

नोटः- + दिनांक 31 अगस्त, 1995 के विधायी परिशिष्ट के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय नेता सदन को हमने सुना। मेरी बात कौन सुनेगा ? माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवायें ।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को बुलवाइये ।

(सदन के फ्लोर से श्री राम विशुन आजाद के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी और अन्य सदस्यों से जो बेल में आये हैं, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे अपनी सीट पर चले जायें ।

श्री राम विशुन आजाद-

नेता सदन की बातों को हमने सुना, हमारी बात कौन सुनेगा ? स्पष्टीकरण का जबाब कौन देगा ?

श्री कोकब हमीद-

हिम्मत होनी चाहिये बैठकर सुनने की।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी पीठ का नहीं। पूरे सदन का अपमान है ।

श्री राम विशुन आजाद-

नेता सदन की बात को हमने सुन लिया। स्पष्टीकरण की बात है। नेता सदन नहीं रहेंगी तो कौन जिम्मेदार मंत्री यहां पर जवाब देगा। नेता सदन को बुलाया जाय।

(सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर (व्यवधान))

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 56 की सूचनायें लेता हूं ।

व्यवधान

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण अपनी सीट पर चले जायें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद फ्लोर से-

आपकी पीठ की अवहेलना हुई है । माननीय नेता सदन को बुलवाइये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात 1 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

(सदन की बैठक पुनः प्रारम्भ होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मुख्य मंत्री सदन में आये और जवाब दें । जो मुख्य मंत्री सदन का सामना न कर सके, वह मुख्य मंत्री, जो सदन का अपमान करें...

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 में आप लोगों की सूचना है और आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें दी हैं.....

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा जनता दल के सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि नियम 56 की सूचनाओं को होने दें । पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी....

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने मेरा नाम नियम 56 के लिये पुकारा है । एक बुजदिल, कायर सरकार जो अपना वक्तव्य न दे सके, ऐसी सरकार से मुझे कोई जवाब नहीं चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 56 में प्राप्त सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल के सभी माननीय सदस्य एक साथ अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होता रहा ।)

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार ऐरन)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, वर्ष 1965 में स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कार्यरत सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर व मलेरिया इंस्पेक्टर और हाउस विजिटर के क्रमशः 120-220 रुपये और 80-140 रुपये के वेतनमान थे। दिनांक 1 सितम्बर, 1965 से एकीकृत मलेरिया उन्मूलन और परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बेसिक हेल्थ वर्कर, परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (निम्न श्रेणी) परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (उच्च श्रेणी) क्रमशः 80-140 रुपये, 120-220 रुपये और 160-320 रुपये के वेतनमान में थे। बेसिक हेल्थ वर्कर के कार्य का पर्यवेक्षण परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के दोनों प्रवर्ग करते थे। दिनांक 1 अगस्त, 1972 से वेतनमानों का पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (निम्न श्रेणी) को 230-380 रुपये का वेतनमान दिया गया था। जिसे अक्टूबर, 1975 से 230-385 रुपये में पुनरीक्षित किया गया था। परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (उच्च श्रेणी) और बेसिक हेल्थ वर्कर को क्रमशः 300-500 रुपये और 185-265 रुपये का वेतनमान दिया गया था। दिनांक 1 जुलाई, 1979 से वेतनमान पुनः पुनरीक्षित किये गये थे। इस पुनरीक्षण के कारण परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (उच्च श्रेणी) को 470-735 रुपये बेसिक हेल्थ वर्कर/हाऊस विजिटर/सहायक नर्स-धात्री को 354-550 रुपये और परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (निम्न श्रेणी) को 354-550 रुपये का वेतनमान दिया गया था। तत्पश्चात् परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (निम्न श्रेणी) को 400-615 रुपये का वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में दिया गया था। वर्ष 1981 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रोयोजित बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना के अधीन बेसिक हेल्थ वर्करों, हाउस विजिटरों, वैक्सीनेटरों, ट्रेकोमा हेल्थ असिस्टेंटों और परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों (निम्न श्रेणी) को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) प्रवर्ग में एकीकृत किया गया था और परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, चेचक पर्यवेक्षकों, सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टरों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) प्रवर्ग में एकीकृत किया गया था। इसी प्रकार सहायक नर्सधात्री और परिवार कल्याण कार्यकर्ता को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रवर्ग में और लेडी हेल्थ विजिटर को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) प्रवर्ग में एकीकृत किया गया था। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के लागू होने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) प्रवर्ग के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (निम्न श्रेणी) को 400-615 रुपये का वेतनमान दिया गया जबकि बेसिक हेल्थ वर्करों और इस प्रवर्ग के अन्य कर्मचारियों को 354-550 रुपये का वेतनमान दिया गया था।

अब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त वेतनमान की जगह 470-735 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। माननीय सदन से प्रार्थना है कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, {× × ×} {× × ×} {× × ×}

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को बुलवाइये और स्पष्टीकरण दिलवाइये ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् माननीय तिवारी जी ने किसी जोश में आपको अनैतिक और अन्य जो बाते कह दी हैं, हमारी प्रार्थना है कि उनको कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने पर ।)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, {× × ×}

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह सदन की परिपाटी नहीं है, माननीय सदस्य पीठ पर आरोप लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय स दस्य इस पर अपना विचार रखना चाहते हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा विचार न रखे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नैतिकता के नाते आपको सदन चलाने का अधिकार नहीं रह गया है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995

चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के वेतन को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

विधेयक

(1) चूंकि वर्ष 1965 में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम था जिसमें अन्य कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र

नोट:- {×××} यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर्मचारियों के दो प्रवर्ग थे जिन्हें सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर और मलेरिया इंस्पेक्टर कहा जाता था और उनका वेतनमान 120-220 रुपया था, कार्यकर्ताओं के दूसरे प्रवर्ग को हाउस विजीटर कहा जाता था और उनका वेतनमान 80-140 रुपया था। हाउस विजीटर के कार्य का पर्यवेक्षण सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर और मलेरिया इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता था। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में उस भाग ने जिसे कलसोलिडेशन फेज के रूप में जाना जाता था। 1 सितम्बर, 1965 से अनुरक्षण फेज में प्रवेश किया। अनुरक्षण फेज के प्रारम्भ होने पर, सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टरों और मलेरिया इन्स्पेक्टरों में से कुछ कर्मचारियों को अधिशेष समझा गया जिसकी छटनी की जानी थी। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1965 द्वारा एकीकृत मलेरिया और परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया। इस कार्यक्रम के अधीन हाउस विजीटरों का पदनाम बेसिक हेल्थ वर्कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जबकि कनसोलिडेशन फेज के अधीन अवशेष हाउस विजीटर इसी रूप में हाउस विजीटर बने रहे। सर्वेलेन्स इंस्पेक्टरों और मलेरिया इंस्पेक्टरों की छटनी कर दी गई और परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के नवसृजित पद पर उनकी नये सिरे से पुर्नानियुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार की गई।

(2) और चूंकि राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग में एक और कार्यक्रम था जिसे परिवार नियोजन कहा जाता था। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों का एक प्रवर्ग था जिसे सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता था। इसकी न्यूनतम अर्हता समाज विज्ञान में स्नातक हुआ करती थी और वेतनमान 120-220 रुपया था ;

(3) और, चूंकि, मलेरिया उन्मूलन और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को राज्य सरकार के आदेश दिनाक 22 जुलाई, 1965 द्वारा एकीकृत कर दिया गया था और सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टरों, मलेरिया इंस्पेक्टरों जैसे छटनी शुदा कर्मचारियों की परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के नवसृजित पदों पर पुर्नानियुक्ति की गई थी और एकीकृत कार्यक्रम के अधीन सामाजिक कार्यकर्ताओं के कुछ पदों को परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के रूप में पुनर्पदाभिहित किया गया था ;

(4) और चूंकि 420 खण्डों में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के पदनाम को परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और उनका वेतनमान भी उपान्तरित कर दिया गया था और 160-320 रुपये निर्धारित कर दिया गया था ;

(5) और चूंकि 120-220 रुपये के निम्न वेतनमान में परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के पदों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1966 के द्वारा सृजित किया गया था और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यक्तियों

को उनकी उच्चतम शैक्षिक अर्हता इण्टमीडिएट थी, इन नवसृजित पदों पर नये सिरे से नियुक्ति किया गया था । इन नियुक्त व्यक्तियों को भी परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक कहा जाता था ;

(6) और चूंकि उक्त प्रक्रिया में परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के पदों के दो प्रवर्ग प्रत्येक 420 खण्डों में अस्तित्व में आ गये थे कुल मिलाकर 840 पद थे ;

(7) और चूंकि इस रीति से एकीकृत मलेरिया और परिवार नियोजन कार्यक्रम में, जो 1 सितम्बर, 1965 से प्रारम्भ किया गया था कर्मचारियों के कुछ अन्य प्रवर्गों के साथ कर्मचारियों के निम्न तीन सुसंगत प्रवर्ग अस्तित्व में आ गये थे--

(एक) बेसिक हेल्थ वर्कर 80-140 रुपये के वेतनमान में,

(दो) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के भूतपूर्व कार्यकर्ता सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर और मलेरिया इस्पेक्टर जो परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के नवसृजित पदों पर 120-220 रुपये के वेतनमान में नये सिरे से नियुक्त किये गये थे ;

(तीन) भूतपूर्व सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर बने रहे थे और जिन्हें परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के रूप में 160-320 रुपये के वेतनमान में पुनर्पदाभिहित किया गया था ;

(8) और चूंकि उपर्युक्त परिवर्तनों के पश्चात् बेसिक हेल्थ वर्करों के कार्य का पर्यवेक्षण परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों अर्थात 120-220 रुपये के वेतनमान में परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के नवसृजित पदों पर नियुक्ति राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के भूतपूर्व छटनीशुदा कर्मचारियों और 160-320 रुपये के वेतनमान में भूतपूर्व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था ;

(9) और चूंकि 1 अगस्त, 1972 से वेतनमान के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के 120-220 रुपये के निम्न वेतनमान में पदधारकों का वेतनमान 230-380 रुपये निर्धारित किया गया था जो बाद में 1 अक्टूबर, 1975 से 230-385 रुपये पुनरीक्षित कर दिया गया और परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के 160-320 रुपये के उच्चतर वेतनमान में पदधारकों का वेतनमान 300-500 रुपये निर्धारित किया गया था । बेसिक हेल्थ वर्करों का वेतनमान भी पुनरीक्षित किया गया और 185-265 रु0 निर्धारित किया गया था ;

(10) और चूंकि पर्यवेक्षण का एक सा कार्य करने वाले लेकिन भिन्न भिन्न वेतनमान पा रहे, परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के दो प्रवर्ग बन गये थे । एक प्रवर्ग 230-385 रुपये का वेतनमान पा रहा था और दूसरा 300-500 रुपये का वेतनमान पा रहा था ।

(11) और चूंकि एकीकृत कार्यक्रम के अधीन कार्यकर्ताओं के प्रवर्ग में निर्दिष्ट सात प्रवर्गों में से केवल बेसिक हेल्थ वर्करों के प्रवर्ग का पर्यवेक्षण उपर्युक्त परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों द्वारा किया जा रहा था । अन्य छः प्रवर्ग जिनमे

पर्यवेक्षणात्मक प्रकृति के, अर्थात निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के पद सम्मिलित थे, वर्ष 1981 में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23 जुलाई, 1981 द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना प्रारम्भ किये जाने तक इसी रूप में बने रहे ;

(12) और चूंकि 1 जुलाई, 1979 से वेतनमान निम्न प्रकार पुनः पुनरीक्षित किये गये :-

(एक) बेसिक हेल्थ वर्कर/हाउस विजीटर/सहायक नर्स-धात्री (आग्जलरी नर्स मिडवाइफ) 185-265 से 354-550 रुपये ;

(दो) परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक निम्न वेतनमान 230-385 से 354-550 रुपये इन पदों के धारकों को 400-615 रुपये का वैयक्तिक वेतनमान दिया गया था ;

(तीन) परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक उच्च वेतनमान 300-500 से 470-735 रुपये ;

(13) और चूंकि वर्ष 1981 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना चलाई गई थी जिसमें बेसिक हेल्थ वर्करों के साथ ही कार्यकर्ताओं के शेष अन्य प्रवर्गों और निम्न वेतनमान के परिवार स्वास्थ्य सहायकों को एकीकृत किया गया और उनको स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नाम दिया गया था । यह एकीकृत समूह परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के अन्य प्रवर्गों से, जो उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, भिन्न और अलग रहा । परिणाम यह हुआ कि पूर्ववर्ती प्रवर्ग में अर्थात, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रवर्ग में दो भूतपूर्व प्रवर्गों के सदस्य अर्थात बेसिक हेल्थ वर्करों, और निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों और पांच राज्य प्रवर्गों के सदस्य को दो भिन्न वेतनमान अर्थात 354-550 रुपये और 400-615 रुपये प्राप्त कर रहे थे दूसरे प्रवर्ग में उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों और कतिपय अन्य प्रवर्ग 470-735 रुपये के वेतनमान में थे । उपर्युक्त स्थिति के संदर्भ में 1983 की रिट याचिका संख्या 15004, शिवचरण लाल कुशवाहा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बेसिक हेल्थ वर्कर प्रवर्ग और दो अन्य समान प्रवर्गों द्वारा अर्थात (हाउस विजीटर और सहायक नर्स-धात्री (आग्जलरी नर्स मिडवाइफ) जो 354-550 रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, दाखिल की गई थी उक्त रिट याचिका में उन्होंने यह प्रतिवाद किया कि उन्हें परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के साथ अर्थात परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (निम्न वेतनमान) में एकीकृत किया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हैसियत में 400-615 रुपये का वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में प्राप्त हो रहा था, अतः उन्हें भी समान वेतनमान मिलना चाहिये ।उक्त रिट याचिका के याची ने उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के साथ जो, 470-735 रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और पर्यवेक्षकीय श्रेणी में कार्य कर रहे थे समानता का कोई प्रारम्भ में दावा नहीं किया था ;

(14) और चूंकि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन और तद्धीन एकीकृत रूप से उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक, बेसिक हेल्थ वर्करों और अन्य के साथ-साथ निम्नवेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के एकीकृत समूह के कार्य का भी पर्यवेक्षण कर रहे थे। इस प्रकार केवल दो प्रवर्ग अस्तित्व में आये अर्थात:-

(1) 470-735 रुपये के वेतनमान में परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक और अन्य गठित स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का पर्यवेक्षकीय प्रवर्ग अर्थात,

(2) 354-550 रुपये के वेतनमान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एकीकृत समूह जिनके कार्य का पर्यवेक्षण उपर्युक्त पर्यवेक्षकीय प्रवर्ग द्वारा किया जा रहा था,

(15) और चूंकि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन, जिसमें उपर्युक्त एकीकरण किया गया था निम्नलिखित चार प्रवर्ग बनाये गये थे :-

(1) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) जिसमें भूतपूर्व (एक) बेसिक हेल्थ वर्कर (दो) हाउस विजीटर (तीन) वैक्सीनेटर (चार) ट्रेकोमा हेल्थ असिस्टेंट (पांच) निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक सम्मिलित थे,

(2) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)-जिसमें भूतपूर्व (एक) सहायक नर्स-धात्री (आग्जलरी नर्स मिडवाइफ) (दो) परिवार कल्याण कार्यकत्री सम्मिलित थे ;

(3) स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) जिसमें भूतपूर्व (एक) उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (दो) स्वास्थ्य निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक, सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर सम्मिलित थे ;

(4) स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)-जिसमें महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (लेडी हेल्थ विजीटर) सम्मिलित थे।

(16) और चूंकि 1983 की उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 15904 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष और महिला) के उपर्युक्त समूह संख्या (1) और (2) के केवल तीन घटकों द्वारा इस आधार पर दाखिल की गई थी कि उनका एक घटक प्रवर्ग अर्थात् निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक 400-615 रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहा था जबकि शेष 354-550 रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, जो कि भेदभाव पूर्ण था। उपर्युक्त याचिका में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) अर्थात् उपर्युक्त समूह संख्या (3) और (4) के साथ समानता का कोई दावा प्रारम्भिक रूप से नहीं था ;

(17) और चूंकि 1983 की उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 15904 के लम्बित रहने के कारण 1984 को एक दूसरी रिट याचिका संख्या 4281 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) घटक के कुछ सदस्यों द्वारा, जो भूतपूर्व निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक थे, दाखिल की गई थी ;

(18) और, चूंकि, 1984 की रिट याचिका संख्या 4281 के याचियों ने इस बात पर बल दिया कि वे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के एक घटक अर्थात उच्च वेतनमान के भूतपूर्व परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के एक अन्य घटक अर्थात चेचक पर्यवेक्षक सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर और स्वास्थ्य निरीक्षक के समान थे और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जो उस समय 470-735 रुपये का पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के साथ वेतन की समानता का दावा किया ;

(19) और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 1984 की उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 4281 को दिनांक 2 अप्रैल, 1985 को मंजूर किया और राज्य सरकार के विरुद्ध निम्नलिखित प्रभाव का एक परमादेश जारी किया :-

(एक) याचियों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की प्रास्थियां दी जाय ;

(दो) याचियों को 470-735 रुपये का वेतनमान दिया जाय ;

(20) और चूंकि, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सात घटकों में से केवल एक घटक अर्थात् निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों ने उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के साथ समानता का दावा करने की उपर्युक्त रिट याचिका दाखिल की थी जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के पांच घटकों की श्रेणी में से एक थे ;

(21) और चूंकि, 1984 की उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 4281 में निर्णय अन्तिम हो गया है ;

(22) और चूंकि उपर्युक्त रिट याचिका का परिणाम यह हुआ कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के घटक अर्थात निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के स्तर तक उच्चीकृत कर दिया गया और दिनांक 23 जुलाई, 1981 से स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के प्रवर्ग में रखा गया और 470-735 रुपये का वेतनमान दिया गया ।

(23) और चूंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रवर्ग से जिसमें निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण सहायक सहित सात भूतपूर्व प्रवर्ग सम्मिलित थे, केवल निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के प्रवर्ग को बाहर निकाल कर उसे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के प्रवर्ग में रखा गया । अवशिष्ट प्रवर्ग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रवर्ग में ही रहे ;

(24) और चूंकि 1984 की पश्चात्वर्ती रिट याचिका संख्या 4281 के विनिश्चय के समय 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 लम्बित थी और जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के तीन घटकों (निम्न वेतनमान के भूतपूर्व परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों और कुछ अन्य से भिन्न) द्वारा निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ समानता का दावा करने के लिये दाखिल की गई थी । दूसरे शब्दों में 354-550 रुपये के वेतनमान धारक अपना वेतन 400-615 रुपये के वेतनमान में नियत कराना चाहते थे ;

(25) और चूंकि 1984 की रिट याचिका संख्या 4281 के विनिश्चय के पश्चात् 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 के याचियों ने अनुतोष को इस तौर पर संशोधित किये जाने के लिये आवेदन दाखिल किया कि उनको 470-735 रुपये का वेतनमान दिया जाय, जिसके लिये 1984 की रिट याचिका संख्या 4281 में दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के निर्णय के आधार पर निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक हकदार हो गये थे। उक्त संशोधन आवेदन द्वारा उन्होंने स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में पदाभिहित किये जाने के अनुतोष का भी दावा किया ;

(26) और चूंकि उपर्युक्त संशोधन आवेदन तीन प्रवर्गों के याचियों जिन्होंने रिट याचिका दाखिल की थी में से केवल एक ही प्रवर्ग अर्थात हेल्थ वर्कर द्वारा दाखिल किया गया था ;

(27) और, चूंकि, 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 में किसी बात का प्रतिवाद करने के लिये कोई स्पष्ट करने के लिये कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 दिनांक 11 मार्च, 1988 मंजूर कर ली गयी ;

(28) और चूंकि 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 के निर्णय का प्रवर्तनशील भाग इस प्रकार है :-

"परिणामतः यह याचिका सफल होती है और मंजूर की जाती है। विरोधी पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि याचियों का परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को भुगतान किये जा रहे वेतन के समान वेतन का भुगतान किया जाय। खर्चे के लिये कोई आदेश नहीं होगा।"

(29) और चूंकि भूतपूर्व उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों (जो अब स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हैं) द्वारा 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 में इस आधार पर एक पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की गई कि रिट याचिका संख्या 15904 सन् 1983 के याची अब उनके साथ समान प्रास्थिति का दावा करेंगे और इससे उनके नियोजन का प्रवर्ग के साथ-साथ सेवा में उनकी प्रास्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो इस अभ्युक्ति के साथ खारिज कर दी गई थी कि उच्च न्यायालय ने केवल उनको वेतन की समानता स्वीकृत की थी और प्रास्थिति नहीं ;

(30) और चूंकि ऊपर उल्लिखित आदेश दिनांक 11 मार्च, 1988 के आधार पर रिट याचिका संख्या 15904 सन् 1983 में, उस याचिका के याचियों ने माननीय उच्च न्यायालय में अवमान आवेदन, अवमान याचिका संख्या 631, सन् 1988 दाखिल किया जिसमें उन्होंने 470-735 रुपये के वेतनमान के अनुसार वेतन के भुगतान का दावा किया ;

(31) और चूंकि उपर्युक्त अवमान आवेदन के आवेदकों ने रिट याचिका संख्या 15904 सन् 1983 में जारी किये गये परमादेश को न केवल निष्पादित करवाने का प्रयास किया गया, बल्कि 1350-2200 रुपये का वेतनमान भी चाहा जिसके हकदार निम्न वेतनमान के भूतपूर्व परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक हो गये हैं।

(32) और चूंकि, रिट याचिका संख्या 15904 सन्, 1983 में दिनांक 11 मार्च, 1988 के निर्णय के अनुपालन में 23 जुलाई, 1981 के बजाय भ्रमवश 1 जुलाई, 1979 से 400-615 रुपये का वेतनमान स्वीकृत करते हुये राज्य सरकार ने आदेश संख्या 2752/पांच-12-91/1 रिट (11)-88 दिनांक 26 अप्रैल, 1991 जारी किया ;

(33) और चूंकि दिनांक 26 अप्रैल, 1991 के उक्त आदेश के क्रम में जनवरी, 1986 से बेसिक हेल्थ वर्कर और हाउस विजीटर को 975-1660 रुपये का वेतनमान और सहायक नर्स-धात्री (आग्जलरी नर्स मिडवाइफ को 975-1540 रुपये का वेतनमान स्वीकृत करते हुये राज्य सरकार ने आदेश संख्या 5388/पांच-12-91-1-रिट (11)-88, दिनाक 1 अक्टूबर, 1991 जारी किया ;

(34) और चूंकि भ्रान्त धारणा और न्यायालय के अवमान के भय के कारण राज्य सरकार ने यह विचार किया कि 470-735 रुपये का वेतनमान जो 1984 की रिट याचिका संख्या 4281 के दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के आदेश और निर्णय के अनुपालन में केवल निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को दिया जाना था, रिट याचिका संख्या 15904 सन् 1983 के याचियों को भी देय होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 में जारी किये गये परमादेश रिट के विस्तार को इस तरह अन्यथा समझकर राज्य सरकार ने आदेश संख्या 913/5-12-1994-1-रिट (11)-88, दिनांक 25 मार्च, 1994 जारी किया, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 15904 सन् 1983 के याचियों के प्रवर्ग को 470-735 रुपये का वेतनमान 23 जुलाई, 1981 से दिये जाने के आदेश किये गये ;

(35) और चूंकि उस समय यह पूरी तरह नहीं समझा गया था कि राज्य सरकार के उक्त भ्रान्त आदेश की परिस्थितियां और परिणाम ऐसे होंगे कि याचियों और समान प्रवर्ग के अन्य व्यक्ति 1 जनवरी, 1986 से 1350-2200 रुपये के वेतनमान का दावा करेंगे ;

(36) और चूंकि यदि उपर्युक्त सरकारी आदेश दि0 25 मार्च, 1994 जारी नहीं किया गया होता तो अवमान आवेदन के आवेदक 23 जुलाई, 1981 से केवल 400-615 रुपये के वेतनमान के हकदार होते जो कि अब 1 जनवरी, 1986 से 975-1660 रुपया या 975-1540 रुपये में पुनरीक्षित हो गया।

(37) और चूंकि, 1983 की रिट याचिका संख्या 15904 के याची उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों का कार्य यद्यपि पर्यवेक्षीय कार्य कभी नहीं कर रहे थे ;

(38) और चूंकि 23 जुलाई, 1981 को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना प्रारम्भ की गई थी इस योजना के लागू हो जाने पर परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों का पूर्व पदनाम अस्तित्व में नहीं रह गया था। उनमें से कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के

प्रवर्ग के घटक हो गये थे। अन्य स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के प्रवर्ग के घटक बन गये थे। समान वेतन के तर्क के लिये दिये गये समीकरण के संदर्भ में आशय केवल यह वेतन प्राप्त करने का ही हो सकता था जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रवर्ग प्राप्त कर रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश में अभिव्यक्ति "परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों" के प्रयोग का तात्पर्य केवल उस प्रवर्ग से है या हो सकता था जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रवर्ग का एक भाग था। अन्यथा प्रारम्भ से ही अनुतोष उच्च वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के प्रवर्ग के बारे में होता जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के प्रवर्ग के भाग थे, अतएव इस संदर्भ में अभिव्यक्ति "परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों" का तात्पर्य केवल उनसे हो सकता है जिन्हें 400-615 रुपये का वेतनमान दिया गया था;

(39) और चूंकि, बहुउद्देशीय योजना के अधीन विभिन्न भूतपूर्व प्रवर्गों में से बने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से भूतपूर्व परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के प्रवर्ग को हटा दिया है और उन्हें स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के साथ एकीकृत कर दिया गया है, किन्तु शेष प्रवर्ग जहां थे वहीं बने रहे;

(40) और चूंकि रिट याचिका संख्या 15904 सन् 1983 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11 मार्च, 1988 के निर्णय में जारी किये गये परमादेश को क्रियान्वित करने और वेतनमान को युक्तिसंगत बनाने के लिये सरकारी आदेश संख्या 2752/पांच-12-91-1-रिट (11)-88, दिनांक 26 अप्रैल, 1991, 5388/पांच-12-91-1-रिट (11)-88, दिनांक 1 अक्टूबर, 1991 और 913/5-12-1994-2-रिट-(11)-88, दिनांक 25 मार्च, 1994 को विखण्डित करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 और 3 दिनांक 23 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध दिनांक 1 मई, 1995 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में :-

(क) "स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)" का तात्पर्य 23 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और सदैव से तात्पर्यित समझा जायेगा और इसमें उक्त दिनांक को बेसिक हेल्थ वर्कर, हाउस विजीटर, वैक्सीनेटर और ट्रैकोमा हेल्थ असिस्टेन्ट के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है,

(ख) "स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)" का तात्पर्य 23 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और सदैव से तात्पर्यित समझा जायेगा और उसके उक्त दिनांक को सहायक नर्स धात्री और परिवार कल्याण कार्यकत्री के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है,

(ग) "स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष)" का तात्पर्य 23 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और सदैव से तात्पर्यित समझा जायेगा और इसमें उक्त दिनांक को परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक और सर्वेलेंस इन्सपेक्टर के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है,

(घ) "स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)" का तात्पर्य 23 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और सदैव से तात्पर्यित समझा जायेगा और इसमें उक्त दिनांक को महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर) के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है,

(ङ) "बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना" का तात्पर्य राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के समस्त चिकित्सा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की एकीकृत योजना से है ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का वेतन

3-(1) बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष), स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला), स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला), को अनुमन्य वेतन निम्न लिखित होंगे :-

एक जुलाई, 1981 से:-

(क) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	रु0 400-10-450-12-474-द0रो0-12-570-द0रो-15-615
(ख) स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)	रु0 470-15-575-द0रो0 15-650-17-701-द0रो0 17-735

(दो) 1 जनवरी, 1986 से :-

(क) स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	रु0 975-25-1150-द0रो0-30-1600 ---

(ख) स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) रु0 1350-30-1440-40 और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) 1800-द0वे0-50-2200

(2) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों को पुनरीक्षित या संशोधित कर सकते हैं।

4-राज्य सरकार के निम्नलिखित आदेश अपने-अपने जारी होने के दिनांक से विखण्डित रहेंगे अर्थात :- सरकारी आदेशों विखण्डन

(क) संख्या 2752/पांच-12-91/1रिट(11)-88 दिनांक 26 अप्रैल, 1991

(ख) संख्या 5388/पांच-12-91/1 रिट(11)-88 दिनांक 1 अक्टूबर, 1991

(ग) संख्या 913/5-12-1994/1-रिट(11)-88, दिनांक 25 मार्च, 1994

5-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या राज्य सरकार के आदेशों में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे और धारा 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमान स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) को अनुमन्य समझे जायेंगे और सदैव से अनुमन्य समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। मध्यभोगी प्रभाव

6-(1) धारा 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुसार जिस धनराशि के लिये कोई व्यक्ति हकदार है उससे अधिक उसको भुगतान की गई धनराशि उससे वसूली होगी ; अधिक धनराशि की वसूली और वेतन के बकायों का भुगतान

(2) राज्य सरकार वेतन और भत्तों के लिये भुगतान के लिये जो धारा 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुसार देय हो, तत्परता से कार्यवाही करेगी।

7-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में इस अधिनियम में दी गई किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिस्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें सरकार कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश भूतलक्षी प्रभाव से किसी ऐसे दिनांक जो 23 जुलाई, 1981 से पहले का न हो दिया जा सकता है, किन्तु ऐसा आदेश दिनांक 1 मई 1995 से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे राज्य सरकार द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

निरसन और अपवाद

8-(1) उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23, सन् 1995

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मद संख्या 20 पुकारे जाने पर ।)

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री बच्चा पाठक, श्री गजराज सिंह, श्री प्रीतम सिंह आदि सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप अपना संशोधन रखें ।

(संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 11 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

चूंकि वर्ष 1989 में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का संगठन करने के लिये सदस्यों का निर्वाचन, नाम-निर्देशन और आमेलन हुआ था;

और चूंकि 19 अक्टूबर, 1989 को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या शून्य सन् 1989 वसी अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश के कारण उक्त बोर्ड का संगठन अधिसूचित नहीं किया जा सका था ;

और चूंकि उक्त बोर्ड और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन नियंत्रक द्वारा वर्ष 1989 तक किया जा रहा था ;

और चूंकि नवम्बर, 1989 में राज्य विधान सभा विघटित कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विधान सभा के सदस्य जो उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये थे, ऐसे सदस्य नहीं रह गये थे ;

और चूंकि नवम्बर, 1989 में राज्य विधान परिषद् का सदस्य, जो उक्त बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हुआ था, भी ऐसी परिषद् का सदस्य न रह जाने के परिणामस्वरूप बोर्ड का सदस्य नहीं रह गया था ;

और चूंकि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उसके संगठन की अधिसूचना के दिनांक से पांच वर्ष है और सदस्यों के निर्वाचन, नाम-निर्देशन और शामेलन और वर्ष 1989 में हुये अध्यक्ष के निर्वाचन से पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और बोर्ड के संगठन से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है ;

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2,3,4,6,7,8,9, और 10 दिनांक 11 जुलाई, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, धारा 5 दिनांक 16 जून, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपलब्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 की धारा 11 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में उपधारा (1) में, खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

"(तीन) उन व्यक्तियों, का राज्य सरकार की राय में इस्लामिक धर्म विद्या के मान्यता प्राप्त विद्वान हों, में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य" ।

धारा 13 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(क) शब्द और अंक "यदि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (3) और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3) में अभिदिष्ट कोई भी निकाय" के स्थान पर शब्द "यदि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3) में अभिदिष्ट निकाय" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द 'यथास्थिति सुन्नी मुस्लिम अथवा शिया मुस्लिम' के स्थान पर शब्द "शिया मुस्लिम" रख दिये जायेंगे ।

4-मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्- - नई धारा 13-क और 13-ख का बढ़ाया जाना

"13-क-सदस्यों के निर्वाचन नाम निर्देशन और आमेलन और अध्यक्ष के निर्वाचन बोर्ड के संगठन के पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य, शीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करेगी कि बोर्ड यथावत् संगठित हो गया है ।

13-ख-जहां किसी परिपय परिस्थितियों में नये निर्वाचन — न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से राज्य सरकार, बोर्ड के यथावत् संगठन की अधिसूचना जारी करने में असमर्थ हो और अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाय तो बोर्ड का संगठन अधिसूचित नहीं किया जायेगा और नये बोर्ड का संगठन करने के लिये सदस्यों और अध्यक्ष का निर्वाचन, नाम निर्देशन और आमेलन नये सिरे से किया जायेगा ।"

5-मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द 'दो वर्ष या बोर्ड के संगठन तक, जो भी पहले हो," रख दिये जायेंगे । धारा 14 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 21 में- - धारा 21 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में,- -

(एक) शब्द "बोर्ड अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह" के स्थान पर शब्द "बोर्ड अपने अध्यक्ष अथवा अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "या कार्य करने में असमर्थ हो अथवा" के पश्चात् शब्द "चाहे अध्यक्ष, सदस्य अथवा किसी रूप में," बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द और अंक "उपधारा (2) के अधीन" के पश्चात् "अध्यक्ष अथवा" बढ़ा दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धारा 23 का प्रतिस्थापन

7-मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात-

रिक्ति की पूर्ति

"23-अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के पद से, हटाये जाने, पद त्याग करने, मृत्यु हो जाने या अन्य कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाने पर इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति से उसके स्थान पर यथास्थिति एक नया अध्यक्ष अथवा सदस्य निर्वाचित, आमेलित या नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य जिसके स्थान की वह पूर्ति करता है, ऐसी रिक्ति न होने की दशा में पदासीन रहने का हकदार होता ।"

धारा 24 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "उसके सदस्य पदों की किसी रिक्ति" के स्थान पर शब्द "उसके अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के पदों की किसी रिक्ति" रख दिये जायेंगे ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

9-मूल अधिनियम में अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिग्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी--

(एक) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के यथास्थिति सदस्य या अध्यक्ष का निर्वाचन, नाम-निर्देशन या आमेलन निरस्त हो जायेगा ।

(दो) राज्य सरकार मूल अधिनियम की धारा 13-क के अधीन अधिसूचना द्वारा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का, पुनस्संगठन बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्षों का, यथास्थिति, निर्वाचन, नाम निर्देशन अथवा आमेलन हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र करेगी ।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

10-(1) यदि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार वक्फों के सुन्नी सेंट्रल बोर्ड अथवा शिया सेन्टल बोर्ड के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उठती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है अथवा ऐसे निर्देश दे सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिये उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य, शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 1995	11-(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	निरसन और अपवाद
	(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 11 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-2-आवास विभाग

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव

करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-2 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27, 26, 34, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-2 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,26,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,83,97,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,83,97,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-3, उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,14,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,14,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,57,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,57,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7-उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,81,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

(किसी के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,81,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,46,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

(किसी माननीय सदस्य के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,46,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-95 उत्तराखण्ड विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95-उत्तराखण्ड विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,70,29,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

(किसी माननीय सदस्य के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,70,29,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

(फ्लोर से) मान्यवर, मैं कार्य-मंत्रणा समिति से त्याग पत्र दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम सभी समितियों से त्याग-पत्र दे रहे हैं, आपने जो आचरण किया है उससे हमारी भावनायें आहत हुई हैं । हम आपकी बुलाई किसी भी बैठक में नहीं आयेंगे और आप पर अविश्वास व्यक्त करते हैं । (घोर व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री तेजभान सिंह की सुल्तानपुर जिले में लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । दूसरी सूचना डा0 सुरेश प्रताप सिंह चौहान, श्री सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री सन्दीप अग्रवाल की सी0पी0एम0टी0 परीक्षा 1995 में कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकन के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी जिले में तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर लखनऊ से सुल्तानपुर मार्ग पर चलने वाली बसों का स्टाफ न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौथी सूचना श्री राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री रणधीर सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के रोहाना कला ग्राम में सरकार द्वारा नयी चीनी मिल जो गत कई वर्षों से निर्माणाधीन है, का निर्माण शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना, श्री राजकुमार शिवहरे की बांदा जिले में सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण रिक्त पदों पर शासन स्तर से नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह की दारुलशफा विधायक निवास-2 (नया) के सामने सड़क पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल की गोरखपुर सहित प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में व्याप्त

अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । और दसवीं सूचना श्री प्रीतम सिंह की उत्तराखण्ड के आठों जनपदों में ग्राम पंचायतों के परिसीमन से शासनादेशों के विपरीत परिसीमन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं ।

अलीगढ़ नगर में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बिना पूर्व सूचना के दुकानों एवं मकानों के अग्रभागों को तुड़वाये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार नवमान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 .....

माध्यमिक एवं बेशिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

नियम 51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गई है कि नगर निगम अलीगढ़ द्वारा नालों तथा सीवर की सफाई न कराये जाने के कारण अलीगढ़ नगर इस सूखाकाल में भी गन्दे पानी की बाढ़ से पीड़ित है । बदबू तथा गन्दगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है । नगर मजिस्ट्रेट/उप प्रशासक, नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा बिना पूर्व सूचना के दुकानों व मकानों के अग्र भाग को तुड़वा दिया गया है तथा अफरातफरी में तोड़-फोड़ के साथ-साथ लूट हुई एवं अशान्ति का माहौल बना दिया गया है ।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि अलीगढ़ नगर की विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण बरसात में नगर में अनेक स्थानों पर जल प्लावन व जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है । जल भराव की समस्या का प्रमुख कारण नगर के नालों पर किये गये अतिक्रमण से नालों की पूर्णरूपेण सफाई न हो पाना है । जनमानस के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुये माह जून में नगर के नालों की सफाई का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा नगर के दो प्रमुख नालों (मेडिकल नाला तथा इग्लास रोड नाला) की प्रभावी सफाई कराई गई ।

दिनांक 13 जुलाई, 1995 को उप प्रशासक के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारियों ने सराय नवाब, सराय हकीम, सराय लबरिया क्षेत्र तथा रघुवीरपुरी स्थित रोड पर नाला सराय लबरिया का स्थल निरीक्षण किया गया । स्थल निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि अतिक्रमणकारियों द्वारा कच्चे पक्के निर्माण कर नाले को पाट दिया गया है जिसके कारण उसकी सफाई सम्भव नहीं हो पा रही है । अतिक्रमणकारियों को अनेक बार चेतावनी भी दी गई किन्तु उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। दिनांक 22 जुलाई, 1995 को इस क्षेत्र के निवासियों ने रसूलगंज रोड पर जाम लगाया तथा मांग की कि उनके क्षेत्र की जल भराव की समस्या का तुरन्त निदान किया जाय । नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी आख्या दिनांक 22-7-95 व 23-7-95 द्वारा यह अवगत कराया कि सराय लबरिया वाले बड़े नाले को अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध निर्माण कर पाट दिया गया है । जिस कारण मशीन अथवा गैंग द्वारा नाले की सफाई कराया जाना सम्भव नहीं है । उन्होंने यह भी ईंगित किया कि आगामी समय में तेज वर्षा होने की स्थिति में इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी जिससे जनसामान्य की जान व माल की हानि सम्भव है । अतः उक्त नाला की प्रभावी सफाई के लिये नाले पर हुये अतिक्रमण व अवैध निर्माण को तत्काल हटवा दिया जाय ।

दिनांक 24 जुलाई, 1995 को नगर मजिस्ट्रेट/उप प्रशासक के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नाले की सफाई का कार्य आरम्भ कर दिया तथा नाले के ऊपर हुये अतिक्रमण को हटवा दिया गया । नगर निगम के इस कार्य में उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल के महामंत्री श्री ज्ञान चन्द्र वार्ष्णेय व उनके सहयोगियों ने अवरोध उत्पन्न करने का असफल प्रयास किया । उक्त स्थल पर मा0 सदस्य भी पधारे थे तथा उन्हें उप प्रशासक द्वारा जनहित में कराये जा रहे कार्यों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गई थी किन्तु उनके द्वारा इस कार्य का विरोध किया गया। विरोध करने पर मा0 सदस्य को स्थानीय निवासियों के रोश का सामना करना पड़ा किन्तु उन्हें बड़े मर्यादित ढंग से पुलिस संरक्षण में भीड़ के बीच से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया ।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल पर चेतावनी के बाद ही कार्य में बाधक दुकानों और मकानों के लेन्टरों को तोड़ा गया है । स्थल पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया । व्यापारियों तथा सफाई कर्मियों के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ है और न ही लूट पाट की कोई घटना ही उक्त स्थल पर घटित हुई है । नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाने व सफाई करा देने से नाले के पानी के बहाव

में अपेक्षित सुधार हुआ है तथा सराय हकीम, सराय नवाब क्षेत्र में जल भराव की स्थिति समाप्त हो गई है।

फतेहपुर जिले में वनरोजों द्वारा की जा रही फसलों की क्षति के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, वन रोजों को नीलगाय के नाम से भी पुकारा जाता है।

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

उत्पाती वनरोजों द्वारा कृषि फसलों की क्षति पहुंचाये जाने की छिट-पुट शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। वन रोज वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अनुसूची तीन का वन्य प्राणी है जिसे बिना वैध अनुज्ञा के मारना अपराध है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या 736/14-4-94-854/92, दिनांक 9 मार्च, 1994 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को उत्पाती बनरोजों (नीलगाय) को नष्ट करने हेतु शूटिंग परमिट जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है जिससे जनपद स्तर पर ही समस्या का निराकरण हो सकें। अब किसानों द्वारा अपनी कृषि फसलों के सुरक्षार्थ उत्पाती वनरोजों को मारने/नष्ट करने के लिये संबंधित जिलाधिकारियों से शूटिंग परमिट प्राप्त कर इन्हें आवश्यकतानुसार नष्ट किया जा सकता है। समस्या का एक मात्र प्रभावी उपाय यही है।

बुलन्दशहर जिले के छतारी थानान्तर्गत नरायनपुर ग्राम में साम्प्रदायिक नारे लगाये जाने विषयक श्री हरेन्द्र सिंह मलिक आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम नरायनपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर में मिश्रित आबादी है।

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट:- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(जिसमें लगभग 200 मुसलमान, 200 लोध राजपूत तथा लगभग 150 परिवार जाटव व अन्य जाति के शामिल हैं।

ग्राम नरायनपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो पुराने प्राइमरी पाठशाला से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, शाखा लगायी जाती रही है। दिनांक 10-7-95 को शाखा स्थल पर बरसात का पानी भर जाने के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पुरानी प्राइमरी पाठशाला के प्रांगण में शाखा लगायी जिस पर वहां के स्थानीय मुसलमानों द्वारा उनका ध्वज उखाड़कर फेंक दिया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा इस अवसर पर किसी प्रकार की नारे बाजी किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय मुसलमानों द्वारा संघ का ध्वज उखाड़ कर फाड़ दिये जाने के संबंध में थाना छतारी पर मु0अ0सं0 100/95 धारा 295ए/296/506 भा0दं0वि0 बनाम जमील खां आदि 4 व्यक्ति पंजीकृत हुआ था तथा उक्त वाद में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। मुस्लिम पक्ष की ओर से थाना छतारी पर कोई सूचना मुकदमा पंजीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस की समुचित व्यवस्था कर दी गई थी।

उक्त घटना के उपरान्त संघ कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 30-7-95 को उक्त स्थान पर पुनः शाखा लगाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की जानकारी मिलने पर मुस्लिम सम्प्रदाय के जियाउल रहमान प्रबन्धक, अखलाक अहमद-प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, शेखूपुर निवासीगण ग्राम नरायनपुर आदि व्यक्तियों ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा उन्होंने जनपद के प्रमुख नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर संघ के इस कार्यक्रम का विरोध करने का निर्णय लिया था। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के 59 व्यक्तियों के विरुद्ध 107/116 की कार्यवाही की गई तथा दिनांक 29-7-95 को मुख्यालय पर दोनों सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक कराई गई, परन्तु दोनो ही पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे, किन्तु दोनों पक्षों ने साम्प्रदायिक एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को आश्वासन दिया। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्र में धरा 144 भा0दं0सं0 लगायी गई।

दिनांक 30-7-95 को ग्राम नरायनपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई थी, परिणामस्वरूप ग्राम नरायनपुर में कोई घटना घटित नहीं हुई। अपराह्न में 4 बजे स्वयं सेवकों ने प्राइमरी पाठशाला न0-1 के निकट भूमि पर भगवाध्वज फहरा कर ध्वज बंदना की थी। ग्राम नरायनपुर की स्थिति

नोटः-((यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामान्य एवं नियंत्रण में है, फिर भी शान्ति एवं शौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस की समुचित व्यवस्था बनी हुई है ।}

फतेहपुर जिले के धाता कस्बे में एक सिनेमाघर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की कापियां तथा प्रश्न पत्रों के बरामद होने विषयक श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, धाता कस्बे के (फतेहपुर) एक सिनेमाघर में जुलाई, 1995 के अन्तिम सप्ताह में जिलाधिकारी द्वारा आकस्मिक छापा मारकर हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट....

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

{ परीक्षा 1995 की उत्तर पुस्तिकाओं व अनेक विषयों पर प्रश्नपत्रों का जखीरा बरामद किया गया । जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि यह सिनेमाघर इलाके के एक दबंग व्यक्ति का है जो केटमई के हरिजन उत्पीड़न काण्ड का मुख्य अभियुक्त भी है । सूत्रों ने यह भी बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को इस संबंध में अवगत कराया गया है । जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद जिले के चेकनारा गांव स्थित इण्टमीटिएट कालेज में बोर्ड परीक्षा के लिये उक्त बरामद उत्तरपुस्तिका में प्रश्नपत्र भेजे गये थे ।

उक्त प्रकरण से यह स्पष्ट है कि बोर्ड परीक्षाओं में ठेके पर नकल धड़ल्ले से कराई जाती है, जिससे पठन-पाठन में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की प्रतिभायें परीक्षाफल द्वारा प्रभावित होती हैं । यह प्रकरण बोर्ड के कार्य प्रणाली पर व निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली पर एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह है ।

जनपद फतेहपुर की खामा तहसील के पुलिस स्टेशन धाता के अन्तर्गत एक सिनेमाहाल में दिनांक 26 जुलाई, 1995 को जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल/

नोट:-{ { यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा के विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्रों, प्रश्नपत्रों के खाली लिफाफे बिना प्रयोग की गई उत्तरपुस्तिकायें छापे के दौरान बरामद हुये । सिनेमाहाल के अंदर से इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 1995 की अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें वर्ष 1992 की हाई स्कूल परीक्षा के विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र, वर्ष 1992 के हाईस्कूल के प्रश्नपत्रों के विभिन्न विषयों के खाली लिफाफे जो कि खुले हुये हैं तथा खाली कैनवास बैग एवं शील्ड इत्यादि छापे के दौरान बरामद हुई । उपरोक्त सभी प्राप्त सामग्री इलाहाबाद जनपद से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र की है ।

जिलाधिकारी फतेहपुर से प्राप्त आख्या से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का सिनेमाहाल है और जहां पर उपरोक्त सामग्री बरामद हुई यह इलाहाबाद स्थित कई विद्यालयों जो परीक्षाकेन्द्र बनाये गये हैं के प्रबन्धक भी बताये जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षाओं के समय भारी पैमाने पर एक गैंग बनाकर नकल इत्यादि का कार्य कराया जाता है जिसमें परीक्षा केन्द्रों के प्रभारी तथा अन्य लोग भी सम्मिलित हैं । यद्यपि जो विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र प्राप्त हुये हैं वे वर्ष 1992 की परीक्षा के हैं और वर्ष 1995 की परिषद् परीक्षा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु जो अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें प्राप्त हुई हैं वे वर्ष 1995 की परीक्षाओं से सम्बन्धित हैं । सामान्यतः अप्रयुक्त उत्तरपुस्तिकायें तथा बचे हुये प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही सुरक्षित रहते हैं । परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद् को वापस कर दिया जाता है । किसी विद्यालय की उपरोक्त सामग्री की बरामदगी पड़ोसी जनपद के सिनेमाहाल के परिसर में प्राप्त होने पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इसमें किसी न किसी स्तर पर अनियमिततायें अवश्य बरती गई हैं ।

चूंकि शासन परिषद् परीक्षाओं की गरिमा, विश्वसनीयता, पवित्रता बनाये रखने हेतु दृढ़ संकल्प है और शासन ऐसे प्रकरणों को गम्भीर दृष्टि से देखता है अतः परिषद् परीक्षाओं की पवित्रता एवं गरिमा को बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ अधिकारी को जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्रान्तर्गत नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने विषयक श्री शिवदानी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, किसनपुर पम्प नहर प्रणाली वर्ष 1974 में वार्ज पर 6 पम्प चलाकर प्रारम्भ की गई थी ।....

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(निचली गंगा नहर के धाता राजबहा को पानी देने हेतु किशनपुर पम्प नहर का निर्माण किया गया था । वर्ष 88-89 में पक्का पम्प हाउस का निर्माण कर दिया गया । वर्तमान में कुल 8 पम्प 60 क्यूसेक क्षमता के लगे हुये हैं जिसमें एक साथ केवल 7 पम्प चलाये जाने का प्राविधान है । एक अतिरिक्त पम्प स्टैण्डबाई रखा गया है । पुराने पम्पों में उनके ब्लेड कट गये हैं तथा उनके बाडी में कमी आने के कारण इनके डिस्चार्ज की क्षमता 60 क्यूसेक से घटकर 40 से 45 क्यूसेक रह गई है जिसकी वजह से पम्प नहर की वर्तमान क्षमता से काफी कमी आ गई है । इसके अतिरक्त वर्तमान विद्युत उपलब्धता से 7 पम्पों के स्थान पर केवल 5 पम्प ही चलाये जा रहे हैं । उपरोक्त स्थिति में नहर के शीर्ष पर लगभग 200 क्यूसेक पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है । इसी कारण नहर के मील 37 से आगे पानी नहीं पहुंच पाता है । पानी की इस कमी को दूर करने के लिये वर्तमान में उपलब्ध 5 पम्पों के लिये विद्युत आपूर्ति बढ़ाकर 7 पम्पों के अनुसार करना होगा । इन दो अतिरिक्त को चलाने के लिये अतिरिक्त विद्युत लाइन बिछानी होगी । उसके लिये राज्य विद्युत परिषद् को दो वर्ष पहले आवश्यक धनराशि दी जा चुकी है । खम्भे डालने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है । पुराने पम्पों को देखते हुये 60-60 क्यूसेक के 4 नये पम्पों के आपूर्ति आदेश भी कर दिये गये हैं । पम्पों एवं बिजली की आपूर्ति हो जाने पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने लगेगा ।

नलकूपों के संबंध में स्थिति यह है कि जनपद इलाहाबाद के चायल तहसील में कुल 195 चलित नलकूप हैं जिसमें से चायल विधान सभा क्षेत्र में 147 चलित नलकूप हैं । 10-8-95 को बन्दी सूचना के अनुसार चायल विधान सभा क्षेत्र में यांत्रित दोष से 6 तथा विद्युत दोष से 26 कुल 32 नलकूप बन्द हैं । चायल तहसील के यान्त्रित दोष से 6 विद्युत दोष से 37 नलकूप बन्द हैं इस प्रकार पूरी तहसील में 43 नलकूप यांत्रिक व विद्युत दोष के कारण बन्द है । यांत्रिक दोष से बन्द सभी नलकूप 15 दिन से कम अवधि से बन्द हैं । इसलिये यांत्रिक दोष से बन्दी के कारण कोई भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं है । इन नलकूपों को तुरन्त ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है । विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को तुरन्त ठीक कराने हेतु राज्य विद्युत परिषद् से अनुरोध किया गया है)

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दो महीने से वेतन का भुगतान न किये जाने विषयक श्री राम सरन वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रवीण सिंह ऐरन)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संदर्भित सूचना में मुख्यतः यह इंगित किया है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को दो-दो माह का वेतन नहीं मिल पा रहा है।

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन-

1 जिससे कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । प्रसूति गृहों में तैनात परिवार कल्याण विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तीन-तीन माह से वेतन नहीं मिल रहा है।

2-वित्तीय वर्ष 1995-96 के प्रथम चार महीनों के लिये लेखानुदान द्वारा पारित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 32 एवं 36 तथा परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशियों को क्रमशः शासनादेश दिनांक 6-4-1995 एवं शासनादेश दिनांक 20-4-1995 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण के निस्तारण पर व्यय करने हेतु रख दिया गया था। तद्नुसार महानिदेशालय द्वारा बजट का आवंटन जनपदों को अवमुक्त कर दिया गया था । वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-7-95 द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 के माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर, 1995 के लिये लेखानुदान की स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान संख्या 32 एवं 36 के संबंध में शासनादेश दिनांक 16-8-1995 एवं अनुदान संख्या 35 के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 11-8-1995 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया है कि वे चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु संबंधित जनपदों को यथोचित आवंटन करने की तत्काल व्यवस्था करें ।

नोट-1 1 यह अंश पढा हुआ माना गया ।

3-परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों को एवं जनपद कानपुर के शहरी मलेरिया योजना में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में कठिनाइयां दृष्टिगोचर हुई। प्रथम लेखानुदान द्वारा चार माह की सीमा तक आवंटन होने के कारण माह जुलाई, 1995 में बजट के आवंटन के अभाव में कोषागारों द्वारा बिल स्वीकार नहीं किये गये हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की माह जुलाई, 1995 के वेतन भुगतान में कठिनाई दृष्टिगोचर हुई। अब चूंकि अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 1995 के लिये भी बजट का आवंटन कर दिया गया है, इसलिये वेतन आदि के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी।

4-राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसूतिगृहों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन अस्थाई पदों की निरन्तरता के अभाव में कुछ समय के लिये नहीं मिला था। अब शासनादेश दिनांक 27-7-95 द्वारा पदों की निरन्तरता भी जारी कर दी गई है। अतः वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध होने तथा निरन्तरता जारी होने के पश्चात् अब वेतन भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी।)

उत्तरांचल में बढ़ते हुये बाघ के आतंक के सम्बन्ध में श्री मातवर सिंह कण्डारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, प्रदेश के उत्तरांचल (पर्वतीय क्षेत्र) में गुलदार (बाघ) द्वारा मनुष्यों एवं मवेशियों पर हमला करके मारने/घायल करने के प्रकरण संज्ञान में आये हैं....

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(हिंसक वन्य जीव जैसे शेर, गुलदार, चीता, लकड़बग्घा, भालू एवं हाथी आदि के द्वारा व्यक्तियों के मारे जाने या घायल होने की दशा में आर्थिक सहायता घायल व्यक्ति/मृतकों के आश्रितों को देने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त पशु विहारों राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 5 कि0मी0 परिधि के अन्दर हिंसक वन्य पशुओं जैसे शेर, शेरनी या गुलदार आदि द्वारा मवेशियों को मारे जाने की दशा में भी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनस्पति एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण देने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में वर्ष 1972 से लागू किया गया था। विगत वर्षों में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और अधिक सशक्त बनाया गया है। साथ-साथ वन्य पशु मानव जीवन या

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उसके सम्पत्ति के लिये खतरनाक हो जाने की दशा में उन्हें पकड़ने या मारने हेतु अनुमति देने का प्राविधान भी उक्त अधिनियम के धारा 11 में किया गया है। अधिनियम में धारा 11 (1) (ए) के प्राविधान के अनुसार अधिनियम के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट वन्य पशु, जिसके अन्तर्गत गुलदार भी आता है, मानव जीवन के लिये केवल खतरनाक होने की दशा में उसे पकड़ने अथवा नष्ट करने हेतु अनुमति केवल मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा दी जा सकती है। जब भी कोई गुलदार द्वारा मनुष्यों को मारने/घायल करने की जानकारी प्राप्त होती है तो उस गुलदार की गतिविधि को देखते हुये स्थानीय वनाधिकारी अथवा जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर शिकारियों को उक्त गुलदार को मारने/नष्ट करने हेतु अधिकृत कर दिया जाता है। कहीं-कहीं पर गुलदार को जीवित पकड़ने का प्रयास भी वन विभाग द्वारा किया जाता है।

जहां तक चिड़ियाघर के बाघों को उत्तरांचल के जंगलों में रात को छोड़ने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि चिड़ियाघर के बाघों को कभी भी नहीं छोड़ा गया है। जो गांव जंगलों के निकट हैं, उन क्षेत्रों में जंगलों में प्राकृतिक रूप से वास करने वाले गुलदारों के द्वारा कभी-कभी मानव तथा पालतू पशुओं पर हमला कर दिये जाने की घटना घटित होती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम लोग पूरा विपक्ष आपमें अविश्वास व्यक्त करते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन अपराह्न 2 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 21 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

अनुलग्नक - 1

तृतीय सत्र - चौथा सोमवार, प्रश्न संख्या - 10

खण्डीय स्टोर में माह अगस्त, 1994 के पहले अर्थात् अभिलेखों में 7 /94 के अवशेष आधार पर टी0एण्ड पी0 की सूची

क्रमांक	आइटम	मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4
1	सेल्ट स्टार्टर एसेम्बली	3 नं0	
2	प्रेशर पुल्ली	5 नं0	
3	एक्सिल	11 नं0/5-1/2 पेयर	
4	सिन्क्रोनाइअर एसेम्बली	2 नं0	
5	डिफ्रेन्शियल किट मेजर	3 नं0	
6	हब ड्रम्स	8 नं0	आइटम नं0 1 से 12 तक
7	डिफ्रेन्शियल ट्यूब	2 नं0	मशीन के पार्ट हैं।
8	ज्वाइन्ट टर्नर	11 नं0	
9	सेल्फ स्टार्टर एसेम्बली	3 नं0	
10	वाटर पम्प रिपेयरिंग किट	18 नं0	
11	डायनेमो एसेम्बली	4 नं0	
12	टाईम्स गियर	12 नं0	
13	टाइमिंग गरारी	3 नं0	
14	ट्रेपी ज्वाइडर चैनल 2.30 से 2.50	10 नं0	आइटम नं0 14 से 19 तक
15	ट्रेपी ज्वाइडर चैनल 4.8 मी0	60 नं0	के आइटम 21 पहले पुल
16	आईएसजेबी-150 गर्डर 6 मी0	4 नं0	के निर्माण के उपयोग में
17	आईएसएमबी460-717 गर्डर 7.3मीटर	13 नं0	लायी गई शटरिंग के भागहैं
18	चेकर्ड प्लेट 3.7×.62	4 नं0	
	" "2.5×.5	5 नं0	
19	आईएसजेसी 110 चैनल 5 से 5.2 मीटर	7 नं0	
20	शीप फुट रोलर ड्रम	6 नं0	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
21	चैनल 100 मि0मी0 3 मी0 से 4.05मी0	2 नं0	
22	रोड साइन बोर्ड	228 नं0	
23	बेलार्ड	6 नं0	
24	आब्जेक्ट मार्कर	20 नं0	
25	गैंती	3 नं0	
26	स्टील रैक	4 नं0	
27	काशन बोर्ड	4 नं0	
28	एंगिल आयरन कनेक्टर आफ शीप फुट रोरल	3 नं0	
29	हैण्ड मिक्सिंग ड्रम स्टैण्ड	1 नं0	
30	स्टील आलमारी	1 नं0	
31	स्ट्रेट ऐज	1 नं0	
32	टेस्टिंग किट	5 नं0	
33	टेम्पलेट 1.5 मी0	1 नं0	
34	छोलदारी	1 नं0	
35	टार्च	1 नं0	
36	साइनबोर्ड	5 नं0	
37	स्टील बिन्डो फ्रेम	1 नं0	
38	रेल पटरी	1 नं0	
39	लेबिलिंग मशीन स्टैण्ड सहित	1 नं0	
40	पीसी पेवर चैनल	22 नं0	
41	टेपर्ड गेज	2 नं0	
42	एल्युनिनियम फण्ड	2 नं0	
43	इनामल ट्रे	1 नं0	
44	टेकिंग टम्पलेट	2 नं0	
45	दुरमुट	1 नं0	
46	तारपोलिंग	3 नं0	
47	20 से0मी0 व्यास फाइंन टेस्ट सीव पीतल 710 एम0सी0	1 नं0	
48	355 एम0 सी0	1 नं0	
49	180 एम0 सी0	1 नं0	
50	90 एम0 सी0	1 नं0	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
51	लिंड एण्फ पेन 20 से0मी0 डाय ब्रास कोर्स टेस्ट शीव	7 नं0	
52	-तदेव-45 एम0एम0	1 नं0	
53	-तदेव- 26.5 एम0एम0	1 नं0	
54	-तदेव- 22.4 एम0एम0	1 नं0	
55	-तदेव- 13.2 एम0एम0	1 नं0	
56	लिंड एण्ड पेन 11.2 एम0एम0	1 नं0	
57	-तदेव- 5.6 एम0एम0	1 नं0	
58	-तदेव- 2.8 एम0एम0	1 नं0	
59	लीट एण्ड पेन	1 सेट	
60	कोर्स टेस्ट शीव	2 नं0	
61	इनामल ट्रे	1 नं0	
62	स्पेचुला	1 नं0	
63	थिकनेस गेज	1 नं0	
64	डेप्थ गेज	1 नं0	
65	सिलेण्डिकल मेजर 3 ली0	1 नं0	
	-तदेव- 5 ली0	1 नं0	
66	टार्च 3 रोल	2 नं0	
67	बीम स्केल	1 नं0	
68	पैन बैलेन्स 5 केजी	1 नं0	
69	वेट वाक्स 1 से 5 के0जी0	1 नं0	
70	स्ट्रेट एज	1 नं0	
71	वेज फार स्ट्रेट एज	1 नं0	
72	पंजी	12 नं0	
73	बाक्स 4×2.5×2.5 फुट	1 नं0	
74	लेबिल प्लेट 15.15 से0मी0	13 नं0	
75	आई0एस0सी0 6.7	1 नं0	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माह जुलाई, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक क्रय तथा जारी की गयी ई० ए० पी० का ब्यौरा

क्रमांक	फर्म का नाम	आइटम	मात्रा	धनराशि	कब लिया	कब जारी किया	मात्रा	किसे जारी किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	मेसर्स फतेह चन्द्र जैन 101, विवेक नगर, सिधौली, सीतापुर	शावेल	6 नं०	480.00	1/95	1/95	6 नं०	अवर अभियन्ता को अस्थायी गैंग के लिये	क्रय सीधे कि०मा० 484, 485, 486 (0 से 500) के हार्ड शोल्डर के कार्य पर किया गया।
2	–तदैव–	शावेल	4 नं०	320.00	1/95	1/95	4 नं०	–तदैव–	
3	–तदैव–	गैंती	4 नं०	320.00	1/95	1/95	4 नं०	–तदैव–	
4	–तदैव–	गैंती	4 नं०	320.00	1/95	1/95	4 नं०	–तदैव–	
5	–तदैव–	गैंती	4 नं०	320.00	1/95	1/95	4 नं०	–तदैव–	
6	–तदैव–	गैंती	4 नं०	320.00	1/95	1/95	4 नं०	–तदैव–	
7	–तदैव–	पंजी	8 नं०	480.00	1/95	1/95	8 नं०	–तदैव–	
8	–तदैव–	पंजी	3 नं०	180.00	1/95	1/95	3 नं०	–तदैव–	
9	लखनऊ कटावाला। अमीनाबाद, लखनऊ	फीता (15 मी०)	1 नं०	231.00	1/95	1/95	1 नं०	–तदैव–	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6		7	8	9
10	रेडियो इलेक्ट्रिक हाउस लालबाग, लखनऊ ।	इमरजेंसी लाइट	1 नं०	2800.00	3/95	3/95	1 नं०		कार्यालय उपयोग के लिये जारी किया गया
11	जेम्स उद्योग, 24-भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ ।	रोड साइन बोर्ड	178 नं०	116520.00	3/95	3/95	178 नं०		यह कार्य भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत जाब सं० 0024-यू०पी०-91268 स्वीकृत आगणन के तहत किया गया ।
12	मे० वी०के० फेब्रीकेटर्स डी० ब्लाक, इन्दिरानगर लखनऊ ।	साईन बोर्ड	4 नं०	4400.00	3/95	3/95	4 नं०		मुरादाबाद के उपरिगामी सेतु के बन्द हो जाने पर यातायात को तुरन्त विशेष सूचना देने के लिये इमरजेन्सी में लिये गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं० 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित श्री प्रेम सिंह, विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में संलग्न तालिका–

389 मुरादनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्ग कार्यों पर वर्ष 1993-94 व 1994-95 में आवंटित धनराशि एवं दिये गये कार्यों का विवरण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई	लागत (लाखों में)	31-3-93 तक व्यय	वर्ष 93-94 में में आवंटन व्यय	वर्ष 94-95 में आवंटन व्यय	वर्ष में किया गया कार्य व मार्ग की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
	जिला योजना वर्ष 89-90 के अवशेष कार्य						
1	पाइप लाईन से बहादुर पुर	1.40	3.80	3.46	0.34/0.34	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
	जिला योजना वर्ष 90-91 के अवशेष कार्य						
2	मुरादनगर रावली मार्ग से झासपुर तक	3.10	8.80	7.67	1.20/1.20	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
3	निवाड़ी से पैगा का शेष भाग	0.800	2.75	2.58	0.24/0.24	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
4	सुराना के पुराने पुल पर होते देवी मंदिर से भनेड़ा तक	1.00	4.10	3.92	0.18/0.18	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
5	पाइप लाइन से नगला मोहनपुर	1.30	4.81	4.21	0.60/0.60	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
6	शोभापुर जलालपुर	1.00	3.70	3.36	0.34/0.34	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
7	पाइप लाइन से भदौली का शेष भाग	0.750	2.35	2.13	0.22/0.22	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
8	मेरठ मार्ग से मोरटा तक पुनः निर्माण	0.800	2.56	2.07	0.43/0.43	—	द्वितीय सतह लेपन का कार्य/मार्ग पूर्ण
9	मेरठ मार्ग से मोरटा तक शेष भाग	0.700	1.82	1.54	0.28/0.28	—	द्वितीय सतह लेपन काकार्य/मार्ग पू
	वर्ष 91-92 के कार्य						
10	पाइप लाइन से सरन आबादी के पहले मकान तक	0.200	0.90	—	0.80/0.80	0.10/0.10	द्वितीय सतह लेपन /कार्य पूर्ण
11	रेवरी मार्ग स्कूल से आबादी के	0.200	0.90	1.13	0.56/0.56	0.17/0.17	वर्ष 93-94 में सोलिंग लेपन पी-1 का कार्य वर्ष 93-94 में द्वितीय सतह लेपन कार्य पूर्ण
12	गोविन्दपुरी सारा मार्ग	0.300	1.36	0.73	0.63/0.63	—	टोप कोट, प्रथम व द्वितीय सतह/कार्य पूर्ण लेपन का कार्य।
13	मुरादनगर रावली मार्ग से अमीरपुर गढ़ी कुन्देड़ा मार्ग	1.00	3.10	0.28	2.22/2.22	0..25/0.25	कार्य पूर्ण
14	मुरादनगर आर्डिनेन्स फैक्ट्री रेलवे फाटक से कुर्मी [illegible] तक	1.500	5.11	0.50	3.86/3.86	0.54/0.54	वर्ष 93-94 में इन्टर, टोप व पी-1 तक कार्य व वर्ष 94-95 में में पी-2 का कार्य किया गया।
15	जूनियर हाई स्कूल [illegible] से हुसैनपुर	1.00	3.41	0.54	2.34/2.34	—	इन्टर, टोप व पी-1 तक का कार्य वर्ष 93-94 में किया गया।

अवर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
16	गोविन्दपुरी सारा मार्ग	1.00	3.41	—	2.86/2.86	0.55/0.55	वर्ष 1993-94 में इन्टर, टोप व पी-1 का किया गया। वर्ष 94-95 मे पी-2 का कार्य किया गया।
17	सिकरोड मोड़ से भोवापुर मार्ग का आंशिक भाग	0.750	2.56	0.45	1.56/1.50	—	वर्ष 93-94 में इन्टर, टोप, कोट व पी-1 का कार्य किया गया।
18	मुरादनगर रावली मार्ग से खिमावली का पुनः निर्माण	1.00	2.27	1.04	1.23/1.23	—	टोप, कोट, पी-1 व पी०-2 तथा पूर्ण
	<u>जिला योजना वर्ष 1992-93 के अवशेष कार्य</u>						
19	सहाना से कुन्हैडा मार्ग	1.00	4.39	0.36	2.85/2.85	0.75/0.75	वर्ष 93-94 में इन्टर, टोप व ड्रिक लाइनिंग का कार्य एवं वर्ष 94-95 में पी-1 का कार्य किया गया।
20	भिक्कनपुर ग्रा० दसंतपुर सेन्तली ग्रा० तक का निर्माण	2.00	9.00	0.87	0.74/0.74	3.95/3.95	वर्ष 93-94 में 5 पुलिया, 2.00 कि०मी० मिट्टी का कार्य किया गया एवं 94-95 2.00 कि०मी० सोलिंग कोट, 2.00 कि० मी० टोप कोट का कार्य किया गया।
	<u>जिला योजना वर्ष 94-95 के कार्य</u>						
21	मसूरी पुल से नाहल तक फुंच मार्ग का निर्माण	0.700	2.82	—	—	0.56/0.56	वर्ष 94-95 में 0.700 मी० में सोलिंग कोट का कार्य किया गया वर्तमान में टोप कोट पूर्ण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
22	सुल्तानपुर से सलेमाबाद खुर्रमपुर टीकरी को भगत तक	0.700	2.82	—	—	0.47/0.47	वर्ष 94-95 में 0.700 मी० में सोलिंग कोट किया गया/टोप कोट प्रगति में है।
23	नगला अटोर से मोरटा	1.00	3.64	—	—	1.12/1.12	वर्ष 94-95 में 1.00 मि०मी० मध्य सतह का कार्य किया गया। वर्तमान में टोप कोट तक पूर्ण।
24	डी० एन० पी० रोड से नगला अटोर बाया सिकरोड	1.00	4.03	—	—	1.37/1.37	वर्ष 94-95 में सोलिंग कोट किया गया। वर्तमान में टोप कोट तक पूर्ण।
25	डी० एन० पी० रोड से जलालाबाद	0.600	1.26	—	—	—	वर्ष 94-95 में पत्थर की गिट्टी एकत्रीकरण का कार्य प्रगति में था वर्तमान में मध्य सतह ऊपरी सतह एवं प्रथम सतह लेपन (पी–1) तक कार्य पूर्ण।
		कुल योग			24.72 लाख	9.83 लाख	

	मिट्टी	पुलिया	प्रथम सतह	मध्य सतह	ऊपरी सतह	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन
वर्ष 93-94	2.00	5	0.200	6.25	7.75	5.75	12.35
वर्ष 94-95	—	–	4.40	1.00	2.00	2.00	2.70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा क्षेत्र उत्तरी, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि	कार्य की स्थिति	कार्य अपूर्ण होने का कारण
1	2	3	4	5
	1991-92			
1	भारद्वाज पुरम अल्लापुर तिलक नगर मोहल्ले की प्रयाग घाट स्टेशन को जाने वाली सड़क मकान नं0 53/3 से 41ए/3ए एवं 1 बी/23/4 बी तक सुधार	4.50	पूर्ण	-
2	बाघम्बरी गद्दी मकान नं0 1 बी/20-1/314 बी/23 के पास गली नाली का सुधार	0.66	पूर्ण	-
3	म्योराबाद के मुख्य मार्ग का सुधार	1.59	पूर्ण	- -
4	रसूलाबाद होलीपार की जाने वाली सड़क एवं नाले का निर्माण	3.15	पूर्ण	-
		9.90		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	1992-93			
1	तिलक नगर मकान नं0 56 से 66/6 तक नाली एवं खड़न्जा	1.50	पूर्ण	-
2	बाबम्बरी गद्दी नं0 900/18 से 900/7-814 तक सड़क का निर्माण	4.50	पूर्ण	-
3	रामप्रिया रोड के अन्दर तक सड़क निर्माण	1.86	पूर्ण	-
4	मकान नं. 44 से राजपत राय मार्ग तथा कटरा से सम्पर्क वाली सड़क मरम्मत	0.50	पूर्ण	-
5	गणेश नगर से ए0डीए0 कालोनी के बगल सोलिंग एवं नाली	1.50	पूर्ण	-
6	म्योराबाद स्टेशन वाली रोड कालोनी के लिये आने वाली सड़क निर्माण	0.50	पूर्ण	-
7	छोटा बधंपड़ा मार्ग स्थित गली नाली का सुधार एवं निर्माण	2.50	पूर्ण	-
8	भरद्वाजपुरम् स्थित सर्वोदय नगर पानी की टंकी के सामने सरस्वती विद्या मन्दिर के सामने तक सड़क का निर्माण	1.34	पूर्ण	-
9	रसूलाबाद ए0डी0जी0कालोनी नं0 11 के बगल से मकान नं0 186/1, 176/6, 176/15 होते हुये ई/1 पनेल ए0पी0 के मकान तक	0.50	पूर्ण	-
		15.00		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	वर्ष 1993-94			
1	इलाहाबाद माघ मेला गोदाम (जार्जटाउन) के बगल आफिसर्स कालोनी का सड़क निर्माण	3.00	पूर्ण	-
2	टी0वी0 चिकित्सालय तेलियरगंज चहारदीवारी निर्माण	1.778	पूर्ण	-
3	टी0वी0 सप्रू चिकित्सालय	3.204	पूर्ण	-
4	प्रशिक्षण एवं बैठक हेतु कक्ष निर्माण	0.536	पूर्ण	-
5	राजकीय वाहनों का सेड निर्माण	1.173	पूर्ण	-
6	जिला मलेरिया कार्यालय निर्माण	0.997	पूर्ण	-
7	जीवन रक्षक औषधियों/वैक्शीन के भण्डार व्यवस्था	0.998	पूर्ण	-
8	मिनी नलकूप के अधिष्ठान का कार्य मेहदौरी कटरा रामप्रिया मु0 170.00 प्रति की दर से	12.10	पूर्ण	-
हैण्ड पम्प अधिष्ठान का कार्य-				
1	93 ए बक्शीकला दारागंज श्री शिव कुमार खरे के घर के पास	0.15	पूर्ण	-
2	नयापुरा ट्रान्सफारमर के पास चौराहा	0.15	पूर्ण	-
3	ज्ञान गंगा शिशु मन्दिर रसूलाबाद मकान नं0 309 एवं 311 के मध्य	0.15	पूर्ण	-
4	होमगार्ड्स आफिस सिविल लाइन्स 9 तेज बहादुर सप्रू रोड सागरपेशा के सामने	0.15	पूर्ण	-
5	रामप्रिया रोड बस्ती में एनीबेसेन्ट स्कूल की तरफ की हीरालाल चौरसिया व आशानन्द के मकान के मध्य	0.15	पूर्ण	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
6	सरस्वती नगर मकान नं0 304 आई0के0 सिंह मकान के पास	0.15	पूर्ण	-
7	कैलाशपुरी	0.15	पूर्ण	-
8	ओम गायत्री नगर	0.15	पूर्ण	-
9	बक्शीखुर्द फलवरिया रोड दारागंज	0.15	पूर्ण	-
10	कटरा	0.15	पूर्ण	-
11	28 बी 8/87 शिवकुटी के पास भरद्वाजपुरम्	0.15	पूर्ण	-
12	नगर के अल्लापुर मोहल्ले में जल निकासी की परियोजना	20.423	पूर्ण	-
		35.859		
	वर्ष 1994-95			
1	चांदपुर सलोरी (जोगीबीरन) मोहल्ले के पास पूरब की ओर पुलिया का निर्माण	0.50	प्रगति पर है	-
2	चांदपुर सलोरी मानस नगर में डा0 चतुर्भुज शुक्ल के मकान से श्री एन0के0 जोशी के मकान तक खड़न्जा एवं नाली	0.75	"	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
3	चांदपुर सतोरी मानस नगर में श्री सतन शुक्ला के मकान से श्री श्रीवास्तव जी के मकान तक खड़न्जा एवं नाली निर्माण	0.50	"	-
4	श्री सुरेश पासी के मकान से पी0एन0 कानवेण्ट स्कूल तक गायत्री नगर में खड़न्जा एवं नाली का निर्माण	0.75	"	-
5	शिवकुटी मोहल्ला मकान नं0 8ई/जे से 41 सी/6बी/सी तक गली में खड़न्जा व नाली निर्माण	0.75	"	-
6	इण्डिया अल्लापुर मकान नं0 60/19 से मकान नं0 7/6 तक गली में खड़न्जा व नाली निर्माण	0.75	"	-
7	न्यू सोहबतियाबाग मकान नं0 466/268/2 से 445/286/1 तक की गली में खड़न्जा निर्माण	0.50	"	-
8	रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन श्री एन0के0 मुखर्जी रोड को जाने वाली सड़क पर खड़न्जा तथा पुलिया निर्माण	0.50	"	-
9	फाफामऊ नयी बस्ती में खड़न्जा निर्माण	0.50	"	-
10	जोधवल मुहल्ले में श्री चन्द्रशेखर मालवीय के मकान से जोधवल घाट तक जाने वाली सड़क की मरम्मत	1.00	"	-
11	गणेश नगर ब्योराबाद प्रथम गली मकान नं0 46/120 से 30 ए खड़न्जा व नाली निर्माण	0.25	"	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
12	गणेश नगर म्योराबाद द्वितीय गली मकान नं0 47/23 सी 1 से 46/2सी तक खड़न्जा एवं नाली निर्माण	0.30	"	-
13	गणेश नगर म्योराबाद तृतीय मकान नं0 46/21 ए से 46/18 ई तक खड़न्जा एवं नाली निर्माण	0.20	"	-
14	बाघम्बरी गद्दी शिवाजी नगर कैलाशपुरी श्री अवध नारायण श्री श्रीनाथ द्विवेदी 379/90ए/18 बी के मकान श्री उमाशंकर के मकान तक खड़ंजा एवं नाली	0.40	"	-
15	बाघम्बरी गद्दी, शिवाजी नगर कैलाशपुरी श्री निर्मल द्विवेदी के मकान से श्री राम औतार, श्री प्रमोद ओझा के मकान से आगे तक डामर रोड एवं नाली निर्माण	0.50	"	-
16	बाघम्बरी गद्दी से प्रवेश करते हुये मूलचन्द्र भार्गव के मकान सें श्री उपाध्याय के मकान तक खड़न्जा व नाली निर्माण	0.10	"	-
17	बाघम्बरी गद्दी से श्री गोरे यादव के मकान से श्री चौबे जी के मकान तक खड़न्जा व नाली निर्माण	0.10	"	-
18	बाघम्बरी गद्दी से पूरब श्री अशोक कुमार द्विवेदी के मकान नं0 90ए/15 जेड तक खड़न्जा व नाली निर्माण	0.50	"	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
19	बक्शी खुर्द दारागंज मुहल्ले में खड़न्जा एवं नाली निर्माण	1.00	"	-
20	न्यू मेंहदोरी कालोनी में सड़क निर्माण एवं नाली	0.50	"	-
21	भरद्वाज मुहल्ले में खड़न्जा एवं नाली निर्माण	0.51	"	-
22	अलोपी बाग, सोहबतियाबाग बैरहना मोहल्ले में सड़क एवं नाली निर्माण	0.50	"	-
23	विभिन्न मोहल्ले में 5 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन	0.75	"	-
24	बक्शी खुर्द दारागंज मुहल्ले में नाली निर्माण	1.00	"	-
25	मास्टर हजहरूप हसन कार्पेण्टरी स्कूल के सामने नाली व सड़क निर्माण	0.40	"	-
26	भुलई का पूरा पुरानी बस्ती में मं0नं0 66/498 से 39 सी तक सम्पर्क मार्ग । खड़न्जा व नाली	0.15	"	-
		13 66		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

अनुलग्नक - 1

तृतीय सत्र चौथा सोमवार प्रश्न संख्या 64

माह जुलाई, 1994 से जुलाई, 1995 तक क्रय की गई टी0 एण्ड पी0 की सूची

क्रमांक	फर्म का नाम	आइटम	मात्रा	धनराशि	कब लिया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मेसर्स फतेहचन्द्र जैन, 101 विवेक नगर, सिधौली सीतापुर	शाबेल	6 नं0	480.00	1/95	क्रय सीधे कि0मी0 484, 485 व 486 (0 से 500) के हाई शोल्डर पर लिया गया।
2	-तदैव-	शाबेल	4 नं0	320.00	1/95	
3	-तदैव-	गैंती	4 नं0	440.00	1/95	
4	-तदैव-	गैंती	4 नं0	440.00	1/95	
5	-तदैव	गैंती	4 नं0	440.00	1/95	
6	-तदैव-	गैंती	4 नं0	440.00	1/95	
7	-तदैव-	पंजी	8 नं0	480.00	1/95	
8	-तदैव-	पंजी	3 नं0	180.00	1/95	
9	लखनऊ काटावाला अमीनाबाद, लखनऊ	टेप	1 नं0 (15 मी0)	231.00	1/95	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
10	रेडिया इलेक्ट्रिक हाउस, लालबाग, लखनऊ	इमरजेंसी लाईट	1 नं0	2800.00	3/95	
11	जेम्स उद्योग, 24 भोपाल हाऊस, लालबाग, लखनऊ	रोड-साइन बोर्ड	178 नं0	116520.00	3/95	यह आईटम भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वीकृत जाब संख्या 0024-यू0पी0 91968 के अन्तर्गत सीधे जाब पर लिया गया।
12	मे0 बी0के0 फेबरीकेटर्स डी ब्लाक, इन्दिरानगर लखनउ।	रोड-साइन बोर्ड	4 नं0	4400.00	3/95	मुरादाबाद से उपरिगामी सेतु के बन्द हो जाने पर यायायात को तुरन्त विशेष सूचना देने के लिये इमरजेंसी में बनवाये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
13	जेम्स उद्योग, 24 भोपाल हाऊस, लालबाग, लखनऊ।	रोड साईन बोर्ड	20 नं0	23516.00	4/95	यह आईटम भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वीकृत जाब संख्या 0024-यू0पी0-91648 के अंतर्गत सीधे जाब पर लिया गया।
14	-तदेव-	-तदेव-	110 नं0	96071.0	5/95	-तदेव-
15	मे0 लक्ष्मी इण्टर-प्राइजेज, कनौडिया बिल्डिंग कानपुर	त्रिपाल	10×8 मी=3नं0 6×5 मी0=7नं0	38673.65	7/95	भण्डार से लिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0 241 विधान सभा (658)-1995-572 (ई0 टी0)।